महानगर नई दिल्ली शनिवार 17 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

घाटी में बंदिशें हटाने का सिलसिला शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहां लोगों के रोजमर्रा के कामकाज सामान्य होने लगे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने संचार व्यवस्था पर लगी पाबंदी हटाने और पूरे राज्य के स्कूल सोमवार से खोलने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, हालांकि आतंकवादी गतिविधियों की आशंका बनी हुई है। इस आशय के खुफिया इनपुट मिल रहे हैं। इस कारण सैन्य बलों की सतर्कता बनी रहेगी। उनकी संख्या में कोई कमी नहीं की जाएगी।

पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को निरस्त कर दिया गया था और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। उसके बाद बने तनाव के हालात तेजी से बदल रहे हैं। शुक्रवार को कई स्थानों पर टेलीफोन और मोबाइल फोन की सेवा बहाल कर दी गई। अगले सप्ताह से पूरी घाटी में स्कूल खोल दिए जाएंगे बाकी पेज 8 पर

मुख्य सचिव ने कहा, 12 जिलों में हालात सामान्य, सोमवार से खुलेंगे स्कूल

ज्यादातर फोन लाइनें सप्ताहांत तक बहाल होंगी

आतंकी गतिविधियों की आशंका से सैन्य बलों की सतर्कता जारी रहेगी

कश्मीर में 11 दिन बिताकर दिल्ली लौटे डोभाल

श्रीनगर, 16 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कश्मीर घाटी में 11 दिन बिताने के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट गए। डोभाल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर घाटी में थे। अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

राजनाथ सिंह ने इशारों में पाक को चेताया

एटमी हथियारों पर नीति बदल सकता है भारत

जयपुर, 16 अगस्त (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत परमाणु हथियारों से पहले वार नहीं करने के अपने सिद्धांत पर अडिग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन भविष्य में क्या होता है, यह हालात पर निर्भर करेगा। सिंह ने उम्मीद जताई कि भारत, रूस, चीन और मध्य एशिया के अन्य देशों के बीच सहयोग आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और वे आपसी सहयोग से वैश्विक खतरों का सामना करने में सक्षम होंगे। राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आए सिंह ने पोकरण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, 'पोकरण वह इलाका है जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए अटल बाकी पेज 8 पर

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत, रूस, चीन और मध्य एशिया के अन्य देशों के बीच सहयोग आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और वे आपसी सहयोग से वैश्विक खतरों का सामना करने में सक्षम होंगे।

राजकाज
नापाक इरादे

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

भारत ने थार एक्सप्रेस रद्द की -खबर पेज 8 पर

मीडिया पर पाबंदियां हटाने से पहले इंतजार करेंगे : सुप्रीम कोर्ट -खबर पेज 8 पर

अनुच्छेद 370 : दोषपूर्ण अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के खिलाफ दोषपूर्ण याचिकाएं दायर करने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने कहा कि वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका का कोई मतलब नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने याचिका पढ़ने में 30 मिनट लगाए लेकिन इससे कुछ भी समझ नहीं सके। यह भी समझ नहीं सके कि इसमें क्या अनुरोध किया गया है।

पीठ ने कहा- यह किस तरह की याचिका है? इसे बाकी पेज 8 पर

शास्त्री फिर बने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच

मुंबई, 16 अगस्त (भाषा)।

मौजूदा कोच रवि शास्त्री को शुक्रवार को कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने फिर से भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। कप्तान विराट कोहली के समर्थन के बाद यह फैसला तय माना जा रहा था। उन्हें फिर से दो साल के लिए कोच बनाया गया है और उनका कार्यकाल भारत में 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप तक होगा।

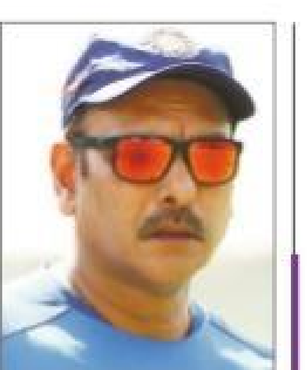

शास्त्री का भारतीय टीम के साथ यह चौथा कार्यकाल होगा। वह बांग्लादेश के 2007 के दौरे के समय कुछ समय के लिए कोच बने थे।

शास्त्री का भारतीय टीम के साथ यह चौथा कार्यकाल होगा। वह बांग्लादेश के 2007 के दौरे के समय कुछ समय के लिए कोच बने थे। इसके बाद वह 2014 से 2016 तक टीम निदेशक और 2017 से 2019 तक मुख्य कोच रहे। शास्त्री ने कोच पद की दौड़ में भारतीय टीम के अपने साथी रोबिन सिंह और लालचंद राजपूत के अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन और आस्ट्रेलिया के टॉम मूडी को पीछे छोड़ा। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के पूर्व कोच फिल सिमंस निजी कारणों से कोच पद की दौड़ से हट गए थे।

कपिल देव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नंबर तीन टॉम मूडी थे और नंबर दो माइक हेसन। आपने जैसी बाकी पेज 8 पर

रामलला विराजमान के वकील ने कहा

विवादित स्थल पर ईसा पूर्व दूसरी सदी में था भव्य मंदिर

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि अध्योध्या में विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के अस्तित्व से काफी पहले ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भगवान राम का एक भव्य मंदिर था। दशकों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे के एक पक्ष रामलला विराजमान के वकील ने 1950 में स्थल के निरीक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने वहां बने कब्र को काफी बाद के समय का बताया। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर अपने दावे के पक्ष में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष सुनवाई के सातवें दिन अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए रामलला की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि एसएसआइ की रिपोर्ट के अनुसार वहां ईसापूर्व दूसरी शताब्दी का स्तंभ आधारित एक भव्य ढांचा मौजूद था तथा एएसआइ के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उस स्थल पर स्तंभों वाला एक मंडप था। उन्होंने विवादित स्थल पर एएसआइ की खुदाई में मिली सामग्री सहित विभिन्न तस्वीरों एवं रिपोर्ट का विस्तार से हवाला दिया।

वैद्यनाथन ने पीठ से कहा कि भगवान शिव सहित देवताओं की तस्वीरें, सिंह से घिरे हुए गरूड़ स्तंभों पर शिल्प तथा कमल की आकृतियां इस बात के यथेष्ठ संकेत हैं कि यह एक मंदिर था तथा इससे भी बड़ी बात कि यह सब किसी मस्जिद में नहीं पाए जाते। सुनवाई कर रहे पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, बाकी पेज 8 पर

पीठ ने प्रश्न किया, 'वहां पर एक कब्र भी है। आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?'

वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने विवादित स्थल पर बनी कब्र को काफी बाद के समय का बताया।

वैद्यनाथन ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर अपने दावे के पक्ष में एएसआइ के निष्कर्षों का किया जिक्र।

सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद भारत ने कहा

वार्ता शुरू करने के लिए आतंकवाद रोके पाक

संयुक्त राष्ट्र, 16 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के मामले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान से शुक्रवार को कहा कि उसे वार्ता आरंभ करने के लिए आतंकवाद रोकना होगा। चीन और पाकिस्तान के अनुरोध पर अनौपचारिक बैठक पूरी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मीडिया से कहा कि भारत का रुख यही था और है कि संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधी मामला पूर्णतया भारत का आतंरिक मामला है और इसका कोई बाह्य असर नहीं है।

अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ बाकी पेज 8 पर

चीन ने कहा, भारत के एकतरफा कदम ने कश्मीर में यथास्थिति बदल दी।

इमरान ने की ट्रंप से बात।

आतंकी हमले की आशंका, सेना और वायुसेना सतर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

कश्मीर में बड़े आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद सेना और वायुसेना को सतर्क कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों का समूह घुसपैठ की कोशिश में है। इस कारण सीमा पार से संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, खुफिया सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह घाटी में हमला को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इस कारण सेना व वायुसेना के अग्रिम मोर्चों को बाकी पेज 8 पर

कर्ज से तंग पूर्व क्रिकेटर ने की खुदकुशी : पुलिस

चेन्नई, 16 अगस्त (भाषा)।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और राष्ट्रीय चयनकर्ता वीबी चंद्रशेखर ने कर्ज के तनाव के चलते आत्महत्या की। गुरुवार को शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार चंद्रशेखर ने कर्ज के कारण गुरुवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह कर्ज के बोझ के कारण काफी बाकी पेज 8 पर

370 हटाना मील का पत्थर : शाह

जींद, 16 अगस्त (जनसत्ता)।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में जाट समुदाय के गढ़ जींद से राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए इस बार 75 से अधिक सीटें जिताने का आह्वान किया। शाह ने यहां एकलव्य स्टेडियम में शुक्रवार को 'आस्था रैली' को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि भाजपा की अगली सरकार में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे।

शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया जाना देश की एकता और अखंडता के लिए 'मील का पत्थर' है और यह राज्य का विकास सुनिश्चित करेगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आने के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा 75 दिन के भीतर ही समाप्त कर दिया। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकारें वोट बैंक के लालच में 72 साल में यह काम नहीं कर पाईं। यह बड़ा काम वहीं कर सकता है, जिसे वोट बैंक का लालच नहीं हो। भाजपा और कांग्रेस में यही बड़ा फर्क बाकी पेज 8 पर

जींद रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर।

यौन उत्पीड़न मामले में दोषी मेजर जनरल बर्खास्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

सेना ने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए मेजर जनरल आरएस जसवाल को बर्खास्त कर दिया है। मेजर जनरल को कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के दौरान दोषी पाया गया था। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेवा से मेजर जनरल की बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी। दोषी ठहराए गए अधिकारी को इस बारे में शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया। यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के समय मेजर जनरल नगालैंड में तैनात थे।

बर्खास्त मेजर जनरल को पेंशन नहीं मिलेगी। सेना प्रमुख ने जुलाई में ही आदेश जारी कर दिए थे। सेना प्रमुख के इस फैसले से दो कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमजेएस कहलों ने शुक्रवार को अंबाला में मेजर जनरल को सूचित किया। सेना प्रमुख के फैसले पर मेजर जनरल के वकील आनंद कुमार ने कहा, 'आज तक कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की कॉपी नहीं दी गई है। समीक्षा याचिका भी लंबित है। हम इसे चुनौती देंगे। जिस मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल किया बाकी पेज 8 पर

कोर्ट मार्शल के फैसले को सेना प्रमुख ने दी मंजूरी

दरअसल

लोगों के संदेश प्रसारित कर रहे राष्ट्रीय और निजी चैनल | कुशलक्षेम | विदेश से भी लोग इस जरिए से भेज रहे अपने संदेश

कश्मीर में हालचाल जानने का जरिया बने टीवी चैनल

श्रीनगर, 16 अगस्त (भाषा)।

फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद होने के कारण टेलीविजन चैनल घाटी में रह रहे लोगों तथा देश और विदेश में अन्य लोगों के बीच संचार के साधन बन गए हैं। स्थानीय केबल चैनलों और राष्ट्रीय समाचार चैनलों के क्षेत्रीय चैनलों पर लोगों के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और ये संदेश तरह-तरह के हैं। कुछ लोग घाटी में अपने रिश्तेदारों का हालचाल जानना चाहते हैं तो कुछ ने पोस्ट किया कि वे ठीक हैं और अन्य लोगों ने सूचना देने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल किया।

एक निजी चैनल के अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने करीब 300 पीसीओ स्थापित किए हैं जिसके कारण ऐसे लोगों की संख्या में काफी कमी आई है लेकिन फिर भी चैनल की हेल्पलाइनों पर संदेश मिल रहे हैं। असम के लखीमपुर की पूजा मिश्रा ने एक चैनल पर संदेश पोस्ट करके कहा कि वे सेना में काम करने वाले और राज्य में तैनात अपने भाई का हालचाल जानना चाहती हैं।

उत्तर प्रदेश की पिंकी ने चरार-ए-शरीफ में अपने दोस्त बासित से पूछा कि वह और उनका परिवार कैसा है। शादियों को लेकर भी कई संदेश मिल रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है शादी सादगी से की जाएगी।

बंगलुरु में पढ़ाई कर रहे कुपवाड़ा के खालिद ने अपने परिवार को बताया कि वह ठीक है और उनसे अगले महीने आने वाली उसकी बहन के हाथ किताबें भेजने के लिए कहा। ये संदेश केवल देश में रह रहे लोगों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि कतर, सऊदी अरब, बाकी पेज 8 पर

एक निजी चैनल के अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने करीब 300 पीसीओ स्थापित किए हैं जिसके कारण ऐसे लोगों की संख्या में काफी कमी आई है लेकिन फिर भी चैनल की हेल्पलाइनों पर संदेश मिल रहे हैं।

कतर, सऊदी अरब, दुबई और कुवैत से भी संदेश मिल रहे हैं। बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे कई छात्रों ने अपनी सुरक्षा के बारे में पोस्ट किया। चैनल के अधिकारियों ने बताया कि यह निशुल्क है।

रविवारी

18 अगस्त, 2019

गदर की निशानियां

आजादी के लिए शुरू हुए संघर्ष में देश के विभिन्न वर्गों से लोगों ने हिस्सा लिया था। उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। गदर से जुड़ी उन जगहों, शहीदों की निशानियों को सहेजने की जरूरत रेखांकित कर रहे हैं गजेंद्र सिंह।

• कहानी/ योगेश दीक्षित • ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ • संस्कृति/ चंद्र त्रिखा • शख्सियत/ फिराक गोरखपुरी • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

बागवानी का मौसम - रवि डे

• कविता/ सलीम खां फरीद • कहानी/ मोहम्मद अरशद खान

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Ajay Kumar S/o Ganesh Dutt Sharma R/o 401 Virender Nagar,Laxmi Vihar, Village-Burari,Delhi-110084,declare that the name of mine, my minor daughter Ishma Sharma aged 14 years 8 Months has been wrongly written as Ajay Kumar Sharma The actual name of mine is Ajay Kumar respectively which may be amended accordinglyIt is certified that I have Complied with other legal requirements in this connection. 0040507875-4

I,Vineet Arora S/O Kamal Kishore Arora R/O House No. 2377, Sector-8, Faridabad 121006 (Haryana) Have Changed My Minor Child's Name From Mayra To Mayra Arora. 0070670438-1

I,RICHA SRIVASTAVA w/o Pankaj Sinha R/o695/18A Kailashpuri Colony Near-ML Convent-School,Allahpur, Alahabad,have changed my Daughter`s Name from Tweesha to Tweesha Sinha parmanantly. 0040508231-1

I, hitherto known as Vinay Kumar, S/o Gyan Singh Panwar, Residing at-C-3/63, Dayalpur, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as Vinay Panwar. 0040508278-5

I, Vivek Choudhary S/o Ram Lakhan R/o WZ-115, A-Block, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Vivek Anand Choudhary. 0040508278-2

I, Vijay Kumar, H/o Aradhana Sharma wish to state that my wife R/o Vill.Chira, PO. Lower Ghallour Tehsil Jwalamukhi, Distt. Kangra, HP-176031, whose date of birth is wrongly mentioned as 11-06-1975 in my Army service records should be rectified and read as 21-05-1973 for all purposes. 0040508302-1

I, Vijay Kumar, F/o Harsh Sharma wish to state that my son R/o Vill.Chira, PO. Lower Ghallour Tehsil Jwalamukhi, Distt. Kangra, HP-176031, whose name is Harsh Sharma is wrongly mentioned as Harsh Kumar in my Army service records should be rectified and read as Harsh Sharma for all purposes. 0040508309-1

I, Suruchi Sharda D/o Jay Prakash Sharda W/o Nimit Periwal R/o-174, S.F.S., Phase-4, Ashok-Vihar, Delhi-110052,have changed my name to Suruchi Periwal. 0040508298-2

I, Sunil Kumar S/o Vasudev R/o-C-334, Gali.No.41, Mahavir Enclave Part-3,Mohan Garden,Delhi-110059, have changed my Name to Sunil Kumar Bharti. 0040508232-2

I, Sonali Karwal W/o Sahib Singh Vohra.,H.No.789, Sector-37, Faridabad, Haryana-121003. Have changed my name to Sonali Kaur Vohra. 0040508278-1

I, Sita Devi Jat W/o Shri Sujaram Jat R/o D-195, Patel Garden, Dwarka Mor, Kakrola, Dwarka-110078, have changed my name from Sita Devi Jat to Sita Devi for all future purposes. 0040508230-1

I, Shubham S/O Deep Chand R/o 16/125 Trilokpuri Delhi-110091 have changed my name to Subham Aggarwal for all purposes. 0040508310-3

I, Satpal Singh s/o Didar Singh r/o A-422, Defence Colony, Delhi-110024, have changed my name to SATPAL SINGH BAKSHI. 0040508203-2

I, Santosh Saxena S/o Shri Lalta Prasad Saxena R/o A-33, Gali No-4, Jagat Puri Ext., Shahdara Delhi-110093, have changed the name of my minior daughter`s Vanshita Saxena aged 14 years and she shall hereafter be known as Ishika Saxena. 0040508238-1

Service No. 4284401A NK Arun Kumar S/o Narender Singh of unit 351, INF-Birg. Informs that in my service-record my wife's name recorded as Rukmani Devi instead of Rukmani. 0040508278-9

I, Sanjeev S/o Lt.Sh.ChunniLal R/o.1/19, Geeta-Colony, Delhi-110031, have changed my name Sanjeev to Sanjeev Kumar Kakkar, for allfuture purposes. 0040508278-6

I, Sanjay Malik s/o Bharmanand R/o 6 B.N/ RPSF, quarter no-205/ C1, Dayabasti, Delhi-35, have changed my minor daughter from Lakshita Malik to Lakshita permanently. 0040508251-1

I Annu D/o Puran Singh R/o House No.53, Gali No.6B, E-Block Aya Nagar Phase-5, New Delhi-110047 have changed my name to Anya Dahal, vide affidavit E-Stamp No.IN DL37409986820110R notarized by Mahesh Narayan dated 12.08.2019 0050153285-1

I Amit Goel S/O S K Goel R/O-M-1/405 Gulmohar Enclave Rakesh Marg Ghaziabad., Have Changed Name Of My Daughter From Divyanshi Goel To Ridhima Goyal.,For All Future Purposes. 0040508298-4

व्यक्तिगत

I, Sanjay Malik S/o Bharmanand R/o 6 B.N/ RPSF, quarter no. 205/C1, Dayabasti, Delhi-35, have changed my name to Sanjay Kumar permanently. 0040508251-2

I, Sanjay Kumar s/o Sh. Yatishwer Chatterjee, R/O E 601, Antriksh appartments, Dwarka Sector 4, Plot No 26, South West Delhi, Delhi-110078, have changed my name to Sanjay Kumar Chattrrjee for all purposes in future. 0040508213-1

I, Sanjay Kumar Jain s/o Late.Ramesh Chand Jain R/o-J-248, W-15 K/2, Western-Avenue, Sainik-Farms, N.Delhi-110062, have changed my name to Ssanjay Jaain, Permanently. 0040508298-8

I, Saiyida Khubi Zehra Naqvi W/O, Shane Kazim Naqvi R/o H.no-942/19 Gali No-40, Madina Masjid Zakir Nagar Okhla, New Friends Colony S.o., South Delhi, Delhi-110025, have changed my name to Khubi Zehra Naqvi for all purposes. 0040508314-1

I, Sabina W/o Vijay Kumar, R/o-90-A, LIG flats,Madhuban Enclave, Madipur,New Delhi-110063,have changed my name to Sabina Joseph permanently. 0040508232-1

I, Saba Rehman W/o Naved Jamal R/o C-19, Batla House Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my minor daughter's name from Syeda Ayesha to Aisha Naved for all purposes. 0040508252-1

I, Rohit Dhamijaa R/o-QU-250B, Pitampura, Delhi-110034, have changed my minor daughter's name from Bhavika Dhamija to Bhavikka Dhamija permanently. 0040508278-7

I, Ravupalli Usha W/o Pratap Patla Singh., H.No.46 C-Block G.T.B.Hospital Campus Shahdara Delhi-95.changed my name to Usha Rani Patla Singh. 0040508298-5

I, Ravi Bhatia R/O Radha Krishana Cghs Ltd; A-503 Plot No. 23 Sect 7 Dwarka New Delhi 110075 HaveChanged My Minor Child's Name From Yashika Bhatia To Ahanna Bhatia. 0070670437-1

I, Ramesh Chandra D/O Khajan Singh Tyagi R/O-398, Pocket-C Phase-III, Ashokvihar, Delhi Have Changed My Name To Ramesh Chandra Tyagi. 0040508298-7

I, Rakhi Goyal W/o Amit Kumar Goyal R/o N-496, Sector-25, Jalvayu Vihar, Noida (U.P.) have changed my name to Meena Goyal for all future purposes. 0040508227-1

I, Rajinder Kadyan S/o Sh.Ram Narayan R/o-B-1, Kh.No-52, Roshan-Mandi, Najafgarh, New Delhi-110043,have Changed my name from Rajinder Kadyan to Rajinder Singh for all purposes. 0040508204-1

I, Priti Jindal W/o Achal Jindal R/o.Flat.No.-1106,Kosmos Tower-17,Jaypee Green Wishtown,Sec-134,Noida have changed my name from Preeti Jindal to Priti Jindal for all purpose in future. 0040508232-3

I, Nimitkumar Ashokkumar Aggarwal R/O G-601 Ajnara Homes 121, Sec 121, Noida-201301, UP haschanged my name to Nimit Aggarwal. 0070670434-1

I, Narinder Kumar Khanna S/o Hakumat Rai Khanna R/o 7/18, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Narinder Khanna for all future purposes. 0040508263-1

I, Kapil Nath Harijan S/o Late Sumiran R/o W-9, A/55, Chunna Bhatti, Kirti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Kapil Nath for all purposes. 0040508267-1

I, Gurpreet D/O Kuldeep R/O-341, Near-Mukherjee Nagar, Indra-Vihar, G.T.B.Nagar, Delhi-110009. Have Changed My Name To Gurpreet Kaur Permanently. 0040508278-8

I, Deepa Rathor W/o Surender Rathore R/o-2523/193, 2nd-Floor, Onkarnagar-A, Trinagar, Delhi-110035.have changed my name to Deepa Rathore. 0040508278-10

I, Debrata Benerjee S/O, Sanat Kumar Banerjee R/o 963-a, Gali No.-8, Govindpuri, Kalkaji, ND-19 have changed my name to Dev Kumar Banerjee for all purposes. 0040508310-2

I, Chayan Kumar Roy, S/O Sh. Pintu Ranjan Roy , House No. Fuchsia-103, Paramount Floraville, Sector-137, Noida UP 201305 informs that my name Chayan Roy and Chayan Kumar Roy are same and one person. 0040508246-1

I, Babita Sharma D/o Omprakash Sharma R/o-V-120, Gali No.-5&6, V-Block, Arvind Nagar, Delhi-110053, have changed my name to Vishakha Sharma. 0040508278-3

I Dilbagh Singh Gill R/O 1132,Sector-R.K. Puram, Delhi-110022. Have Changed my Minor Child Name Amandeep Singh Gill to Yeshwant Gill. 0040508278-4

I, Niccy S/o Shankar Lal R/o-63, Street No.13, Sarojini Park, Shastri Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Vicky Kashyap. 0040508217-1

I, Rajanish Yadav s/o Bishan Yadav @ Bishan Singh Yadav r/o WZ-634, Madipur Village, Delhi-110063, have changed my name to RAJNISH YADAV. 0040508207-2

I, Anshul Deo S/o Sh. Deo Nandan Pradhan, R/o A-411, Jalvayu Towers, Sec-56, Gurgaon-122011, Haryana, have changed my name to Anshuul Deo for all purposes. 0040508202-1

I, Anita Sharma W/o-Deepak Sharma R/o-409J Ground-Floor Plot.No.32 Janak-Park HariNagar New Delhi-110064., changed my minor son's name Anuj Sharma to Anuj Shaurya Sharma. 0040508298-6

I, Afreen Bano W/o Mohsin and D/o Riyasat Ulla R/o-B-8/80, Gali No-5, Kabir Nagar,Delhi-110094 have changed my Name to Aafrin. 0040508232-4

I Santhosh S/o Joykutty R/o House.No-38 First Floor, Sarai-Jullena, New Friends-Colony, South Delhi-110025. have changed my name to Santhosh Joy. 0040508298-3

I Roma Sharma D/o Sh.Jawahar Lal Sharma R/o B-144, Moti Bagh-1, New Delhi-110021 have changed the name of my minor daughter from Mansi to Manasvi Sharma for all purposes. 0040508206-1

I Rajatt Kalra S/o Atam Parkash R/o C-9,402 Puri Pranayam Sec 82 Faridabad have changed my name Rajat Kalra to Rajatt Kalra for all purposes. 0040508310-1

I Md Hossain Ahammed S/o MD Herastullah RZ-D- 3/149, Kh No-84 F/F, Gali No-7 Mahavir Enclave, Palam colony New Delhi-110045 have changed my name to Md Hussain Ahammad 0040508259-1

I Md Herastullah S/o Bilat Sekh Village chinishpur PS Ketukgram District Purb Burdwan West Bengal 713129 have changed my name to Md Hirastullah 0040508259-2

I Manish Saini Residing at D032 The Nest Assotech Crossing Republik, Ghaziabad-201307 have changed my son name from CHETAN SAINI to CHETTAN M SAINI for all purposes. 0040508298-1

I Kiran D/o Ashok Kumar R/o H. No.368, Chand Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Kiranjeet Kaur. 0040508259-3

I, Bishan Yadav s/o Devi Sahai r/o WZ-634, Madipur Village, Delhi-110063, have changed my name to BISHAN SINGH YADAV. 0040508207-1

खोया+पाया

I, Ranjeet Kumar S/o Raj Kumar R/o D-37, Sahyog Vihar, JJ Colony, Matiala, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have lost my certificates & marksheets of Class-10th Roll No.8754967, Year-2011 and Class-12th Roll No.7101161, Year-2013, passout from CBSE, Delhi. 0040508224-1

Lost My X/XII Pass Certificate Year 2016/2018 Roll No.8745534/9720679 CBSE Delhi Sourabh Chouhan S/o Sanjeev Kumar R/o-69 Sainik Enclave Najafgarh Delhi-110043, #9871916286 0040508280-3

Lost original, Lease Deed, Possession Letter, Allotment Letter, Supplementary Deed for property No.B-38, Mayapuri Phase-2, New Delhi-110064 favouring Neeraj Gupta & others. FIR lodged vide LR No.1384709/2019 dated:13-8-2019.Founder inform at above address. 0040508210-1

I Jagjeet Singh S/O.Faqir Singh R/O.B-58, HariNagar, New Delhi, have lost my original CBSE-12th certificate, roll.no.334564-(1990) & final year marksheet-(1993) S.G.T.B-College (eve.) DU. 0040508298-10

I Harshit Jain S/o Rajveer Jain R/o-474/A/1 Circular Road Shahdara Delhi-110032 lost my X Pass Duplicate Marksheet Year 2015 Roll No.8626182 CBSE Delhi 0040508280-4

LOST AND FOUND

The following documents are untraceable and a FIR bearing LR No 1317667/2019 dated 26 July 2019 have also been registered with the Crime Branch, Delhi Police: (1) Copy of Application dated 1st May 1981 filed by Dr Mrs Usha Chopra for allotment of a plot for nursing home; (2) Copy of Letter of allotment dated 30th December, 1981 of DDA to Dr Mrs Usha Chopra; (3) Copy of possession letter dated 20th April, 1983 issued by DDA; (4) Copy of No Objection Certificated dated 20th April, 1983 issued by DDA; (5) Copy of perpetual lease deed dated 27th April 1983 between President of India and Dr. Mrs. Usha Chopra duly registered alongwith site plan; (6) Copy of letter dated 26th March, 1985 from DDA to Dr Mrs Usha Chopra regarding approval of building plan; (7) Form C dated 30th May, 1986; (8) Copy of Appendix D dated 15th September, 1987; (9) Copy of occupancy certificated dated 12th July, 1990 issued by DDA to Mrs. Usha Chopra.
Finder may send the same to Dr. Mrs. Usha Chopra, c/o Mr Kamal Kapur, 126, Chander Nagar, Janak Puri, New Delhi (M) 9811116299.

PUBLIC NOTICE

I, Gopalan Kumar S/o V. S. Gopalan, lost my Share Certificate No. 20237 issued on 18-08-2007 pertaining to my owned property at Manzil Cooperative Group Housing Society, Flat No. 73, Plot No. 7, Sector 9, Dwarka, New Delhi-110077. Finder Contact 9810316000.

PARKHATI

Publicly informed that my Clients Shri Balbir Singh S/o Sardar Sewa Singh & Smt. Surinder Kaur W/o Sardar Balbir Singh both R/o A-116, Near Gurudwara Saha Sahib, Derawal Nagar, Delhi, decided to give 'PARKHATI' to their daughter HARSIMRAN KAUR & they hereby declare that said HARSIMRAN KAUR shall not inherit any sort of movable & immovable properties of my clients after demise of my clients and further any person doing or making any sort of monetary transaction with Harsimran Kaur, than my clients shall have no connection, liability & responsibility for any dispute.
MUKESH CHAWLA (Advocate)
Office : M-6, Mukherjee Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल राजन कुमार पुत्र स्व. श्री करमान, निवासी CC-108 शालीमार बाग, दिल्ली ने अपनी पुत्रियों ऋचा मखीजा, प्रिय मखीजा तथा शीतल मखीजा को उनके अच्छे चाल चलन और व्यवहार के चलते अपने द्वारा कराई गई सार्वजनिक सूचना बराय बेदखली को आज से निरस्त करता है भविष्य में मेरा मुवक्किल अपनी समस्त चल व अचल संपतियों पर मृत्यु उपरांत समान अधिकार प्रदान करता है। अजीत कुमार सिंह भदौरिया, अधिवक्ता चैम्बर नं0-135 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल रमेश कुमार पुत्र स्व. रणधीर सिंह, निवासी गंगा राम पाना, गांव व पोस्ट-कैर, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110043 ने अपने पुत्र नवीन कुमार एवं पुत्रवधू श्रीमति दीपिका को उसके दुर्व्यवहार एवं दुराचरण करने तथा मेरे मुवक्किल के नियंत्रण में न होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और उससे अपने सभी पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। यदि कोई व्यक्ति उससे किसी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा। मेरे मुवक्किल व उसके परिवार के सदस्यों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
हस्ता./-
संजीव वशिष्ट (अधिवक्ता)
चै.नं. 203-204, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राजा राम गोदीयाल पुत्र श्री हृदय राम गोदीयाल व इनकी पत्नि श्रीमती शशि देवी गोदीयाल निवासी:-मकान नं०-ए-23, गली नं०-4, ए-ब्लॉक, दयालपुर, दिल्ली-94 ने अपने पुत्र अनिल गोदीयाल व इसकी पत्नि संगीता गोदीयाल को इनकी बच्ची दामिनी सहित उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उसके किसी भी गलत कार्य के लिये मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।
Ashish Kumar Upadhyay (Advocate)
Off.: E-223, Main Road, E-Block, Khajuri Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Shyam Sunder Garg & his wife Saroj Garg both R/o 378, SFS Flats, Phase-4, Ashok Vihar, Delhi-52 have severed all their relations with her son Nakul Garg his wife Shefali Garg & their daughters Shanaya Garg & Saanvi Garg all R/o 1201, C-Block, M2K Appartments, Ajadpur, Delhi & has debarred / disowned them from all their movable & immovable properties with immediate effect due to their disobedience & misconduct. My client shall not be responsible for any acts & deeds done by them in future.
Sanjay Padam Jain (Advocate)
Ch. No. 463, A & B Western Wings, Tis Hazari, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Smt. Bala Devi W/o Late Rohtash R/o WZ-127, Tilak Nagar, New Delhi-18 (80 sq. yds.) has disowned & debarred her son Rakesh & daughter in-law Sonia from all her movable & immovable properties with immediate effect & severed all her relations & connections with them because they are out of control of my client & misbehave with her. Anybody dealing with them shall do so at his own risk & responsibilities thereto & my client & her family shall be in no way responsible for any act, deed & things done by them.
Advocate M. K. Jha
195, Uttam Ngr., N.D.-59

PUBLIC NOTICE

My client has entered into a deal with Inderjeet Singh for Ground Floor and First Floor of property No. 866/7, situated at Govindpuri, Kalkaji, New Delhi, if anyone have any objection contact me within 15 days of this Notice.
Brijesh Kumar (Advocate)
Chamber No. 865, Saket Court, New Delhi, Mob: 9899977107

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT I HAVE LOST THE ORIGINAL FILE OF PROPERTY BEARING PLOT NO. 394 BLOCK-S SECTOR-20 MSG 500 SQ MTRS ALLOTTED BY YAMUNA EXPRESSWAY AUTHORITY VIDE ALLOTMENT NO YEA002866 CONTAINING THEREIN ORIGINAL ALLOTMENT LETTER, PAYMENT CHALLANS AND MISC DOCUMENTS.
IF ANY PERSON FOUND THE SAME, HE/ SHE MAY CONTACT THE UNDERSIGNED WHO WILL BE SUITABLY REWARDED.
ANOOP KOHLI
A-761, SARITA VIHAR
NEW DELHI-110076

PUBLIC NOTICE

My client Iqrar Hussain S/o Manjur Hussain R/o House No. 388, Gali No. 12, G-Block, Sangam Vihar, New Delhi-110062 has severed his relations from his daughter namely Ms. Sehreen and disowned her from his entire moveable and immovable properties due to her disobedience. If anybody deals with her will do so at his/her own risks, cost and consequences. My client shall not be responsible for her any acts in future.
Vasant Kumar (Advocate)
Ch. No. 181, Saket Court, New Delh.

PUBLIC NOTICE

The name my client, Sanjiv Rana Son of Shri Nasib Singh R/o 81B, Pocket 12, Jasola Vihar, New Delhi-110025 is written as Sanjiv Kumar in his educational certificate/degree whereas in Aadhar Card etc. his name is written as Sanjiv Rana. Sanjiv Kumar and Sanjiv Rana is the name of one and same person i.e. my client. From now onwards he will be known and called as Sanjiv Rana.
Sd/-
(Ravindra Kumar Sharma)
Advocate
Ch. No. 716,
Saket Courts Complex,
New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

KNOW all men by these presents that my clients Sh. Mukesh Kumar S/o Late Sh. Gurdas Ram, and Smt. Sneh W/o Sh. Mukesh Kumar both R/o B-32/A, Sawan Park, Ashok Vihar, Delhi-110052, have severed all their relations with their son Mandeep Rana, due to his cruel behavior and extreme cruelties. Due to this all their moveable and immovable properties, who-so-ever deals with him, shall do so at his risk and responsibility in future and my clients shall not be liable for any of his acts/ conducts.
Sd/-
(C.L. GAUTAM) Advocate
Ch. No. 421 Rohini Court Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the General Public that my clients Smt. Rajshree Bangia and Sh. Mahender Kumar Bangia R/o B-44, Oriental Apartments, Sector-9, Rohini, Delhi-85, have severed all their relations with their son Varun Bangia and daughter in law Deepa Khanna Bangia and have further disowned and debarred them from all their moveable and immovable properties. Anybody dealing with them, shall do so at his/her own cost, risk and consequences. My clients shall not be responsible for their any act or conduct in any manner whatsoever.
Sd/-
YASHVANT SINGH (ADVOCATE)
Ch. No. 1104, ROHINI COURTS
DELHI-110085

PUBLIC NOTICE

The property forming part of the property bearing Mpl. Nos. 10133 to 10136 Ward no. 14, situated at Shidipura, East Park Road, Delhi regd. as document No. 3253, in book No.1, Volume No. 3132 on page No. 171 to 174 dated 13-08-1974 is owned by my client Mr. Parveen Goel S/o Mr. B.D. Goel R/o 231, Vivekanand Puri, Sarai Rohilla, New Delhi-110007. The original title Deeds of the subject property were misplaced & were not traceable dispite intense effort. There upon, my client lodged an FIR with the Police Station Crime Branch Delhi on 08-07-2019 LR. No. 1239445/2019.
Ravi Raghunath Vachher (Advocate)
25/14, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Vijay Khurana S/o Ram Saroop Khurana and Smt. Seema Khurana W/o Shri Vijay Khurana both R/o J-25, Vikaspuri, New Delhi-110018 do hereby disown and debar their son Anuj Khurana from all his movable and immovable properties with immediate effect because he is out of control of my clients. Anybody dealing with him shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.
Sd/- B.B.N.DEO ADVOCATE
SR-IInd B Coumpus, Janakpuri,N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SH. SURENDER PAL S/O LATE OM PRAKASH R/O L-13, KEDAR BUILDING, SUBZI MANDI MALKA GANJ NORTH DELHI-110007 IS ONE OF THE LEGAL HEIR OF PROPERTY BEARING NO. 1269, BLOCK-D, SUBZI MANDI, AZADPUR, DELHI-110033. THE SAID PROPERTY IS REGISTERED IN THE NAME OF MY CLIENTS FATHER LATE OM PRAKASH, WHO DIED ON 29.06.1999. THE ORIGINAL DOCUMENTS OF THE SAID PROPERTY HAVE LOST, AN NCR WAS ALSO LODGED VIDE NO. 939026/2019 DT. 14.04.2019. IF ANY PERSON WILL MAKE CLAIM REGARDING OWNERSHIP OF THE SAID PROPERTY, THE SAME SHALL BE TREATED AS NULL AND VOID.
Sd/-
SAURABH KR. SEHRAWAT, ADV.
CH. NO. 1213, ROHINI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

PROPERTY BEARING NO.W6/0 DLF PLOT PHASE 3 GURGAON

Be it known to all that Shri Gopal Krishna Saxena, r/o C-36 Navkunj Apartment, 87 I.P. Extension, Patparganj, Delhi 110 092 is the absolute and sole owner of aforesaid property. It is informed that original Builder Buyer Agreement and original allotment letter of said property executed by DLF Ltd. in favor of said Shri Gopal Krishna Saxena have been lost somewhere and are not traceable. A FIR in this regard has also been lodged with Delhi police vide LR No.1096175/2019 dated 29.5.2019 by Piyush Saxena, the son of said Shri Gopal KrishnaSaxena, who is now deceased. It is further notified that if any person/bank/F.I./Authority or Entity uses the aforesaid documents of Shri Gopal Krishna Saxena in any manner or creates any right, title, interests, lien, charge or claim of any nature by anyone with respect to said property, he/she/they shall be doing so at his/her/their own risk and costs and said Shri Gopal Krishna Saxena or any of his Legal Heir shall not be liable for the same to any one in any manner.
Pankaj Chaudhary (Advocate)
E-31, Mansarovar Garden, New Delhi 110 015
Mob.8800430090

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Sher Khan acquired the property i.e Property bearing MCF No.1225, Khewat No.658, Khata No.848, Must. No.45, Kila No.13/2(4-16), situated at village Unchagaon, Tehsil Ballabhgarh, Distt. Faridabad, vide Transfer Deed dt. 09.07.2018 executed by Mr. Suleman & Mr. Dilshad and Original Sale Deed dt. 5.3.1998 executed by Mr. Sant Ram in favour of Mr. Safi is lost, and Mr. Sher Khan is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.
AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn., Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Pramod Kr Jain acquired the property i.e. Entire Second Floor property No. A-14, East Azad Nagar, Shahdara, Delhi., vide sale deed dt. 08.05.2018. Initially Mr. Jiwan Lal acquired the entire property vide sale deed dt. 04.03.1960, he died intestate and his son Mr. Krishan lal Kapoor executed a sale deed dt.17.12.2004 in favour of Mr. Anil Kumar and after that a Relinquishment Deed dt 09.01.2009 executed by Usha Rani Chopra, Shukla Malhotra, Asha Mahendru and Madhu Bala in favour of Krishan Lal Kapoor (Lrs. Jiwan Lal Kapoor) and now Mr. Pramod Kr Jain is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.
AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn., Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

पोंजी स्कीम : तेलंगाना की कंपनी की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लांड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कई राज्यों में फैली ये संपत्तियां हीरा कंपनी समूह की प्रवर्तक नोवहेरा शेख और अन्य की हैं। ये संपत्तियां विभिन्न राज्यों में फैली हैं।

ईडी ने कहा कि उसने 299.99 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी किया है। ईडी ने बयान में कहा कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें 96 अचल संपत्तियां हैं। इनका मूल्य 277.29 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हैं। इसमें कृषि भूमि, वाणिज्यिक भूखंड, आवासीय इमारतें, वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। इसके अलावा बैंक खातों में रखे 22.69 करोड़ रुपए भी कुर्क किए गए हैं।

यह मामला हैदराबाद में हीरा समूह की ओर से चलाई गई धोखाधड़ी वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और कुछ अन्य की शिकायतों के आधार पर धनशोधन का मामला दर्ज किया है। इस समूह ने मासिक तीन फीसद या

- बंगाल में तृणमूल के बड़े नेता, पूर्व पुलिस आयुक्त से सीबीआइ ने की पूछताछ।
- ईडी ने कहा कि उसने 299.99 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के अंतरिम आदेश जारी किया है।

सालाना 36 फीसद के रिटर्न का झूठा वादा करके देश भर में करीब 1,72,000 निवेशकों से लगभग 5,600 करोड़ रुपए जुटाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि शेख ने हीरा समूह के तहत 24 कंपनियां या इकाइयां शुरू की और इन दो दर्जन इकाइयों के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में 182 बैंक खाते खोले।

दूसरी तरफ, सीबीआइ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव पार्थ चटर्जी और शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पश्चिम बंगाल में पोंजी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की। सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री चटर्जी से अब बंद हो चुके सारदा समूह द्वारा टीएमसी के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' के लिए कथित तौर पर रकम दिये जाने के सिलसिले में पूछताछ हुई। चटर्जी इसके संपादक हैं। साथ ही, सीबीआइ ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से भी करोड़ों रुपये की रोज वैली पोंजी योजना घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की।

चटर्जी से सारदा घोटाले के सिलसिले में एजंसी ने तीन घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। जांच एजंसी के साल्टलेक स्थित दफ्तर में की गई पूछताछ के बाद बाहर आने पर उन्होंने कहा, 'सीबीआइ ने मुझे व्यक्तिगत कारणों से नहीं बुलाया था, पार्टी की तरफ से बुलाया था।' तृणमूल के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन से पूछताछ में चटर्जी का नाम आने के बाद सीबीआई ने उन्हें बुलाया था। ओब्रायन पार्टी मुखपत्र के प्रकाशक हैं। जांच एजंसी ने आइपीएस राजीव कुमार से भी तीन घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। वे अभी एडीजी (सीआइडी) हैं।

पहलू खान हत्याकांड की जांच के लिए एसआइटी गठित

जयपुर, 16 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने बहुचर्चित पहलू खान प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार के शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार यह दल 15 दिन में अपनी रपट राज्य सरकार को सौंपेगा। उल्लेखनीय है कि अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को पहलू खान की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि राज्य सरकार निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी।

बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने पहलू खान प्रकरण में हाल ही आए अदालत के निर्णय की शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की। गहलोत ने इस प्रकरण की जांच में रही त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जाए जिसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी। इसके साथ ही प्रकरण की जांच के लिए एडीजी (अपराध) की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया जाएगा। यह एसआइटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एसआइटी जांच में रही त्रुटियों और अनियमितताओं को चिह्नित कर इनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा।

बयान के अनुसार इस एसआइटी का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (एसओजी) नितिनदीप बल्लगन करेंगे और इनके साथ एसपी (सीआईडी सीबी) समीर कुमार सिंह व एएसपी (सतर्कता) समीर दुबे टीम में शामिल होंगे।

मायावती ने राजस्थान सरकार को घेरा

लखनऊ,16 अगस्त (भाषा)।

पहलू खान हत्याकांड में आरोपियों को बरी किए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए इसे घोर लापरवाही बताया है। मायावती ने शुक्रवार को किए गए ट्वीट में कहा, 'राजस्थान की कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही और निष्क्रियता के कारण बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड में सभी छह आरोपी वहां की निचली अदालत द्वारा बरी कर दिए गए। यह अतिदुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां की सरकार अगर सतर्क रहती तो क्या यह संभव था? शायद कभी नहीं।'

विधायक अनंत सिंह के पैतृक मकान पर छापे में एके-47 राइफल बरामद

पटना, 16 अगस्त (भाषा)।

बिहार के विवादास्पद विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास पर शुक्रवार को छापेमारी के दौरान एक एके-47 राइफल के साथ ही बड़ी मात्रा में गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।

एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल ने मोकामा से कई बार से विधायक अनंत सिंह के ग्रामीण पटना में बाढ़ उपमंडल के नदवान गांव स्थित मकान पर छापा मारा। मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था ताकि वहां से बरामद होने वाले विस्फोटक को निष्क्रिय किया जा सके। पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कांतेश कुमार मिश्र ने यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर बाढ़ में संवाददाताओं से कहा, 'हमें सूचना मिली थी कि मकान में कुछ अवैध हथियार और विस्फोटक छुपाकर रखा गया है। तदनुसार हमने एक छापा मारा। एके-47 राइफल कागज में लपेटकर रखी गई थी। गोलियां और विस्फोटक भी बरामद किया गया और बम निरोधक दस्ता जरूरी काम करेगा।'

अनंत सिंह को 'छोटे सरकार' के नाम से भी जाना जाता है और उनका एक पुराना आपराधिक रिकार्ड हैं। सिंह को मोकामा के एक ठेकेदार की हत्या की साजिश के मामले में आवाज का नमूना देने के लिए हाल में पटना स्थित पुलिस मुख्यालय बुलाया गया था।

विधायक ने अपने पैतृक मकान पर छापेमारी पर नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई और आरोप लगाया कि ललन सिंह के इशारे पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और इसके तहत जो हथियार बरामद नहीं किए गए हैं, उन्हें बरामद दिखाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान उनके मकान में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई।

गौरतलब है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के सांसद हैं, जिसके तहत मोकामा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने इस सीट पर जीत मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भारी अंतर से हरा कर हासिल की है।

तीन तलाक पर केरल में पहली गिरफ्तारी

कोझीकोड़, 16 अगस्त (भाषा)।

तीन तलाक पर नए कानून के तहत केरल में शुक्रवार को पहली गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 31 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के लिए गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कहा कि मुसलिम महिलाओं (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 कानून के तहत राज्य में यह पहली गिरफ्तारी है। अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में ईके उस्साम को प्रथम श्रेणी न्यायकि मजिस्ट्रेट के वारंट पर मुक्कोम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजिस्ट्रेट के निर्देशों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उसकी पत्नी ने सीधे अदालत में शिकायत की थी।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति ने उसके घर आकर परिजनों के सामने तीन तलाक कहा। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने एक और महिला से शादी करने की कोशिश की और विदेश भाग गया।

सीटीईटी की अगली परीक्षा आठ दिसंबर को, आवेदन 19 अगस्त से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) आठ दिसंबर को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का आयोजन करेगा। यह सीटीईटी का 13वां सत्र होगा। सीबीएसइ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि सीबीएसइ साल में दो बार (जुलाई व दिसंबर) सीटीईटी परीक्षा लेता है। इससे पहले 7 जुलाई को आयोजित हुई थी। जिसका रिजल्ट 30 जुलाई को आया था। इसमें 23 लाख 77 हजार छात्र शामिल हुए थे।

यह परीक्षा देश के 110 शहरों में 20 भाषाओं में ली जाएगी।

सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट 'डब्लूडब्लूडब्लूडाटसीटीईटीडाटएनआइसीडाटइन' पर 19 अगस्त से एक बुलेटिन उपलब्ध होगा, जिस पर परीक्षा के पाठ्यक्रम, भाषाओं, पात्रता संबंधी मानक, परीक्षा शुल्क, परीक्षा केंद्र वाले शहरों और महत्त्वपूर्ण तारीखों का ब्योरा होगा। प्रतिभागी 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तारीख 18 सितंबर है और शुल्क का भुगतान 23 सितंबर को दोपहर तीन बज कर तीस मिनट तक है।

प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कामना की कि वह सालों तक सद्भावनापूर्वक आम लोगों की सेवा करते रहें। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को पत्र भेजा और उनकी अच्छी सेहत एवं लंबी उम्र की कामना की। मोदी ने पत्र में लिखा,'कृपया, अपने जन्मदिन पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। ईश्वर आपको अच्छी सेहत और खुशहाली प्रदान करें तथा आप वर्तमान की भांति सालों तक सद्भावनापूर्वक देश के लोगों की सेवा करते रहें।' शुक्रवार को 51 साल के हो गए आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने जन्मदिन की बधाई के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया।

हरिहर प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

इंडियन एक्सप्रेस के कर्मचारी हरिहर प्रसाद मिश्र शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। वे 1988 में संस्थान से जुड़े। हरिहर प्रसाद मिश्र इंडियन एक्सप्रेस में प्रसार विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत थे। कार्यक्रम में उनके सहयोगियों ने उन्हें विदाई देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

MBL Infrastructures Ltd.

(CIN-L27109DL1995PLC338407)
Registered & Corporate Office: Baani Corporate One, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110025
Tel No. 011-48593300; Fax No. 011-48593320,www.mblinfra.com; email : cs@mblinfra.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(Rs. in Lakhs except eanings per share data)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Audited	30.06.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited	30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Audited	30.06.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited
1.	**Total Income from Operations**	5,447	2,446	8,321	22,832	7,169	3,390	8,461	24,099
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	500	(1,406)	1,275	148	(561)	(2,043)	267	(2,183)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	500	(29,777)	1,275	(28,223)	(561)	(30,414)	267	(30,554)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	417	(29,535)	1,066	(24,124)	(379)	(30,212)	86	(26,387)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	419	(29,570)	1,084	(24,115)	(377)	(30,247)	104	(26,378)
6.	Equity Share Capital	10,475.46	10,475.46	4,145.46	10,475.46	10,475.46	10,475.46	4,145.46	10,475.46
7.	Other Equity	–	–		61,542.76			–	38,654.78
8.	**Earning Per Share (before / after extraordinary items) (of Rs. 10 each)**								
	(i) Basic	0.40	(1.37)	2.61	4.87	(0.36)	(2.15)	0.25	2.28
	(ii) Diluted	0.40	(33.83)	2.61	27.60	(0.36)	(34.60)	0.25	(30.19)

NOTES :

1. The above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5,2016 and March 29,2019.The full format of the quarterly standalone and consolidated financial results are available on the stock exchanges website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and are available on Company's website www.mblinfra.com/financial results.php
2. The above financial results which have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016 and March 29, 2019. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2019. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
3. Figures for the previous period/quarter have been reworked/regrouped/recasted wherever considered necessary.

For **MBL Infrastructures Ltd.**
Anjanee Kumar Lakhotia
Chairman & Managing Director
(DIN 00357695)

Place : New Delhi
Date : 14th August 2019

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री प्रवीण कुमार गोयल एवं सुश्री मोना गोयल ऋण खाता सं. 623751443	31–जनवरी–19* को बकाया रु. 32,40,380/– (केवल बत्तीस लाख चालीस हजार तीन सौ अस्सी रुपए)	12–अप्रैल –2019	13–अगस्त –2019 (भौतिक)	फ्लैट – 1001, 10वीं मंजिल, टॉवर डी, ब्लू मून होम्स, एनएच–58, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद के साथ निचले भू भाग का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
2.	श्री अतुल कुमार ऋण खाता सं. 614793492	31–जनवरी–19* को बकाया रु. 15,38,504/– (केवल पद्रह लाख अड़तीस हजार पांच सौ चार रुपए)	12–अप्रैल –2019	13–अगस्त –2019 (भौतिक)	फ्लैट एफ/यूएच–1228, 12वीं मंजिल, टॉवर एफ, आदित्या अर्बन होम्स, शाहपुर, बमहेट्टा, एनएच–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचले भू भाग का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
3.	श्री नवनीत मित्तल एवं श्री पुनीत मित्तल ऋण खाता सं. 610539180	28–फरवरी–19* को बकाया रु. 21,96,478/– (केवल इक्कीस लाख छियानबे हजार चार सौ अठहत्तर रुपए)	25–मार्च –2019	13–अगस्त –2019 (भौतिक)	आबंटन पत्र दिनांक 10.02.2014 के ज़रिए पीओए श्री. पुनीत मित्तल, पुत्र श्री.सतीश मित्तल के मार्फत श्री. नवनीत मित्तल, पुत्र, श्री. सतीश मित्तल के पक्ष में आबंटित आदित्य वर्ल्डसिटी, जीएच–6 गाँव शाहपुर बमहेट्टा, एनएच–24, जिला–ग़ाज़ियाबाद–201001 में स्थित फ्लैट–डी/सीए–806, तल–8, टाइप VI, टॉवर डी, 8वाँ तल, बिल्डिंग को सिटी अपार्टमेंट्स के रूप में जाना जाता है, के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, सुपर एरिया परिमाप 924 वर्गफीट।
4.	श्री विवेक मालवीय ऋण खाता सं. 605316824	28–फरवरी–19* को बकाया रु. 17,15,941/– (केवल सत्रह लाख पंद्रह हजार नौ सौ इकतालीस रुपए)	12–अप्रैल –2019	13–अगस्त –2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. I–101, ग्राउण्ड फ्लोर एमआईजी, राज रिट्रेट फेज–II, गाँव ब्रम्हपुर–भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
5.	श्री विशाल गुप्ता एवं सुश्री पिंकी गुप्ता ऋण खाता सं. 618213127	31–अक्टूबर–18* को बकाया रु. 19,21,875/– (केवल उन्नीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचहत्तर रुपए)	18–दिसम्बर –2018	13–अगस्त –2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. यूजी–4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर प्लॉट नं. 963, एलआईजी, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–1, शाहिबाबाद, गाजियाबाद और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी/रियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्र. सं. 1, 2 और 3 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **भौतिक कब्ज़ा** तथा क्र. सं. 4 और 5 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **प्रतिकात्मक कब्ज़ा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) / विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14.08.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

महिंद्रा फ़ायनांस

महिंद्रा एंड महिंद्रा फायनांशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई– 400 001.
CIN: L65921MH1991PLC059642 • टेलि: +91 22 6652 6000 • फैक्स: +91 22 2498 4170
वेबसाइट: www.mahindrafinance.com • ईमेल: investorhelpline_mmfsl@mahindra.com

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ायनांशियल एसेट्स की धारा 13 (2) और एन्फ़ोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के तहत कर्जदार को नोटिस

दिनांक: 24 जुलाई, 2019

प्रति,

1. **ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड,** बी– 31– 32, इंडस्ट्रियल इस्टेट, महरौली रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122001 एवं
ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड– एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, महरौली– गुड़गांव रोड, इंडियन एयरलाइंस पायलट सोसायटी, सुशांत लोक फेज़ ख, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बगल में
2. **श्री गुरुचरण सिंह,** हाउस नं. के– 701, एंबियंस आइलैंड, एनएच– 8, नाथूपुर (67) गुड़गांव, हरियाणा–122002
3. **श्री रोहित चड्ढा,** गुलशन चड्ढा एएम– 4, शालीमार बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली– 110088
4. **श्री भूपिंदर सिंह,** सग्गू सर्विस स्टेशन, अलीबक्श रोड, हाइड मार्केट, अमृतसर– 1, अमृतसर पंजाब–143001

सर/ मैडम,

विषय: वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के तहत नोटिस, (इसके बाद ''अधिनियम'' कहा जाएगा) मेसर्स ओरियन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नं. 9366599 धारक की ऋण राशि रु. 6 करोड़

संदर्भ: ''सैंक्शन लेटर रेफ. नं. एसएमई/ आईएनएफ/ ओपीएल– 001/ 17–18 धारक दिनांक 22 नवंबर, 2017 और सैंक्शन लेटर रेफ. नं. 181212010000048 धारक दिनांक 6 फरवरी, 2019; मास्टर फ़ेसिलिटी एग्रीमेंट दिनांक 23 नवंबर, 2017 और 20 मार्च, 2019; बंधक विलेख दिनांक 20 मार्च 2019, डिमांड प्रॉमिसरी नोट दिनांक 23 नवंबर, 2017; व्यक्तिगत गारंटी दिनांक 23 नवंबर, 2017 और 20 मार्च, 2019 को श्री रोहित चड्ढा, श्री गुरचरण सिंह और श्री भूपिंदर सिंह द्वारा निष्पादित **(इसके बाद एक साथ ''ऋण अनुबंध'' के रूप में संदर्भित)।**

महिंद्रा एंड महिंद्रा फ़ायननंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ायनांशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत, एतद्द्वारा आपको निम्नलिखित नोटिस जारी करता है:

1. आपने **रु. 6,00,00,000/– (केवल छह करोड़ रुपए)** की ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और अन्य सुविधा दस्तावेज के साथ हमारे पक्ष में एक मास्टर फ़ेसिलिटी एग्रीमेंट निष्पादित किया है। आपके द्वारा निष्पादित सुरक्षा समझौते (तों)/ दस्तावेज (जों) के प्रासंगिक विवरण में कहा गया है **अनुसूची ए (ए), अनुसूची ए (बी)** और प्रतिभूति का विवरण क्रमशः इस नोटिस की **अनुसूची बी** में विस्तृत है।
2. जैसा कि आप जानते हैं, आपने उक्त ऋण की अदायगी में चूक की है और हमारे बार–बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आप असफल हुए हैं और नीचे दी गई राशि के अनुसार अतिदेय राशि और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना उपेक्षित किया है:
3. आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और दिशा–निर्देश के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकृत किया गया है, इसलिए, हम एतद्द्वारा आपको सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ायनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत नोटिस देते हैं और आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर महिंद्रा एंड महिंद्रा फ़ायनांशियल सर्विसेज लिमिटेड को अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने का आह्वान करते हैं, कुल योग रु. **4,93,56,734.30 (रुपए चार करोड़ तिरानबे लाख छप्पन हजार सात सौ चौंतीस और तीस पैसे केवल)** जैसा 18 जुलाई 2019 को था।
4. हम आगे आपको नोटिस देते हैं कि यदि आप **रु. 4,93,56,734.30 (रुपए चार करोड़ तिरानबे लाख छप्पन हजार सात सौ चौंतीस और तीस पैसे केवल) जैसा 18 जुलाई 2019 को था)** भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक ब्याज के साथ उक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो हम अधिनियम की धारा 13 सब–सेक्शन (4) के तहत हमें दिए गए सभी अधिकार या इनमें किसी अधिकार और शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ, सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने की शक्ति शामिल हैं।
5. हम आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें आपको उपरोक्त **''पैरा 1''** में संदर्भित किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने से और हमारी लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से रोक दिया गया है **''अनुसूची– बी''** में उल्लिखित है. हम जोड़ सकते हैं कि अधिनियम की धारा 13 (13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध है।
6. आपको यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त वैधानिक निषेधाज्ञा/ नियंत्रण का कोई भी उल्लंघन अपराध है। कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस किसी अन्य अधिकार या उपायों, जो हमारे पास हो सकता है, के पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है, जिसमें आपके द्वारा हमें दी जाने वाली रकमों के संबंध में और मांग करने का बिना किसी सीमा के अधिकार शामिल है।
7. कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियताओं से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में आगे की कार्रवाई होगी।

अनुसूची– ए (ए)– सेंक्शन लेटर रेफ. नं. एसएमई/ आईएनएफ/ ओपीएल– 001/ 17–18 दिनांक 22 नवंबर, 2017; मास्टर फ़ेसिलिटी एग्रीमेंट, डीपीएन, श्री गुरुचरण सिंह और श्री रोहित चड्ढा की व्यक्तिगत गारंटी दिनांक 23 नवंबर, 2017

अनुसूची– ए (बी)– सेंक्शन लेटर रेफ. नं. एसएमई/ आईएनएफ/ ओपीएल– 001/ 17–18 दिनांक 06 फरवरी 2019; मास्टर फ़ेसिलिटी एग्रीमेंट, डीपीएन, श्री गुरुचरण सिंह, श्री रोहित चड्ढा और श्री भूपिंदर सिंह की व्यक्तिगत गारंटी दिनांक 20 मार्च, 2019

अनुसूची– बी– अचल संपत्ति का विवरण; 231/5, अली बक्श रोड, हाइड मार्केट अमृतसर पंजाब–143001 में भूमि और इमारत का प्रथम और अनन्य प्रभार. विस्तार से वर्णन इस प्रकार है: खाना शुमारी नं 231/5 कुल क्षेत्रफल 479.68 वर्ग गज (बाईं ओर) अमृतसर अर्बन हाइड मार्केट अमृतसर खसरा नं. 138/50, 139/50, 140/50, 141/50, 142/50 और 143 धारक संपत्ति से निकला भूमि/ भूखंड माप 348.23 वर्ग गज का पूरा टुकड़ा 231/5 पर स्थित न्यूनतम सीमित, अली बक्श रोड, हाईड मार्केट अमृतसर पंजाब–143001 भविष्य के शेड, संरचना, इमारत निर्माण के साथ।

स्थान: गुरुग्राम और पंजाब
दिनांक: 17 अगस्त, 2019

एसडी /
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
महिंद्रा एंड महिंद्रा फ़ायनांशियल सर्विसेज लिमिटेड

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

ट्रैफिक चालान का भुगतान ऑनलाइन करें

- अब ट्रैफिक चालान और नोटिस का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in पर ऑनलाइन भुगतान करें।
- यह भुगतान डेबिट कार्ड और एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का पता लगाने और उल्लंघनकर्ताओ को दंडित करने के लिए स्वचालित लाल बत्ती और गति उल्लंघन का पता लगाने वाली प्रणाली अब शहर के कई स्थानों पर सक्रिय है।

यातायात नियमों का पालन करना आपके ही हित में है।

24 घंटे यातायात हेल्पलाइन: 1095, 25844444

DP/9141/19

हमसे जुड़ें: https://twitter.com/dtptraffic https://facebook.com/dtptraffic/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई–मेल करें cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.5 डि.से.	32.5 डि.से.	30.6 डि.से.	31.3 डि.से.
न्यूनतम	26.6 डि.से.	26.6 डि.से.	26.6 डि.से.	26.6 डि.से.

छटा शुक्रवार को रायसीना हिल्स में सुहावने मौसन में तफरीह करते लोग।

आरएमएल अस्पताल में उद्घाटन के साथ एमबीबीएस के पहले बैच की पढ़ाई शुरू

मेडिकल कॉलेज अब अटल के नाम पर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुक्रवार को राममनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पहली पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां पहली बार स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू होगी। अभी तक यह चिकित्सा की स्नातकोत्तर पढ़ाई का केंद्र रहा है। आने वाले दिनों में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़कर 2010 की जाएगी।

बता दें कि यह अस्पताल बिलिंग्डन के नाम से 54 बिस्तरों व आठ पीजी (स्नातकोत्तर) सीटों के साथ अंग्रेजों के समय शुरू किया गया था। अब इसके बिस्तरों की संख्या बढ़ा कर 2010 करने की योजना है। शुक्रवार को इसमें एमबीबीएस पहले बैच की शुरुआत हुई है। इसके ओटी की व अन्य सुविधाओं की शुरुआत भी होगी। इस मौके पर उपराज्यपाल व गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के चांसलर अनिल बैजल , केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे व अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ वीके तिवारी भी मौजूद रहे। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अटल जी की स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता अनोखी थी। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि जब वह 1993 में स्वास्थ्य मंत्री बने तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अटल जी से बात की। वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पोलियो उन्मूलन पर खुद कैबिनेट नोट तैयार कराया, दिवंगत प्रमोद महाजन से उसे देश में आगे बढ़ाने को कहा। एक समुदाय में पोलियो के भ्रम को दूर करने में सबकी मदद ली गई। गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया था। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि तंबाकू पर रोक के लिए अटल जी ने विश्व में 170 देशों के साथ तंबाकू विरोधी आंदोलन शुरू किया। उनके मन में डॉक्टरों व मेडिकल छात्रों के लिए गहरी संवेदना थी। डॉ हर्षवर्धन ने वाजपेयी की कविताएं भी पढ़ीं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि दिल्ली में जनसंख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं व संसाधनों को और बढ़ाने की जरुरत है। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग दिल्ली में इसे बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस संस्थान की डिग्री आइपी विवि के सहयोग से दी जाएगी। स्थानीय सांसद मीनाक्षी लेखी ने अस्पताल शुरू किए जाने पर खुशी जाहिर की।

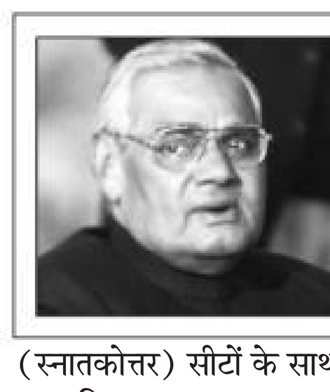

पूर्व प्रधानमंत्री की पहली पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया

खबरों में शहर

महिला ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर दी जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार सुबह एक महिला ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान अनीता के तौर पर हुई है। वह इन दिनों जहांगीरपुरी में रह रही थी। महिला के पास से मिले मोबाइल से उसके पति को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस पति और उसके मायके वालों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। महिला के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

सद्भावना रैली का होगा आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

दलित वर्गों से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं ने सुलतानपुर माजरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 19 अगस्त को कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर पूर्व विधायक जय किशन के संयोजन में सुलतानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सद्भावना दौड़ होगी। दौड़ के बाद केंद्र की भाजपा व दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकारों के खिलाफ चुनौती रैली का भी आयोजन किया गया है जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग शामिल होगें। 2001 में भी सुलतानपुरी में बहुत बड़ी दलित चुनौती रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया था।

उन्नाव मामले में गवाह का बयान दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव मामले में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान रिकॉर्ड किया। इस मामले में भाजपा से बर्खास्त किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। अदालत अन्य गवाहों के बयान सोमवार को दर्ज करेगी। अदालत ने निर्देश दिए कि मीडिया को किसी भी गवाह के बयान को पूरी तरह या आंशिक रूप से रिपोर्ट करने से बचना चाहिए, सबूतों की सराहना या फिर मामले में किसी भी तरह से टिप्पणी से भी जांच के दौरान बचना चाहिए।

निलंबित एसएचओ चार दिन की रिमांड पर

फरीदाबाद, 16 अगस्त (जनसत्ता)।

डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या मामले में पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने एसीपी (अपराध) अनिल यादव की अगुआई में एसआइटी गठित की है। एसआइटी में अपराध शाखा सेक्टर-30 के प्रभारी इंस्पेक्टर विमल, उप निरीक्षक रविंद्र और उप निरीक्षक सतीश को शामिल किया गया है। टीम ने डीएसपी को ब्लैकमेल करने के आरोपी भुपानी थाने के निलंबित एसएचओ अब्दुल सईद को शुक्रवार को न्यायाधीश शिवानी की अदालत में पेश किया। एसआइटी ने अदालत से आरोपी की पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने चार दिन की मंजूरी दी है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास : शिक्षा पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'ज्ञानोत्सव-2076' का आयोजन, इग्नू परिसर, उद्घाटन साढ़े ग्यारह बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म उत्सव, सीडी देसमुख सभागार, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम चार बजे।

हेड कांस्टेबल ने सर्विस पिस्तौल से गोली मारकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तैनात एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह स्टेशन परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ हालत में हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हेड कांस्टेबल की पहचान नरेश पंवार (50) के तौर पर हुई है। मूलरूप से बागपत, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन दिनों दिल्ली के हकीकत नगर में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस वजह से कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस मामले में आनंद विहार थाना पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। रेलवे पुलिस उपायुक्त, दिनेश गुप्ता ने बताया कि नेरश पंवार की ड्यूटी गुरुवार रात को आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पिकट पर थी। शुक्रवार सुबह स्टेशन परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि नरेश एक बेंच पर बैठा हुआ है। उनकी सर्विस पिस्तौल पास में जमीन पर पड़ी हुई है। उन्होंने अपनी दाहिने कनपटी पर गोली मार ली थी। मौके पर काफी खून बह रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और नरेश को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त ने बताया कि शुरुआती छानबीन में मामला आत्महत्या का लग रहा है। उनको न तो कोई बीमारी थी और न ही तनाव में थे। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है।

कपिल मिश्र भाजपा में आज शामिल होंगे

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह शनिवार को भाजपा में शामिल होंगे। कपिल ने मई में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था जिसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इस महीने की शुरुआत में दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।

मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि 'मैं कल सुबह 11 बजे भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं।' दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी पुष्टि की है कि एक समय केजरीवाल के करीबी रहे मिश्रा पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली भाजपा की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में 'कुछ नामचीन हस्तियां' पार्टी में शामिल होंगी।

नेमिचंद्र जैन की कविताओं का मूल्यांकन बाकी : डीपी त्रिपाठी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

जाने क्यों प्रिय/जी भरके बातें हो न सकीं/बढ़ गया दर्द इतना कि आंखें रो न सकीं/ बहुतेरा दुलराया, बहराया मन को/ पर ये जागी काली आकृतियां सो न सकीं...नेमिचंद्र जैन की इन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए राकांपा नेता, पूर्व सांसद व संस्कृतिकर्मी देवीप्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि नेमि जी की कविताओं का जिस तरह मूल्यांकन होना चाहिए था, अभी नहीं हुआ है। वे कविता को पीड़ादायी उपक्रम समझते थे, इसलिए कविताएं बहुत लिखीं लेकिन उसे नियमित नहीं रखा। नेमि जी की पूरी रचना में भाषा का संगीत निरंतर प्रवाहित मिलेगा।

नेमिचंद्र जैन शताब्दी समारोह की शुरुआत करते हुए शुक्रवार को डीपी त्रिपाठी ने कहा कि हिंदी में बहुत सारे बुद्धिजीवियों और आलोचना के लेखकों का आलोचनात्मक बौद्धिक मूल्यांकन बहुत कम हुआ है, हमें यह परंपरा विकसित करनी पड़ेगी। नेमिचंद्र जैन रचनाशील बौद्धिक, सृजनात्मक समीक्षक, कवि, नाट्यशास्त्री, पत्रकार, शिक्षक और उपन्यास की आलोचना के मानदंड को विकसित करने वाले थे। उन्हें पढ़े बगैर नाटक जानने वालों की पढ़ाई न तो शुरू हो सकती, न पूरी हो सकती। जैन के पूरे व्यक्तित्व और रचना यात्रा में सात्विक तत्त्व प्रमुख है। उनकी रचनाओं में संस्कार, विवेक, अनुराग और जीवन का निरंतर प्रवाह दिखता है। डीपी त्रिपाठी ने कहा कि कुछ दिनों पहले नटरंग प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जहां-जहां नेमिंचद्र जैन ने काम किया है वहां-वहां कार्यक्रम की कोशिश होगी। इतिहासकार रोमिला थापर ने नेमि शति व्याख्यान में कहा कि नेमिचंद्र वैसे विद्वान थे जिन्होंने विचार और लेखन के हर क्षेत्र में कार्य किया। इतिहासकारों के साथ उनका एक बौद्धिक संसर्ग था। थापर ने कहा कि जैन की रचनाएं इतिहास की तरह ही अतीत और वर्तमान के साथ निरंतर संवाद करती हैं। थापर ने धर्म और समाज के बदलते अंतर-अनुशासनात्मक संबंधों की व्याख्या की। राजनीति और समाज के बदलने के साथ व्यक्ति और अन्य का संबंध कैसे बदलता है इसके उदाहरण में उन्होंने कई ऐतिहासिक संदर्भों के साथ लिंगायत और कबीरपंथी जैसे समुदायों के बदले स्वरूप के बारे में बताया। त्रिपाठी ने कहा कि रोमिला थापर एक्टिविस्ट एकेडमिक नहीं रही हैं लेकिन मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। आपातकाल को याद करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग भूमिगत थे वे थापर के यहां बैठक किया करते थे। लोगों ने उन्हें सावधान भी किया कि इससे उन पर खतरा हो सकता है लेकिन उनके घर में वे बैठकें बंद नहीं हुईं। इनका व्याख्यान सुनने के बाद चेखव की पंक्तियां याद आती हैं कि साहस बौद्धिकता की बड़ी बहन है।

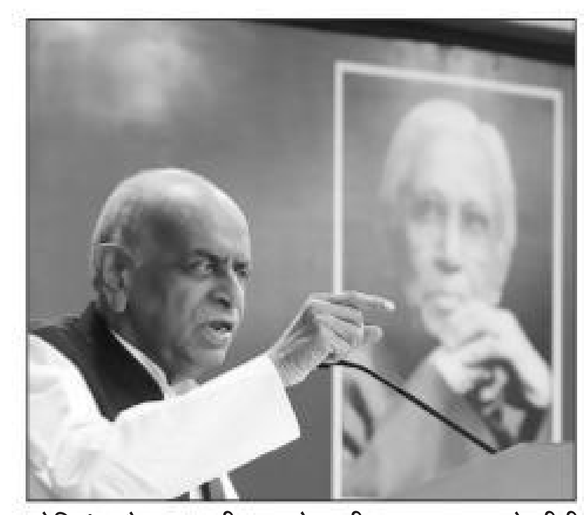

नेमिचंद्र जैन शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करते डीपी त्रिपाठी। फोटो : अरुष चोपड़ा

पतंग उड़ाते समय तार की चपेट में आए किशोर की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

रणहोला थाना क्षेत्र में पतंग उड़ाते समय 13 साल का एक लड़का हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गया। इस दौरान लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान फैजान के तौर पर हुई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक फैजान विकास नगर में परिवार के साथ रहता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। फैजान की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि फैजान अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजन उसे लेकर तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गए। गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फैजान ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि छत गीली होने की वजह से वह हाईटेंशन तारों की चपेट में आया था।

निर्माणाधीन इमारत में करंट लगने से शख्स की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

द्वारका उत्तरी थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत की केयरटेकर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान उचित सिंह (55) के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं, परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस के मुताबिक उचित सिंह परिवार के साथ मधु विहार, उत्तम नगर इलाके में रहते थे। वह प्लॉट नंबर-17, सूरज विहार, ककरोला मोड के पास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में केयरटेकर के रूप में काम करते थे। पुलिस को बुधवार को एक निर्माणाधीन इमारत में करंट लगने से एक शख्स की मौत होने की सूचना मिली।

चुनाव नजदीक देख केंद्र से तालमेल दिखा रहे केजरीवाल : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। इन चुनाव की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अब केंद्र सरकार से तालमेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार ने 54 माह तक दिल्ली वालों को केवल गुमराह किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 29 अक्तूबर से मुफ्त बस सफर को एक धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम जनता को मुफ्त के सब्जबाग दिखाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते साढ़े चार साल से दिल्ली सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। इस वजह से ही दिल्ली में पहले निगम चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हुई है। आम जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। जनता के इस फैसले से साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है। इस घबराहट की वजह से ही एक के बाद एक मुफ्त योजना की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बार-बार कई घोषणाएं की हैं लेकिन आज तक इन योजनाओं को लागू नहीं किया है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। इस समय दिल्ली के पास केवल 3000 बसें ही रह गई हैं। ये बसें भी काफी पुरानी हैं और बीच राह में यात्रियों को छोड़ रही हैं जबकि दिल्ली को करीब 20 हजार बसों की आवश्यकता है।

अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में अमेरिका में नौकरी दिलवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जब पीड़ित उनके ठिकाने पर पहुंचा तो पता चला कि आरोपी कमरा खाली कर फरार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित विनोद तुली के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित विनोद तुली गीता कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। उनका गीता कॉलोनी के ब्लॉक-7 में सीमा टेलीकॉम नाम से मोबाइल का शोरूम है। विनोद के अनुसार नवंबर 2018 में दीपक नामक का एक शख्स उनकी दुकान पर आया था और उसने एक महंगा फोन खरीदा था।

मुफ्त यात्रा के लिए 150 करोड़ रुपए की जरूरत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

दिल्ली में महिलाओं को मेट्रो, डीटीसी व कलस्टर बस सेवा में निशुल्क सफर कराने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक, इस धनराशि में 90 करोड़ डीटीसी, 50 करोड़ कलस्टर व 10 करोड़ मेट्रो सेवा पर खर्च होंगे। योजना को लागू करने के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद अब योजना पर वित्त विभाग तेजी से काम कर रहा है।

दिल्ली सरकार महिलाओं को निशुल्क सफर दिवाली के बाद भाईदूज से शुरू करना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि इस योजना के तहत बस में सफर करने वाली महिलाओं को एक गुलाबी टिकट जारी किया जाएगा। इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकेगा लेकिन इस टिकट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि मामले में यह भी प्रस्ताव किया गया था कि इस टिकट की जगह पर महिलाओं को एक पास जारी किया जा सकता है, जो आधार कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। इसकी मदद से यात्रा करने वाली महिला की पहचान भी सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। इसलिए वन टाइम टिकट जारी करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इस योजना का पहला चरण लागू होने के बाद दिल्ली सरकार चाहती है कि अगले चरण में कलस्टर बस सेवा और मेट्रो को भी इस योजना से जोड़ा जाए। इसलिए सरकार अभी से इसके लिए भी वित्तीय प्रावधान करना चाहती है। कलस्टर बस का संचालन दिल्ली सरकार की भागदारी से हो रहा है। ये बसें निजी ऑपरेटर के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इस राहत का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए सरकार ने टिकट जांच के लिए विशेष जांच टीमें तैनात करने के आदेश दिए हैं। जो इन कलस्टर बसों पर कड़ी निगरानी रखेंगी। इसके दोनों सेवाओं के बाद ही दिल्ली सरकार इस योजना मेट्रो में लागू करेगी।

महिलाओं के लिए निशुल्क सफर योजना को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर व हरीश खुराना ने सरकार पर ही सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीते माह दिल्ली सरकार ने प्रलोभन की तरह इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

राष्ट्रपति को भेंट किया 'हिंदी साहित्य ज्ञान कोश'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

भारतीय भाषा परिषद और वाणी प्रकाशन की साझेदारी से निर्मित 'हिंदी साहित्य ज्ञान कोश' शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया। वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण माहेश्वरी, निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल, प्रधान संपादक शंभूनाथ, कुसुम खेमानी, अध्यक्ष भारतीय भाषा परिषद, विमला पोद्दार, मंत्री, भा.भा.प. विवेक गुप्त पूर्व सांसद, राज्यसभा उपस्थित थे।

सात खंडों के 'हिंदी साहित्य ज्ञान कोश' के लोकार्पण पर प्रधान संपादक शंभूनाथ ने कहा कि हिंदी साहित्य, दर्शन, इतिहास, आलोचना आदि सभी विषयों को समाहित किए हुए यह सात खंडों का महती ज्ञान कोश हिंदी साहित्य में पहला ऐसा प्रयास है जो शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों के अलावा आम पाठकों के लिए भी उतना ही लाभप्रद है। पिछले पचास सालों में दुनिया में ज्ञान के जो नए विस्फोट हुए हैं, उनकी रोशनी में एक तरह से भारतीय भाषाओं में हिंदी में बना यह पहला ज्ञानकोश है। यह विद्यार्थियों और आम हिंदी पाठकों के बौद्धिक क्षितिज के बहुतरफा विस्तार में सहायक हो सकता है। देश भर के लगभग 275 लेखकों ने प्रविष्टियां लिखीं और उनके ऐतिहासिक सहयोग से ज्ञान कोश बना।

शंभूनाथ ने कहा कि यह ज्ञान कोश पूरे हिंदी संसार का एक सपना था। जिस भाषा में अद्यतन ज्ञान कोश न हो, उसे दरिद्र मानना चाहिए। एक स्वतंत्र देश में हरेक को अपनी राष्ट्रीय भाषा में उच्च ज्ञान और अध्ययन का अधिकार है। अंग्रेजी की ओर झुकने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हिंदी साहित्य ज्ञान कोश इसमें यह आत्मविश्वास पैदा कर सकता है कि हिंदी उच्च ज्ञान का द्वार बन सकती है।

हिंदी में ज्ञान के आकाश की विस्तृत घटनाओं को जाना जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। यह आम नागरिकों के लिए पानी और मोबाइल की तरह जरूरी है। इंटरनेट के दौर में इसकी उपयोगिता के सवाल पर शंभूनाथ ने कहा कि जिस तरह से पानी का विकल्प कोकाकोला नहीं हो सकता उस तरह से मुद्रित ज्ञान का विकल्प इंटरनेट नहीं हो सकता। वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण माहेश्वरी ने बताया कि इसमें 2660 प्रविष्टियां हैं। यह सात खंडों में 4560 पृष्ठों का है। इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास, साहित्य सिद्धान्त आदि के अलावा समाज विज्ञान, धर्म, भारतीय संस्कृति, मानवाधिकार, पौराणिक चरित्र, पर्यावरण, पश्चिमी सिद्धांतकार, अनुवाद सिद्धांत,नवजागरण, वैश्वीकरण, उत्तर-औपनिवेशिक विमर्श आदि कुल 32 विषय हैं।

epaper.jansatta.com

रेल यात्रियों को 32 स्टेशनों पर मिलेंगी होटल जैसी सुविधाएं

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

रेल यात्रियों को अब स्टेशनों पर ही होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नए विश्रामालयों में यात्रियों की सुविधा के लिए खानपान और किताबें जैसी तमाम सुविधाएं शामिल होंगी। यह कार्य निजी एजंसियों की मदद से होगा और इसके लिए यात्रियों को एक निर्धारित शुल्क देना होगा। रेल मंत्रालय देश भर में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे नए विश्रामालय तैयार कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसे 32 रेलवे स्टेशन चिह्नित किए गए हैं।

इन स्टेशनों पर वातानुकूलित व सामान्य श्रेणी के विश्रामालय उपलब्ध होंगे। इन सेवाओं के लिए संचालन करने वाली एजंसियों की भी तलाश शुरू हो गई है। वर्तमान में जिन रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालय हैं, वहां खानपान की सुविधा नहीं है। इस वजह से नए विश्रामालयों का शुल्क थोड़ा अधिक हो सकता है। हालांकि अब तक इसका शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है। इस शुल्क को 3, 6, 12, 24 और 48 घंटे के आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए स्टेशन के आसपास के बाजार भाव को आधार बनाया जाएगा। रेलवे का लक्ष्य होगा कि बाजार की तुलना में अधिक

- यह कार्य निजी एजंसियों की मदद से होगा।
- नए विश्रामालयों में होगी खानपान की भी सुविधाएं।
- शुल्क निर्धारण के लिए स्टेशन के आसपास के बाजार भाव को आधार बनाया जाएगा।

यात्री उसके विश्रामालयों में ठहरें। जिन 32 जगहों पर ये सेवाएं जल्द उपलब्ध होंगी उनमें जयपुर, लखनऊ, आगरा, टाटा, गोरखपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, रायपुर, थाने, नागपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

देश भर में करीब 8000 स्टेशन हैं। इन स्टेशनों को यात्रियों की आवाजाही व कमाई के आधार पर सात श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के आधार पर ही नए विश्रामालय तैयार किए जा रहे हैं। अभी देश भर में यह सेवा 504 से अधिक स्टेशनों पर उपलब्ध है, जहां पर 2000 विश्रामालय चलाए जा रहे हैं। नई जगहों को यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने संवारो, संचालित करो और सौंप दो की नीति का पालन किया है। यह नीति स्टेशनों को संवारने के लिए 2016 में तैयार की गई थी। लखनऊ, काचीगुडा, जयपुर, बिलासपुर, मडगांव, तिविम, सियालदाह, उडुपी, वडोदरा, तिरुपति और मदुरै में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

अभी रेलवे तीन श्रेणियों में यात्रियों को विश्रामालय की सेवाएं देता है। इनमें वातानुकूलित, डीलक्स व सामान्य सेवाएं शामिल हैं। इसमें वातानुकूलित श्रेणी के लिए 3 से 24 घंटे के लिए लिए 500 से लेकर 1500 रुपए का शुल्क देना होता है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह शुल्क 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक तय है। इन सभी दरों में जीएसटी को भी शामिल किया जाता है।

जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी लेने एम्स पहुंचे राष्ट्रपति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई मंत्रियों ने शुक्रवार को अस्पताल पहुंच कर उनकी हालत का जायजा लिया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों का दल लगातार उनकी स्थिति पर निगाह रखे हुए है। एम्स सूत्रों के मुताबिक बीच में उनको दवाओं का असर हो रहा था लेकिन अभी स्थिति गंभीर ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी एम्स पहुंचे और डॉक्टरों से मिलकर जेटली के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जेटली नौ अगस्त से एम्स में भर्ती हैं। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सीएन सेंटर के गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में भर्ती किया गया है। राष्ट्रपति के अस्पताल पहुंचने पर इस दौरान वहां मौजूद थे।

भाखड़ा बांध से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी, लोगों से चौकन्ना रहने की अपील

जलंधर, 16 अगस्त (भाषा)।

शुक्रवार को भाखड़ा बांध से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने जलंधर जिले में सतलुज नदी के आसपास और निचले इलाकों में रहने वालों को चौकन्ना रहने को कहा है।

जलंधर के उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद जलाशय से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा। शनिवार तक जिले में इस पानी के पहुंच जाने की संभावना है।

मौसम विभाग ने भी अगले तीन दिनों के दौरान जिले में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

केनरा बैंक Canara Bank

टैगोर गार्डन शाखा

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर के लिये मांग सूचना

सेवा मेंः 1. मै. हैप्पी एकॉस्टिक्स प्रा. लि. (ऋणधारक/मार्टगैजर)
सी–डब्ल्यू 15, भू तल, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली–110018
साथ हीः 92/8, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग नगर, मुंडका, नई दिल्ली–110041
2. श्री अमरजीत सिंह कालरा (गारन्टर/मार्टगैजर) के नं. 66/166, नीरजपुरा, तहसील अमृतसर, अमृतसर
साथ हीः आर/ओः सी–130, प्रथम तल, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015
3. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा (गारन्टर), आर/ओः सी–130, प्रथम तल, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015
साथ हीः ई–49, गुरुनानकपुरा, जेल रोड, नई दिल्ली–110018

प्रिय महोदय,

विषयः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना
कि, श्री/श्रीमती/मै. ने हमारी टैगोर गार्डन शाखा, नई दिल्ली से समय–समय पर निम्न ऋण/साख सुविधाएं प्राप्त की हैंः

		ऋण राशि	6.7.2019 को देयता	ब्याज दर
निधि आधारित	पीसी/पीसीएफसी/एफडीबी/ई (पीबी) एलसी/ओ/एनपीबीएलसी)	3850.00		13.75 % + 2% दण्ड ब्याज 7.7.2019 से
	सब लिमिटः			
	पीसी/पीसीएफसी	(1000.00)	98028390.00	13.95% + 2%
	एफडीबी/ई	(3500.00)	316331626.00	दंड 7.7.2019 से
	एडहॉक एफडीबी/ई	400.00		
	ओसीसी/ओडीबीडी	150.00	18499564.65	15.70% + 2% दण्ड 7.7.2019 से
गैर निधि आधारित	निल	निल	निल	निल

उपरोक्त ऋण/साख सुविधाएं हमारे पक्ष में आपके द्वारा निष्पादित संबंधित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ नीचे अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित परिसम्पत्तियों की गिरवी द्वारा विशेष रूप से प्रतिभूत है। चूंकि आप, विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी देयताओं को निष्पादित करने में विफल रहें हैं, बैंक ने 27.5.2019 को इस ऋण को एनपीए में वर्गीकृत कर दिया। अतएव, विषय अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना को जारी कर आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर उपचयित तथा अद्यतन ब्याज एवं अन्य खर्चे के साथ रु. 432859580.65 (रुपये तैंतालिस करोड़ अटठ्ाईस लाख उनसठ हजार पांच सौ अस्सी तथा पैंसठ मात्र) का भुगतान कर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा हम विषय अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अथवा किसी भी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

पुनः एतद्द्वारा आपको हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी तरीके से अनुसूची में वर्णित किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के कारोबार से निषिद्ध किया जाता है। यह विषय अधिनियम एवं/अथवा प्रचलित किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत हमें उपलब्ध किसी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

यह मांग सूचना शाखा के अभिलेख में उपलब्ध आपके अंतिम ज्ञात पते पर विधिवत अभिस्वीकृत पंजीकृत डाक द्वारा भी आपको जारी की गई थी।

अनुसूची

गिरवी रखी गई/हाइपोथेकेटड परिसम्पत्तियों का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
स्टॉक के विवरण, फरवरी, 2019 के अनुसार बुक डेब्ट्स 2497.84 (स्टॉक्स) एवं 4820.53 (बुक डेब्ट्स) का हाइपोथेकेशन।
31.3.2017 को एबीएस के अनुसार रु. 206.56 लाख की कम्पनी की डब्ल्यूडीबी की मशनरी एवं उपकरणों का हाइपोथेकेशन।
श्री अमरजीत सिंह कालरा (निदेशक) के नाम में नीरजपुरा, तहसील अमृतसर, जिला अमृतसर में खसरा नं. 9/2/2 (0–13), 10/1/1 (0–3), 10/1/3 (0–11), 11/1 (5–7), 12/1 (3–17), खतोनी नं. 102/190, कुल क्षेत्रफल माप 6 कनाल 9 मरला (3902.55 वर्ग यार्ड्स) में सम्पत्ति (औद्योगिक प्लॉट) का ईएमटी। चौहद्दीः पश्चिमः सड़क, उत्तरः बसन्त पैलेस, दक्षिणः रोड, पूर्वः सिकन्दर कुमार एवं पवन कुमार की सम्पत्ति।
मै. हैप्पी एकॉस्टिक्स प्रा.लि. के नाम में ग्राम मुंडका, दिल्ली–110041 की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 92/8 मिन (0–07) एवं 92/9/1 मिन (0–13) में स्थित भूमि माप 1 बीघा (1008.00 वर्ग यार्ड्स) में शामिल सम्पत्ति का ईएमटी।

तिथिः 8.7.2019 स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना : कश्मीरी छात्रों के लिए दाखिले की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए जम्मू–कश्मीर के चयनित छात्रों को विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए अंतिम समय सीमा शुक्रवार को एक महीना बढ़ा दी। कोर्ट ने जम्मू–कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर समय सीमा बढ़ाई है।

जम्मू–कश्मीर प्रशासन ने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) की काउंसलिंग 30 जुलाई को पूरी हो गई थी। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के लिए चुने गए छात्रों को 15 अगस्त तक दाखिला लेना था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से लागू प्रतिबंधों के कारण वे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सके।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के कारण दाखिले के लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। एआइसीटीई को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने कहा, 'हम याचिका स्वीकार करते हैं और पीएमएसएसएस के लिए चयनित छात्रों के लिए अंतिम समय सीमा 15 सितंबर, 2019 तक बढ़ाई जाती है।'

सूचना

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सदस्यों व कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि भारत चुनाव आयोग के अनुसार आज की तारीख में पार्टी की कोई भी कार्यकारिणी वैध नहीं है।

अतः पार्टी की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए **दिनांक 03.09.2019 को प्रातः 11 बजे से नदवासराय (भारतीय स्टेट बैंक के सामने)** स्थान पर एकत्रित हो, और सदस्यता के प्रमाण के साथ निवार्चन कार्ड, पैनकार्ड और दो फोटो साथ में लाएं।

मतलुबुर्रहमान (मो0 7860472682)
नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी

NOTICE

NOTICE is hereby given that the NBFC Certificate bearing No. B.14.02583 dated March 18, 2002 of KANGAN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED, CIN: U65993DL1994PTC060516 having Regd.Off. at 122, Arihant Nagar, Punjabi Bagh (West), New Delhi- 110026 has been lost. An application for issue of duplicate certificate in respect thereof has to be applied to RBI. Objections, if any, against issuance of such Duplicate Certificate should be made within 15 days from the date of publication of this notice. It is further requested to return this Certificate to the company/RBI, if found, and a warning is issued to public against misutilisation of certificate by anyone.

For and on behalf of
Kangan Consultancy Private Limited
Sd/-
Director

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी

शिमला, 16 अगस्त (भाषा)।

मौसम विभाग ने सप्ताहांत में हिमाचल के कई जिलों के लिए भीषण वर्षा की 'लाल चेतावनी' जारी की है। वहीं पूरे राज्य के लिए 'नारंगी चेतावनी' जारी की है। उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी जिलों में 17 अगस्त जबकि कांगड़ा, शिमला, सोलान और मंडी जिलों में 18 अगस्त के लिए लाल चेतावनी जारी की है।

जब लाल चेतावनी जारी की जाती है तो लोगों से उन क्षेत्रों से दूर रहने को कहा जाता है जहां खतरा मंडराता है। उनसे आपात सेवाओं और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने की भी अपील की जाती है।

शिमला मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि शनिवार और रविवार को 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर 115.5 मिलीमीटर या उससे अधिक की भीषण वर्षा होने की आशंका है।

'यह कश्मीरियों के साथ खड़े होने का वक्त'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

कुछ गांधीवादी शख्सियतों व समाजवादी संस्थाओं ने कश्मीर के ताजा हालात पर साझा बयान जारी कर कहा कि जिस तरह भारतीय गणराज्य का एक राज्य देश के नक्शे से गायब हो गया, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता का विषय है। प्रेस को जारी साझा बयान में उन्होंने कहा–आज कश्मीर में उपजे शून्य को भरने की जिम्मेदारी हमारी है। कश्मीरियत की रक्षा होनी चाहिए। संकट की घड़ी में कश्मीरियों के साथ नागरिक व सामाजिक संगठनों को खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि वे इस मौके पर जश्न न मनाएं। उन्होंने इस दौर को जश्न का नहीं बल्कि सहानुभूति और एकजुटता वाला दौर बताया।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIRCLE OFFICE, CENTRAL DELHI,
4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone : 011-25713518

Punjab National Bank is organizing a bottoms-up Pan India consultative process from the branch level upward in form of meetings on **17th and 18th August 2019.** This will cover regional level group consultations involving all branches within that particulars region. It will involve discussions at the branch / regional level, SLBC/State level and national level.

The consultations will cover themes, viz: Increasing digital payments, corporate governance in PSBs, Credit for India's MSME, Use of technology in PSBs, Retail lending, Agricultural credit, Export credit in India, Need to establish financial grid-taking forward PMJDY, enabling bank credit towards a $ 5 trillion economy.

Some of the expected outcomes of the Bankers' meets are as follows:

- **Alignment of Banking with national priorities.**
- **Synchronisation of banking with area-specific issues and growth potential.**
- **Role of PSBs as active partners in the Indian growth story**
- **Generation of ideas for creating a roadmap for the future.**
- **Comparative rankings based on performance, both within and across banks.**

Senior officials from Head Office will visit various zones & regions and be part of the meetings.

आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
CIN:L74900DL1992PLC047055
पंजी. कार्या.: बी–97, आल हेवन्स बिल्डिंग, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110052
वेबसाईट: www.rciind.com, ई–मेल: anandpandey@rciind.com, टेली: 011-27372194, फैक्स: 011-27371334

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(आईएनआर लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2019	समाप्त तत्स्थानीय तिमाही 30.6.2018
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	22037.78	200339.89	39488.30
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	369.80	4565.13	642.63
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1297.94)	4565.13	642.63
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1276.94)	3666.57	457.48
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(1318.64)	4067.44	458.49
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1343.64	1343.64	1343.64
	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
	(क) मूल (रु.)	(9.50)	27.29	3.40
	(ख) तरल (रु.)	(9.50)	23.39	2.92

टिप्पणीः

1. स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर अतिरिक्त जानकारीः

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2019	30.6.2018 को समाप्त तत्स्थानीय तिमाही
		(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
I	टर्नओवर	16353.20	164235.84	38813.49
ii	कर से पूर्व लाभ	(1331.54)	2651.62	596.09
iii	कर से बाद लाभ	(1310.17)	1753.07	410.94

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। स्टैण्ड एलॉन एवं 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.rciind.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
राजीव गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN- 00503196

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 14.8.2019

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ujjivan
UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
Build a Better Life

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as Ujjivan Small Finance Bank Limited on July 4, 2016 at New Delhi as a public limited company under the Companies Act, 2013, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("**RoC**"). Our Promoter, Ujjivan Financial Services Limited ("**UFSL**") was granted the in-principle approval to establish a small finance bank ("**SFB**"), by the RBI, pursuant to its letter dated October 7, 2015. Subsequently, UFSL received the final approval for our Bank to carry on the SFB business in India, pursuant to a letter dated November 11, 2016 issued by the RBI. Our Bank commenced its business with effect from February 1, 2017 and was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 3, 2017 issued by the RBI. For further details, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 128 of the Draft Red Herring Prospectus dated August 14, 2019 (**"DRHP"**).

Registered Office: Plot No. 2364/ 8, Khampur Raya Village, Shadi Kampur, Main Patel Road, New Delhi 110 008, India; **Tel:** +91 11 3043 2121
Corporate Office: Grape Garden, No. 27, 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 560 095, Karnataka, India; **Tel:** +91 80 4071 2121
Website: www.ujjivansfb.in; **Contact Person:** Chanchal Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** ipo@ujjivan.com; **Corporate Identity Number:** U65110DL2016PLC302481

OUR PROMOTER: UJJIVAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹12,000 MILLION ("ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹1,200 MILLION, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE UFSL SHAREHOLDERS ("UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION"). THE UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION SHALL NOT EXCEED [•]% OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. THE ISSUE LESS THE UFSL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), CONSIDER A PRE-ISSUE PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹3,000 MILLION (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE UNDERTAKEN PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM ISSUE SIZE CONSTITUTING AT LEAST 10% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

THE FACE VALUE OF OUR EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SHALL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITIONS OF [•], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER (HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**") and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") ("**QIB Portion**"), provided that our Bank may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBs) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "*Issue Procedure*" on page 325 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed a DRHP with SEBI on August 16, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI, at www.sebi.gov.in and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e., Kotak Mahindra Capital Company Limited, IIFL Securities Limited and JM Financial Limited at www.investmentbank.kotak.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com, respectively. Our Bank invites members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI to SEBI and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Bank and/or the BRLMs with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Bank or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, the BRLMs and/or Company Secretary and Compliance Officer of the Bank on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved bySEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 21 of the DRHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license, the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE ISSUE
kotak® Investment Banking	IIFL SECURITIES	JM FINANCIAL	KARVY FINTECH
Kotak Mahindra Capital Company Limited 1st Floor, 27 BKC, Plot No. 27 G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4336 0000 **E-mail:** ujjivansfb.ipo@kotak.com **Investor grievance e-mail:** kmccredressal@kotak.com **Website:** www.investmentbank.kotak.com **Contact Person:** Ganesh Rane **SEBI Registration No.:** INM000008704	**IIFL Securities Limited** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013 Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4646 4600 **E-mail:** usfbl.ipo@iiflcap.com **Investor grievance e-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Website:** www.iiflcap.com **Contact Person:** Vishal Bangard/ Anant Gupta **SEBI Registration No.:** INM000010940	**JM Financial Limited** 7th Floor Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** ujjivansfb.ipo@jmfl.com **Investor grievance e-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	**Karvy Fintech Private Limited*** Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32 Gachibowli Financial District Nanakramguda, Hyderabad 500 032 **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** einward.ris@karvy.com **Investor grievance e-mail:** USFB.ipo@karvy.com **Website:** www.karisma.karvy.com **Contact Person:** Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221 *Formerly known as KCPL Advisory Services Private Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Bengaluru
Date : August 16, 2019

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the websites of the BRLMs i.e., www.investmentbank.kotak.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "*Risk Factors*" on page 21 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision and such investment decision must be made solely on the basis of the Red Herring Prospectus ("**RHP**") once filed with the RoC. The Equity Shares when offered through the RHP are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "**Rule 144A**") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

आचरण का सवाल

पिछले कुछ सालों में देश की न्यायपालिका को अपने भीतर ही अमर्यादित आचरण की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। चिंताजनक बात तो यह है कि इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम ले रहीं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। इससे न्यायपालिका की छवि और साख धूमिल होती है। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर देश के प्रधान न्यायाधीश ने अपने संबोधन में अमर्यादित आचरण की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। वे सबसे ज्यादा व्यथित इस बात से नजर आए कि अदालतों में अब शालीनता नहीं रह गई है और अदालतों में जिरह के दौरान जिस तरह का मुखर आचरण देखा जा रहा है, वह एक स्वस्थ न्यायपालिका की निशानी नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि देशभर की अदालतों में इस तरह के दृश्य आम हैं। जिला स्तर की अदालतों में तो कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये अदालतें हैं या कुछ और। वकीलों का आपस में लड़ना, जजों के साथ अप्रिय संवाद के अनेक किस्से देखने को मिल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं और न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों का आचरण न्यायपालिका के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर देता है।

इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा उसका सार यही है कि न्यायपालिका को इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों से बचाना सबसे पहला काम होना चाहिए। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अदालतों में बढ़ते अमर्यादित आचरण को लेकर प्रधान न्यायाधीश ने कुछ कहा है। तीन साल पहले भी तबके प्रधान न्यायाधीश ने इसी मसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। नोटबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों के ऊंची आवाज में बोलने पर वे इतने आहत हुए थे कि उन्हें अदालत में यह कहना पड़ा कि मैंने अपने जीवन में अदालत में वकीलों का ऐसा दुर्व्यवहार नहीं देखा। एक वरिष्ठ वकील के सीमाएं लांघने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए था कि आए दिन वकील अदालतों में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे अदालत में नहीं हों बल्कि किसी मछली बाजार में हों। इस बात को तीन साल गुजर चुके हैं। जाहिर है, न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं आया। इसीलिए गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश ने इस तरह की घटनाओं पर फिर से अपनी बात रखी।

अदालत में जजों के सामने ऊंची आवाज में बोलने को लेकर कई बार तो जजों को ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी तक देनी पड़ी है। सवाल है कि अदालतों को अमर्यादित आचरण वाली घटनाओं से बचाया कैसे जाए? कई बार वकील उग्रता पर उतारू हो जाते हैं और अप्रिय घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि ऐसा करने वालों की पहचान होनी चाहिए और इन्हें अदालती व्यवस्था से अलग-थलग किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में यह इतना आसान है नहीं। इसके लिए बार कौंसिल, बार एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को ही पहल करनी होगी। अगर अदालतों की गरिमा को चोट पहुंचती है तो जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जाता। अदालतों को लोग न्याय के मंदिर के रूप में देखते हैं। ऐसे में अगर न्याय के इन मंदिरों में कुछ भी गलत या अप्रिय होता है तो न्याय को लेकर भी लोगों में संदेह पैदा होता है। अगर अदालतों को जनता के बीच अपनी साख और विश्वास बनाए रखना है तो उससे जुड़े सभी पक्षों को अपने आचरण को मर्यादित बनाना होगा।

बेखौफ अपराधी

चंडीगढ़ में दो बहनों की हत्या की घटना ने एक बार फिर शहर को दहला दिया है और इस बात को भी रेखांकित किया है कि अपराधी किसी कानूनी कार्रवाई और पुलिस के भय के बिना अपनी मनमानी को अंजाम दे रहे हैं। सही है कि पुलिस हर वक्त सभी जगहों पर मौजूद नहीं रह सकती है। लेकिन अगर पुलिस महकमे के कामकाज की शैली ऐसी हो, जिसमें हर मामले में तुरंत कार्रवाई और सख्ती साफ दिखे तो अपराधियों को भीतर एक खौफ काम करेगा और किसी अपराध को अंजाम देने से पहले वे उसके नतीजों पर सोचेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में एक पीजी में रहने वाली दो बहनों की हत्या के संबंध में जो ब्योरे सामने आए हैं, उनसे साफ है कि हत्यारे के भीतर शायद किसी का भय नहीं था। खबरों के मुताबिक अपराधी युवक सुबह पांच बजे के आसपास उस मकान में घुसा और चाकू या धारदार हथियार से दोनों बहनों की हत्या करके आराम से निकल गया। घटनास्थल की जांच से पता चला है कि युवक के हमले के बाद दोनों बहनों ने अंतिम दम तक उसका सामना किया, लेकिन जान बचाने में नाकाम रहीं।

अब एक रिवायत की तरह पुलिस का कहना है कि वह अपराधी को खोज निकालेगी। लेकिन पुलिस की ऐसी सक्रियता अपराधों के पहले क्यों नहीं दिखती, जिससे किसी को अपराध को अंजाम देने से पहले रोका जा सके। पुलिस या फिर कानून-व्यवस्था की सख्ती से अपराधी तत्त्वों के बीच एक संदेश जाता है। लेकिन सुरक्षा-व्यवस्था के सरकारी या पुलिस महकमे के इंतजाम के अलावा क्या अपने स्तर पर भी अपराधों को लेकर जागरूकता, सावधानी और आस-पड़ोस को लेकर संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है? चंडीगढ़ में जिस कमरे में दो बहनों की हत्या हुई, क्या उस दौरान आसपास कोई और नहीं था? अगर उस इमारत का इस्तेमाल पीजी यानी पेइंग गेस्ट को रखने के तौर पर भी किया जाता था तो उसमें रहने वालों और खासतौर पर अकेले रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? सुबह पांच बजे दोनों बहनों के कमरों में दाखिल होने और हत्या करके आराम से भाग जाने के मौके के लिए क्या वहां सुरक्षा गार्ड का नहीं होना जिम्मेदार नहीं है? हालांकि इस सबसे पुलिस की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। आम लोगों के बीच सुरक्षा बोध दरअसल पुलिस महकमे की सक्रियता से ही बनता और कायम रहता है, मगर अपराधी तत्त्वों के बीच पुलिस का खौफ आजकल न के बराबर देखा जा रहा है।

चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इस नाते उम्मीद की जाती है कि कम से कम वहां कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर ऐसी व्यवस्था होगी जिससे अपराधों पर लगाम कसी जा सकेगी और आम लोग सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। लेकिन सच यह है कि अपराध के मामलों में देश के कुछ दूसरे हिस्सों की तरह चंडीगढ़ में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। खुद राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आंकड़े बता चुके हैं कि दिल्ली और अंडमान के बाद बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध चंडीगढ़ में होते हैं। इसके अलावा, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और इस मामले में चंडीगढ़ ग्यारहवें स्थान पर था। अपहरण, लूट और झपटमारी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि अगर वहां कानून-व्यवस्था और पुलिस का तंत्र अपना काम ठीक से कर रहा है तो अपराधों के मामले में यह चिंताजनक तस्वीर क्यों है! ऐसे में अगर अपराधी प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति ने दोनों बहनों की हत्या कर दी और फरार हो गया तो यह समूचे पुलिस तंत्र की नाकामी है।

कल्पमेधा

वस्तुतः अच्छा समाज वह नहीं है जिसके अधिकतर सदस्य अच्छे हैं बल्कि वह है जो अपने बुरे सदस्यों को प्रेम के साथ अच्छा बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

-डब्ल्यूएच आडेन

बारिश और जल प्रबंधन

सुविज्ञा जैन

आज प्रबंधन प्रौद्योगिकी ने अच्छा-खासा विकास कर लिया है। प्रबंधन प्रौद्योगिकी के शोधार्थियों को जल प्रबंधन पर शोध के काम में लगाया जा सकता है। लेकिन प्रबंधन प्रौद्योगिकी अभी उद्योग व्यापार यानी कॉरपोरेट जगत से बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। जबकि जल जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधन के प्रबंधन के लिए यह विशिष्ट प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है।

पिछले दो हफ्ते से देश में बाढ़ से हाहाकार मचा है। इससे पहले तक सूखे का अंदेशा था। लेकिन इस पखवाड़े कुछ जगहों पर औसत से काफी ज्यादा पानी पड़ा और देश में औसत बारिश का आंकड़ा पूरा हो गया। लेकिन एक तिहाई हिस्सा अभी भी कम बारिश का शिकार है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। सामान्य बारिश के सरकारी दावे के बावजूद आधा देश सूखे की चपेट में आ गया था। लगता है, इस बार भी सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया। कम बारिश वाले इलाकों पर सरकारी ध्यान इस बार भी नहीं गया है। अखबारों और टीवी में अब तक सिर्फ बाढ़ की खबरें छाई हैं, जबकि एक तिहाई देश पर सूखे की चिंता गायब है। मामला गौरतलब इस कारण से है कि देश में मानसून के चार में से ढाई महीने गुजर चुके हैं। सबसे ज्यादा बारिश का समय यानी जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का पहला पखवाड़ा भी गुजर गया है। लिहाजा पानी के हिसाब-किताब पर गौर का यही सही समय है।

यह ठीक है कि कुछ जगह भारी बारिश और बाढ़ ने सांख्यिकी के लिहाज से सूखे के अंदेशे को कुछ कम कर दिया। लेकिन क्या बाढ़ खुद में एक त्रासदी नहीं है? सरकार को जितनी चिंता सूखे की करनी थी, उतनी ही चिंता बाढ़ ने बढ़ा दी। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सूखे की चिंता पूरी खत्म नहीं हुई है। दरअसल, देश में बारिश कहीं तो बहुत कम और कहीं काफी ज्यादा हुई है। इस तरह आपदा की दोहरी मार है, पिछले साल से भी ज्यादा। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो मौसम विभाग के अड़तीस उपसंभागों में सात उपसंभाग पानी की भारी कमी झेल रहे हैं। जबकि ज्यादा बारिश के शिकार भी सात ही उपसंभाग हैं। सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह कि जिन चौबीस उपसंभागों को मौसम विभाग सामान्य बारिश की श्रेणी में डाले हुए हैं, उनमें ज्यादातर में औसत से कम ही बारिश हुई है। अगर देश के कुल क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो औसत से कम बारिश का इलाका साठ फीसद से ज्यादा है। देश का एक चौथाई इलाका तो उन्नीस फीसद से भी ज्यादा कमी वाला यानी जलन्यून श्रेणी में बना हुआ है। इसी बीच, ये अनुमान भी जताए गए हैं कि मानसून के बचे डेढ़ महीने में अल नीनो असर के कारण बारिश कम हो सकती है।

इधर प्रबंधन के मौजूदा हालात ये हैं कि जहां ज्यादा पानी गिरता भी है तो उसे रोक कर रखने का पूरा इंतजाम देश के पास नहीं है। इसीलिए सामान्य बारिश के बावजूद कई साल से अगला मानसून आते-आते आधा देश सूखे की चपेट में आ जाता है। पिछला अनुभव बता रहा है कि अच्छी बारिश वाले इलाकों में भी कृषि सूखा पड़ने की आशंका बनी हुई है। यानी अगर मौसमी सूखा न भी पड़े तो जल कुप्रबंधन के कारण अपना देश कृषि सूखे की चपेट से बच नहीं पाता। यह साल इस बात को पुख्ता कर रहा है कि चाहे बाढ़ हो या सूखा, उसका कारण एक ही है कि हम बारिश के पानी को सुचारु रूप से संचित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त बांध और जलाशय चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले कुछ दशकों में हम कई कारणों से बारिश के पानी को रोक कर रखने के लिए बड़े बांध या बड़े जलाशय बनाने का इतना विरोध कर चुके हैं कि हाल फिलहाल बड़े बांधों का सुझाव देने का खतरा कोई भी मोल नहीं लेना चाहेगा। सियासी वक्त की नजाकत को देखते हुए समस्या के समाधान के लिए छोटे बांध या तालाबों का ही विकल्प बचा है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि तालाबों के रूप में पारंपरिक जल प्रबंधन के लाखों साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। यहां इस तथ्य पर भी गौर कर लेना चाहिए कि तरकीब चाहे पुरानी हो या नई, उसके पीछे का विज्ञान लगभग एक जैसा ही होता है। जल संचयन के मामले में अगर दोनों पद्धतियों में कोई अंतर दिखता है तो वह सिर्फ आकार का है।

देश में पिछले कई सालों से सूखे से अभिशप्त रहने वाले बुंदेलखंड में जल प्रबंधन की प्राचीन पद्धति के अवशेष आज भी मौजूद हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये प्राचीन तालाब एक हजार साल बाद आज भी बारिश के पानी को रोक कर रख रह रहे हैं और गर्मियों के दिनों में उनमें भरे पानी से जीव जगत के प्राण बच पा रहे हैं। ये तालाब नौवीं सदी से तेरहवीं सदी के बीच बुंदेलखंड में चंदेल शासकों ने बनवाए थे। उनकी राजधानी महोबा में सात तालाबों की एक ऐसी श्रृंखला जीवित है जो अपने जल ग्रहण क्षेत्र का एक-एक बूंद पानी संचित करने में सक्षम थी। दरअसल, ये सातों प्राचीन तालाब एक दूसरे से नहरों के जरिए आपस में जुड़े हैं। ज्यादा बारिश होने की स्थिति में एक तालाब के पूरा भर जाने के बाद उसका पानी नीचे के दूसरे तालाब में जाने लगता है, दूसरे के भरने पर तीसरे में और इसी तरह सातवें तालाब तक। तीन दशक पहले इन तालाबों के जलविज्ञान का एक अध्ययन करवाया था। उसका निष्कर्ष यह था कि यह प्राचीन तालाब श्रृंखला जल प्रबंधन का एक ऐसा नायाब नमूना है जो आधुनिक जल विज्ञान के लगभग सभी नुक्तों के लिहाज से भी खरा है। आज जब न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जल संकट का खतरा मंडरा गया है तो जल संसाधन के प्राचीन प्रबंधन के इस अद्‌भुत स्वरूप पर प्रबंधन प्रौद्योगिकी के शोधार्थियों की नजर क्यों नहीं जानी चाहिए! यह मान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि देश में जल प्रबंधन पर शोधकार्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जल प्रबंधन का पूरा काम आज भी सार्वजनिक निर्माण के अभियंता ही देखते हैं। उनका शिक्षण-प्रशिक्षण सुरक्षित संरचना के निर्माण के मद्देनजर ही होता है। किसी संसाधन के प्रबंधन के नुक्तों से उनका ज्यादा सरोकार न होना स्वाभाविक है। उनसे पानी के अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र की अतिरिक्त शिक्षा की अपेक्षा रखना उन पर ज्यादती ही होगी।

आज प्रबंधन प्रौद्योगिकी ने अच्छा-खासा विकास कर लिया है। प्रबंधन प्रौद्योगिकी के शोधार्थियों को जल प्रबंधन पर शोध के काम में लगाया जा सकता है। लेकिन प्रबंधन प्रौद्योगिकी अभी उद्योग व्यापार यानी कॉरपोरेट जगत से बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। जबकि जल जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधन के प्रबंधन के लिए यह विशिष्ट प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इतना ही नहीं, आजकल शोध क्षेत्र में अंतर-विषयक शोध की बात भी होने लगी है। लिहाजा, देश के विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रबंधन अध्ययन विभागों की नजर इस विषय पर पड़ने की दरकार है। ऐसे संस्थान चाहें तो संसाधन के रूप में पानी को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों से भी जोड़ सकते हैं।

कहने का मतलब यह कि महोबा के चंदेलकालीन जल प्रबंधन का अध्ययन जल संकट के कारणों और उसके समाधान को तलाशने में भी फौरी मदद पहुंचा सकता है। अगर पिछले कई दशकों तक युद्धस्तर की तमाम कोशिशों के बावजूद बुंदेलखंड की जल त्रासदी को कम नहीं किया जा सका है तो जरा तसल्ली के साथ सोच-विचार करके सही समाधान क्यों न ढूंढ़ लिया जाए। सनद रहे कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि बुंदेलखंड की मुख्य समस्या जल संकट ही है। सार्वभौमिक जल संकट के समाधान ढूंढ़ने निकलें तो उसके लिए भी चंदेलकालीन जल प्रबंधन के प्राचीन भौतिक साक्ष्य हमें काफी कुछ बता सकते हैं। कम से कम जल संकट की इस घड़ी में हमें इतना तो देख ही लेना चाहिए कि क्या प्राचीन जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी आज भी प्रासंगिक है?

शोर की मार

राकेश सोहम्

दुनिया मेरे आगे

मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो संगीत के बेहद शौकीन थे। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बड़े-बड़े साउंड बॉक्स लगा रखे थे। लगभग रोज तेज ध्वनि में वे उन्हें बजाते थे। ध्वनि इतनी तेज होती थी कि मेरे घर की खिड़की के शीशे कभी-कभी बजने लगते थे। उनके घर जब प्रथम संतान लड़की हुई, तब उनकी खुशी की सीमा न रही। उस नन्ही-सी बेटी को गोद में लेकर तेज संगीत के साथ ड्रॉइंग रूम में नाचते रहते। और यही शौक उनकी इकलौती बेटी के कान के परदे को हानि पहुंचाता रहा। इसका पता कुछ साल बाद तब चला, जब उनकी बेटी आवाज और संबोधन पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वह बोलती भी अजीब अंदाज में थी। डॉक्टरी जांच से पता चला कि तेज ध्वनि के कारण उसके कान के परदे को गंभीर हानि हुई है। वह जो भी सुन सकती थी, वह कार्टून के किरदार मिकी-माउस की आवाज की तरह ही। इसलिए जैसा सुनती है, वैसा ही बोलने की कोशिश करती है। वह सामान्य बोलचाल की तरह नहीं होता!

कुछ समय पहले शहर के मेडिकल कॉलेज में कान, नाक एवं गला विशेषज्ञों की दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिष्ठित और ख्यातिलब्ध डॉक्टरों ने बधिरों की जटिल शल्य चिकित्सा की। इस आयोजन में यह बात साफ तौर पर चर्चा में रही कि जन्मजात बधिरों को छोड़ कर अस्सी से नब्बे फीसद मामलों में आंशिक या पूरी तरह बहरेपन का मूल कारण ध्वनि-प्रदूषण है। हालांकि डॉक्टर इस बात की खुशी व्यक्त कर रहे थे कि बहरेपन की समस्या से निजात पाना अब संभव हो गया है। 'काक्लियर इम्प्लांट' अभी काफी महंगी तकनीक है। आने वाले समय में यह आम आदमी की पहुंच में आ जाएगी और उनका बहरापन मात्र छह से दस लाख में दूर किया जा सकेगा!

खैर, कुछ दिन पहले मैं पत्नी को लेकर स्कूटर से बाजार जा रहा था। भीड़ भरी सड़क पर पीछे से आने वाला मोटरसाइकिल सवार लगातार हॉर्न बजा रहा था। मुद्दा यह नहीं है कि वह हॉर्न क्यों बजा रहा था। सवाल यह है कि राह पर वाहन चलाते हुए हमने कितनी बार अनावश्यक हॉर्न बजाया। क्या हम केवल शौक के लिए हॉर्न बजाते हैं?

आज शहरों में लाखों की संख्या में वाहन हैं। इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। शहरी विकास की गति मंथर है। सड़कें पहले की तरह संकरी हैं। दूसरी ओर बैंकों और ऋण मुहैया कराने वाले संस्थानों ने हर तबके के लोगों को वाहन थमा दिया है। सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। असामाजिक तत्त्व और आज के युवा खाली सड़क पर लगातार हॉर्न के बटन पर अंगूठा रखे फर्राटा मारते रहते हैं! उन्होंने दोपहिया वाहनों में तरह-तरह के हॉर्न लगा रखे हैं। ये बटन दबाने पर तो बजते ही हैं, ब्रेक पर पैर रखने से भी विचित्र ध्वनि के साथ बज उठते हैं। चार पहिया वाहनों का भी यही हाल देखने-सुनने में आता है। इन वाहनों को पीछे की ओर करते हुए अनेक प्रकार की तीव्र ध्वनियां उत्पन्न होतीं हैं। छोटी-छोटी तंग कॉलोनियों में चार पहिया वाहनों को पीछे करने में समय लगता है। कई बार तो देर रात या अलसुबह रहवासियों की नींद में इन ध्वनियों से खलल उत्पन्न हो जाता है।

ऐसे कान-फोडू शोर से पत्नी के सिर में दर्द होने लगता है। तो सड़क पर उन्होंने अपने कान को हथेली से ढंक लिया और मेरे कान के पास आकर कहा- 'स्कूटर रोक कर पीछे वाले वाहन चालक को रास्ता दे दो। वह बेकार शोरगुल कर रहा है।' कमोबेश हर सभ्य नागरिक की यही स्थिति है। वह हमारे चारों ओर फैले शोर को रास्ता दे रहा है। शादी-विवाह, तीज-त्योहार, पूजा-अर्चना या फिर चुनावी रैली जैसे कई और आयोजन, इन सबके नाम पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउडस्पीकर प्रदूषण फैलाते रहते हैं। हम अपनी सभ्यता की आड़ में दरवाजा बंद कर लेते हैं।

मैं यहां वह आंकड़े नहीं दूंगा कि कितने डेसीबल की ध्वनि कानों के लिए घातक है या कितनी कम ध्वनि केवल कुत्ते सुन सकने की क्षमता रखत हैं। या यह कि रिमझिम बारिश की ध्वनि क्यों कर्णप्रिय होती है! लेकिन मैं यहां आधुनिक सभ्यता और नौजवानों से प्रश्न करना चाहता हूं। क्या हम सुधरेंगे? क्या प्रशासन कोई ऐसा ठोस कानून लाएगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लग सके? आम सभ्य जन और प्रशासन कब तक निष्क्रिय बने रहेंगे? हमें खुद अनावश्यक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग कम करने होंगे। बहरहाल, हम देर रात कॉलोनी लौटे। घर के सामने स्कूटर बंद करने के पहले आदतन स्कूटर का हॉर्न बजाने जा रहा था, ताकि घर के अंदर बच्चे जाग जाएं। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया और घर की इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल का बटन दबा दिया। एक कर्ण प्रिय स्वर घर के अंदर से तैरता हुआ मेरे कानों में भी पहुंचा जो सुहाना लगा।

मंदी की आहट

बीते कुछ महीनों में विश्व की कई बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई हैं और कुछ दिवालिया होने की कगार पर हैं। इसके अलावा विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से दुनिया में आ रही मंदी की आहट का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। विशेषकर वाहन उद्योग में छाई मंदी ने उसे परेशान कर रखा है। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां व्यापक पैमाने पर छंटनी की बात कह रही हैं तो कई अन्य कंपनियां एहतियात के तौर पर उत्पादन संयंत्र कुछ दिनों के लिए बंद रखने वाली हैं। इस तरह की मंदी से पूरा उद्योग प्रभावित होता है पर सबसे अधिक मार छोटे कर्मचारियों और अस्थायी या दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों पर पड़ती है। उनकी तो रोजी-रोटी छिन जाने वाली है लिहाजा, सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑटोमोबाइल उद्योग का कहना है कि अन्य मदद के अलावा तात्कालिक राहत के लिए जीएसटी दर को 28 से 18 फीसद पर लाना चाहिए ताकि यह उद्योग फिर पटरी पर आ सके।

ऑटोमोबाइल उद्योग का कहना है कि सरकार अब 'ई-मोबिलिटी मिशन' पर चल रही है अर्थात वह देश में इलेक्ट्रिक दो पहिया तथा तीन पहिया वाहनों पर विशेष ध्यान देने के अलावा जीएसटी की दर पांच फीसद रखने के सहित उन पर सब्सिडी भी दे रही है जिस कारण अन्य उद्योगों पर कम ध्यान दे पा रही है। देश की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में मंदी और वित्त वर्ष 2018-19 में देश की विकास दर मात्र 6.8 फीसद रहने के कारण उद्योग जगत ने हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात एक करोड़ से अधिक का पैकेज मांगा। ऑटो उद्योग की मंदी का असर स्टील उद्योग पर भी पड़ रहा है। अकेले ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्टील की घरेलू खपत का 20 फीसद हिस्सा इस्तेमाल होता है, बाकी भवन निर्माण और अन्य क्षेत्रों में होता है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार विश्व में सबसे बड़ा है पर मंदी के कारण बीते साल को मिलाकर अप्रैल 2019 तक 271 शहरों में 286 शोरूम बंद हो गए। देश के सबसे बड़े आटोमोटिव गुरुग्राम और हरियाणा में भी एक या दो नहीं, चालीस से पचास हजार कर्मचारियों की छंटनी हुई जो इस क्षेत्र में आ रही मंदी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी जहां हाल ही में देश की विकास दर का अनुमान घटाया है तो वहीं देश विश्व की छठी अर्थव्यवस्था से फिसल कर सातवें पायदान पर पहुंच गया है। विनिर्माण क्षेत्र में चार वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट और शेयर बाजार की सुस्ती बता रही है कि कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है और नीति आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अभी मंदी का अंदेशा भर हुआ है, अगर सच में मंदी आ गई तो वह स्थिति भयावह होगी। उसी का इंतजार न हो बल्कि जरूरी कदम उठा कर और पैकेज देकर मंदी की समस्या पर सीधा वार होना चाहिए।

● *देवानंद राय, नई दिल्ली*

कागजरहित कार्यवाही

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक और नवाचार करते हुए पहले पहल और अब घोषणा की कि 80 फीसद सांसदों ने अपनी सहमति दे दी है कि संसदीय कार्यवाही को कागज-विहीन बनाया जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि अगले सत्र से संसद में कागजी कार्यवाही के करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे और देश में पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश भी जाएगा। यह कार्य सांसदों के लिए एक बड़ी तकनीकी और कार्यात्मक पहल है, लिहाजा इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्यवाही का शत-प्रतिशत कार्य कागजविहीन होना चाहिए। उम्मीद है कि लोकतंत्र के मंदिर से इस पहल के बाद 'डिजिटल इंडिया' और 'कैशलेस' जैसे पहलुओं को मजबूती मिलेगी और सकारात्मक संदेश जनता तक जाएगा।

● *कपिल एम वड़ियार, जोधपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जनसंख्या नियंत्रण

लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भारत में बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता प्रकट कर-के इस पर नियंत्रण करने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन को 'जनसंख्या नियंत्रण कानून' बनाने की दिशा में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कड़े फैसले लेने और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाने से उत्साहित केंद्र सरकार समस्याओं को टालने और लटकाए जाने की नीति पर कुठाराघात करके बहुप्रतीक्षित जनसंख्या नियंत्रण कानून को पारित करा दे तो अधिक आश्चर्य भी नहीं होगा।

कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के विपरीत मौजूदा केंद्र सरकार कुछ अलोकप्रिय फैसले लेकर न सिर्फ देश को तेजी से विकास की राह पर ले जाने का कार्य कर सकेगी बल्कि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की भी मिसाल कायम कर सकेगी। धारा 370 हटाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने पर सरकार को मिले प्रचंड जनसमर्थन से अभिभूत प्रधानमंत्री का इस वर्ष लालकिले से देश के नाम संबोधन सरकार के अगले पांच साल के कार्यरूप को ही प्रदर्शित करता है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की ओर से अवश्य ही कुछ चौंकाने वाले फैसले सामने आएंगे।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*

पाक का फर्जीवाड़ा

कश्मीर में धारा 370 हटाने से पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह मुंह की खाने के बाद वह कश्मीर में तनाव पैदा करने वाले फर्जी 'ट्वीट' और वीडियो 'वायरल' कर रहा है। इनके जरिए वह खुद को मुसलमानों का मसीहा घोषित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक समझदार भारत, तकनीक संपन्न और आधुनिक भारत में उसकी इस चाल का विफल होनी लाजमी है क्योंकि धारा 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है जो कि पूरे विश्व के संज्ञान में है। इसीलिए किसी अन्य मुसलिम देश ने भी इस पर विचार व्यक्त करना उचित नहीं समझा।

अपनी आतंक की फैक्ट्री को बंद होता देख पाकिस्तान की बौखलाहट कितनी भी बढ़े लेकिन उसका यह फर्जीनामा अब चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान को कश्मीर की फिक्र करने से पहले अपने यहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसे दुष्प्रचार वाले फर्जी ट्वीट और वीडियो वायरल करने से बचना चाहिए वरना यह भी उसी पर भारी पड़ सकता है।

● *आकाश कुमार, मेरठ*

अंतहीन जंग

पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच लड़ाई सांप-नेवले जैसी हालत में है। दुर्गापूजा समितियों को आयकर विभाग के नोटिस मिलने के बाद दोनों के रिश्तों की तल्खी फिर तेज हो गई। ममता बनर्जी की पार्टी ने इसके विरोध में कोलकाता में आठ घंटे का धरना भी दे दिया। त्योहारों को आयकर के दायरे से बाहर रखना उसकी मांग है। साथ ही यह आरोप भी कि आयकर विभाग का डर दिखाकर भाजपा दुर्गा पूजा के आयोजन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। रही भाजपा की बात तो वह डंके की चोट पर फरमा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इन समितियों के जरिए चिटफंड घोटाले की लूट की रकम को काली से सफेद बना रही है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने तो नोटिस के पीछे भाजपा के हाथ का आरोप जड़ दिया है। जवाब में भाजपा के राहुल सिन्हा ने सवाल पूछ लिया कि समितियों के आय-व्यय की जांच-पड़ताल में हर्ज क्या है? भाजपा को इन समितियों में कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का पदाधिकारी होना अखर रहा है। ममता के पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने सफाई दी है कि समितियां दुर्गा पूजा का आयोजन आम आदमी और व्यवसायियों से मिले चंदे से कर रही हैं। किसी का निजी आयोजन नहीं है कि आयकर विभाग अपनी टांग अड़ाए। काले धन को खपाने का भी ऐसे में सवाल नहीं उठता। उधर आयकर विभाग ने भी सफाई दे दी है कि इस साल किसी समिति को नोटिस नहीं भेजा उसने।

बेबाक बोल

इमरान खान अपना कार्यकाल संभालने के एक साल के अंदर एक अगंभीर राजनेता के तौर पर साबित हो चुके हैं। भारत सरकार के कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जश्न-ए-आजादी को कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम कर दिया और उस खास दिन पाक प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की प्रांतीय संसद में भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जिस तरह व्यक्तिगत हमले किए, भारत के धार्मिक समुदायों से लेकर मीडिया और जजों की चिंता की उससे ऐसा लगा कि उन्हें अगला आम चुनाव भारत में लड़ना है। अनुच्छेद 370 खत्म होने जैसे भारत के घरेलू मामले पर इमरान खान का इतना परेशान होना इस बात का सबूत है कि उनकी राजनीति की रोटी कश्मीर की आग से ही पकती है। कश्मीरियों की चिंता के पीछे छुपे इमरान खान के पाखंड पर बेबाक बोल।

नापाक इरादे

मुकेश भारद्वाज

‘जब हमने तिरानबे हजार फौजियों को छोड़ा तब हमने कागज पर लिखवा लिया था कि अब जितने भी हमारे-आपके मसले हैं, वे अंतरराष्ट्रीय नहीं हैं। अब वे द्विपक्षीय हैं। उनके प्रधानमंत्री ने उस पर दस्तखत किए थे। यह तो कतई हो नहीं सकता कि जिस दिन आपको तिरानबे हजार कैदी छुड़वाने हैं, उस दिन आप इसे द्विपक्षीय मान लीजिए और जिस दिन आप उस स्थिति से बाहर निकल जाइए, उस दिन उसे अंतरराष्ट्रीय करार दे दीजिए। यह कैसे हो सकता है?’

आरिफ मोहम्मद खान कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका और मुसलिम देशों में ले जाने पर इमरान खान को बांग्लादेश के गठन का आईना दिखाते हैं। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत-पाक युद्ध में जब पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसके 93 हजार फौजी भारत के कब्जे में थे, तब उसने इसे आराम से द्विपक्षीय मसला माना था। आज कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हो जाने के बाद वह भारत के घरेलू मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में जुटा है। मुसलमान अस्मिता का कार्ड तो अरब, ईरान, तुर्की जैसे मुसलिम देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने ही खारिज कर दिया। दुनिया के बाकी देशों का इतिहास रहा है कि वे कश्मीर मुद्दे को मिल-बैठ कर ही सुलझाने की बात करते रहे हैं।

जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है, वह विदेशी कर्जे में डूबता जा रहा है, तब वहां के वजीर-ए-आजम देश की आजादी के दिन को ‘कश्मीर एकजुटता दिवस’ के नाम कर देते हैं। इस खास दिन वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। प्रांतीय संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं और भारत को सबक सिखाने की धमकी देते हैं। इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में कहा, ‘नरेंद्र मोदी ने जो आखिरी कार्ड खेला है, वह मोदी और बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा’। इमरान खान पाकिस्तान के ऐसे वजीर-ए-आजम हैं जिनको अपने देश के ही बारे में क्रिकेट के मैदान से भी कम जानकारी है। शायद उन्होंने कभी इतिहास के पन्नों पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई कि 1970 के दशक में ही पाकिस्तान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान में राज्य विषय नियम को खत्म कर वहां के शिया बहुल बसावट को बदलने की मुहिम शुरू कर दी थी। आरोप है कि इलाके में चीन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। यह पूरा इलाका पाकिस्तानी फौज के वर्चस्व और बुनियादी अधिकारों व बुनियादी संसाधनों के अभाव से जूझता रहा है। यहां मानवाधिकारों के उल्लंघन की जो खबरें आती हैं, इमरान उन पर ध्यान देंगे तो उन्हें कश्मीर के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी।

जब श्रीमान खान प्रांतीय संसद में कश्मीर की आजादी की बात कर रहे थे उसी वक्त पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में आजादी के नारे लग रहे थे और पाक हुकूमत को याद दिलाया जा रहा था कि कैसे बलूचों की इच्छा के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर किया गया और उनकी सभ्यता-संस्कृति को तबाह करने की हर संभव कोशिश की जा

रही है। पाकिस्तान की जश्न-ए-आजादी को कश्मीर से जोड़ने का मुंहतोड़ जवाब उसे अपने घर में ही मिल गया। ट्विटर पर ‘बलूचिस्तान सॉलिडिरिटी डे’, ‘बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान’ और ‘बलूचिस्तान एकता दिवस’ ट्रेंड कर रहा था। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर पाकिस्तान में प्रदर्शन तो लंदन में सम्मेलन हो रहे थे। अपने देश में इन विडंबनाओं के बीच अगर इमरान खान को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की फिक्र है और वतन की जश्न-ए-आजादी को कश्मीर की आजादी से जोड़ देते हैं तो इसे पाखंड की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है।

पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना दावा किया करते थे कि पाकिस्तान उनकी जेब में है। जिन्ना की इस गलतफहमी को पाक के आज तक के हुक्मरान विरासत की तरह ढोते रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वे अपनी जेब में कश्मीर रखेंगे तब तक पाकिस्तान की जनता उनसे नहीं पूछेगी कि उनकी जेब में पैसे क्यों नहीं हैं और सरकारी खजाना खाली क्यों पड़ा है। वो यह नहीं पूछेगी कि हमारे कारखाने की चिमनियां ठंडी पड़ी हैं तो कश्मीर के लिए आग क्यों उगला जा रहा है। वह यह नहीं पूछेगी कि हमारे बच्चों के लिए कायदे के स्कूल नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद के पोषक नेताओं के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब जनता जाग जाती है और हुकूमत से सवाल करती है। पाकिस्तान में अभी वह समय आ चुका है। वहां का मध्यवर्गीय तबका कश्मीर राग से ऊब चुका है और अपने देश के घरेलू मसलात पर बात करना चाहता है। वह चाहता है कि पहले देश में रोजी-रोटी, स्कूल और अस्पताल की बात हो। पिछले कुछ समय से मुसलमान-मुसलमान और कश्मीर-कश्मीर का जाप करते इमरान की दैहिक भाषा बता रही है कि हालात उनके काबू से बाहर जा चुके हैं।

वैसे, इमरान खान ने एक बात सही ही कही कि नरेंद्र मोदी कश्मीर पर अपना तुरूप का पत्ता खेल चुके हैं। इमरान खान जैसे अपरिपक्व राजनीतिज्ञ से सही भाषा की उम्मीद तो बेमानी है और कश्मीर ताश के खेल का कोई पत्ता नहीं भारत की सभ्यता और संस्कृति का धड़कता हिस्सा है। हां, कश्मीर में भारत सरकार के अनुच्छेद 370 खत्म करने जैसा मजबूत फैसले के बाद उम्मीद की रोशनी में यही दिखता है कि वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर को अपनी जेब में रखने की सोच भी नहीं पाएंगे। इमरान खान ने अपने कार्यकाल की पहली जश्न-ए-आजादी कश्मीर की एकजुटता के नाम तो रख दी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कश्मीर मसले पर मुंह की खाने और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने के ‘जुर्म’ में वे वजीर-ए-आजम के रूप में पाकिस्तान की अगली यौम-ए-पैदाइश देख भी पाएंगे या नहीं।

मुजफ्फराबाद में जब इमरान खान भारत में मीडिया से लेकर नाजी और हिटलर की बात कर रहे थे, तो शायद अपने देश की जेलों को भूल गए थे। पाकिस्तान में जम्हूरियत के चेहरे के रूप में चमकने वाले सारे लोग विपक्ष में आते ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहां पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व राष्ट्रपति तक की क्या हालत है वह दुनिया देख रही है। वो इंसान जिसने इस अंधविश्वास में एक धर्मगुरु से शादी रचाई कि उसे राजगद्दी मिले, वह भारत में धर्मनिरपेक्षता की फिक्र कर रहा है। भारत के कांग्रेसी से लेकर समाजवादी और वामपंथी नेता से लेकर पूरा विपक्ष इमरान का भाषण सुन कर घबरा गया होगा कि हमें यूं ही पाकिस्तान भेजने का फतवा जारी नहीं कर दिया जाता है, इमरान साहब तो वो बोल रहे जो हम अपनी संसद में बोलते हैं।

किसी भी देश और समाज में एक समय संक्रमण काल का आता है। कश्मीर मसले को लेकर भारत उसी संक्रमण काल से गुजर रहा है। अभी तो भारत ने कश्मीर पर ही फैसला किया है जो नितांत उसका घरेलू मामला है। लेकिन भारत की संप्रभुता को परे रख इमरान खान जिस तरह बेतुके भाषण दे रहे हैं उससे साबित होता है कि हमारे देश में यह समय धैर्य और जिम्मेदारी की मांग करता है। देश में हर्ष से लेकर आशंकाओं का मिलाजुला भाव है और हर कोई एक बेहतर कल की उम्मीद में है। कल क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। लेकिन यह समय न तो राजनीतिक टिप्पणीकारों की भविष्यवाणियों का है और न किसी भी तरह की तात्कालिक गैरजिम्मेदार प्रतिक्रिया देने का। यह समय भारत की 130 करोड़ जनता का है। कश्मीर को वर्जनाओं से आजादी मिले इसकी कामना हम सब कर रहे हैं।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

लोक मंगल का आलोक

‘संकल्प सिद्धि’ के लिए लेखक को बधाई। अनुच्छेद 370 के विसर्जन में सत्ता सदन ने बिखरे और टूटे विपक्ष में सेंधमारी की जो रणनीति अपनाई वो दलीय दकियानूसी को दफनाने में शुद्ध 24 कैरेट देशहित भाव स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मनःस्थिति राष्ट्रीय सहमति के लिए उतना ही आवश्यक है जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन। राजनैतिक दलों के दलदली विचारधारा जब देश कल्याण को सर्वश्रेष्ठ रूप से अंगीकार करेंगे तभी विवादास्पद मुद्दों को किनारा कर लोक मंगल का आलोक जलाया जा सकता है। यह शास्वत सत्य है कि कश्मीर देश का मुकुट और अभिन्न अंग रहा है। अनुच्छेद 370 के साथ भी और इसके बिना भी। कश्मीर का भारत में विलय का अनुच्छेद 370 एकमात्र संवैधानिक उपकरण ही था जिसकी उपस्थिति राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक अप्रासंगिक बाधा बनी हुई थी। इस धारा ने आम हित की जगह कुछ नेताओं के स्वार्थ सिद्धि का सबल माध्यम बनकर भारत सरकार को हमेशा ‘भेड़िया आया’ के मनोवैज्ञानिक भय से बांधे रखा। परिवर्तित माहौल में अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो पूर्व से सत्य को परे रखकर और बढ़ाचढ़ाकर संवादों को परोसती रही है, अब उसपर लगाम लगाने की जरूरत दिखती है।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

मील का पत्थर

मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर असल परीक्षा अब शुरू होगी। इस फैसले को सार्थक करके बताना होगा कि यह वाकई विकास के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे थे। विकास, निर्माण के साथ-साथ उद्योग, शिक्षा और रोजगार की बयार बहानी होगी ताकि वहां की जनता कह सके कि इतने सालों तक हमें अंधेरे में रखा गया। सच मानिए विश्वास बहाली में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

भूपेंद्र कुलदीप सिंह, नाहरा, सोनीपत, हरियाणा।

एक देश, एक झंडा, एक संविधान

दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह बुनियादी अधिकार है कि वह अपने द्वारा शासित किसी भी परिक्षेत्र राज्य या प्रदेश की इतिहास में हुई गलती से हो रही विसंगतियों को सुधार दे कश्मीर में हुई गलती को अनुच्छेद 370 और 35-ए को दिल्ली की सशक्त सरकार हटाकर इतिहास में हुई उस गलती को सुधार दी है, उसके क्रियान्वयन में भले ही कुछ गलती हुई हो, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र है। दुनिया में कहीं किसी देश में सुना है कि कुछ अलगाववादी तत्त्व सेना के जवानों की पत्थरों से मार-मार कर हत्या तक कर दें और सेना उनका कुछ भी न बिगाड़ सके! भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा न हो, अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाकर इस सरकार ने एक अत्यंत साहसिक काम किया है। इस ‘ऑपरेशन’ को सफलतापूर्वक करने के लिए इसके ‘कुशल सर्जनों’ को कोटिशः नमन।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

जनता के बीच दूरी कम होगी

पिछले हफ्ते मुकेश जी के आलेख में कुछ अहम बातें जानने को मिली जैसे अगर नेता जनता की दिलों पर हुकूमत कर ले तो अनुछेद 370 जैसे मजबूत फैसला भी ले सकता है। उसके लिए चाहिए तो केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, जो पिछले सत्तर साल पुरानी सरकार ने नहीं दिखलाई। साथ ही हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी चुनाव का मुद्दा केवल रोजगार और सड़क ही नहीं बल्कि देश भक्ति और देश पर गर्व, और एकजुटता जैसे विषय भी होने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में पत्रकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब अहम हैं जिन्हें देश हित के लिए सकारात्मक सोचना होगा। हम सबको स्वार्थ से हटकर देश के प्रति निजी जिम्मेदारी समझनी होगी। तब कहीं जाकर जनता के बीच दूरी कम होगी।

-राज सचदेवा

राजपाट

सियासी खेल

सियासत में अब न मूल्यों के प्रति किसी की निष्ठा बची है और न सिद्धांतों-नीतियों से नाता ही मुकम्मिल रह गया है। हर कोई दावा करता है कि वह देश और समाज की सेवा के लिए राजनीति में आया है। लेकिन हकीकत यह है कि सभी अपना भला पहले देखने लगे हैं। सिक्किम की सियासी उठापटक इसकी ताजा मिसाल है। जहां भाजपा को चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। 25 साल से सत्ता भोग रहे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन चामलिंग पिछले चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए थे। उनकी पार्टी को 32 सदस्यीय विधानसभा में 15 सीटों पर कामयाबी मिल पाई थी। सत्रह सीटें जीत कर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। पर 32 में से तीन नेता एक के बजाए दो-दो सीटों से चुने गए। लिहाजा जब उन्होंने दूसरी सीट छोड़ी तो सदन की वास्तविक सदस्य संख्या 29 ही रह गई। यानी मोर्चे के 16 और एसडीएफ के 13 सदस्य ही बचे। पर इसी हफ्ते भाजपा ने बड़ा दांव खेल दिया। चामलिंग की पार्टी के 13 में से दस विधायक भाजपा में शामिल हो गए। नियमानुसार दल विभाजन के लिए पार्टी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों का अलग होना जरूरी है। यानी आठ सदस्य भी होते तो भी दल-बदल की कार्रवाई से बच जाते। वे तो दस थे सो बेखटके भगवा पहन लिया। पांच बार चुनाव जीते दोरजी शेरिंग लेप्चा की अगुआई में हुआ यह दल-बदल। अभी तक चामलिंग विपक्ष के नेता थे लेकिन अब भाजपा के लेप्चा बन गए। बेचारे चामलिंग अभी अपनी पार्टी को लगे झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके दो बचे सहयोगी विधायक भी दल-बदल कर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे में जा मिले और सत्तारूढ़ दल की सदस्य संख्या को 18 तक पहुंचा दिया। दरअसल भाजपा की कोशिश यहां होने वाले तीन सीटों के उपचुनाव को जीतने की है। ताकि अपनी ताकत को दस से बढ़ा कर 13 कर सके। अब चामलिंग अपने दल के इकलौते सदस्य हैं सदन में। जिन्होंने दल-बदल किया है, उनके पास अपने फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क भी हैं। मसलन जो भाजपा में गए वे अपने फैसले को वक्त का तकाजा बता रहे हैं। जबकि उन्हीं के जो दो साथी सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए हैं उन्होंने भाजपा की आलोचना की है। उनका तर्क है कि भाजपा ने अरुणाचल और असम में भी अपनी सरकार इसी खेल से बनाई थी। वे चाहे जो आलोचना करें पर भाजपा के लिए तो यह उपलब्धि ही मानी जाएगी कि जिस त्रिपुरा में उसका पहले कोई नाम लेवा भी न था, वहां अब उसकी सरकार है। असम में भी भाजपा की सरकार पहली बार ही बनी है। त्रिपुरा तो ठहरा छोटा राज्य। अगर पार्टी अपनी सरकार बनाने पर उतारू हो गई तो सत्तारूढ़ दल में सेंध लगाना भी अब असंभव कहां रह जाएगा। गोवा में भी तो पिछले दिनों कांग्रेस के दस विधायकों को थोक के भाव अपना कर क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के दबाव से मुक्त किया था पार्टी ने अपनी सरकार को।

सरलता लाजवाब

बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। सियासत से पुराना नाता रहा है। आगरा की मेयर रह चुकी हैं। दलित वर्ग की नुमाइंदगी करती हैं। पर अपनी सरलता, सहजता और व्यवहार कुशलता से उत्तराखंड में बतौर राज्यपाल थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गई हैं। राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुल जाएं तो सराहना होगी ही। धर्म परायण होने के कारण हरिद्वार में भी मन रमता है। साधू-संतों और धर्माचार्यों से अक्सर मिलती रहती हैं। पर इसमें भी विरोधियों ने किंतु-परंतु खोज लिया। संयोग से जिन दो संतों से उनकी मेल-मुलाकात अक्सर होती है, वे दोनों ही संघी पृष्ठभूमि के ठहरे। एक हैं-पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि और दूसरे हैं-जगदगुरू आश्रम कनखल के पीठाधीश्वर जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम। पाठकों को बता दें कि राज राजेश्वराश्रम स्वामी प्रकाशानंद के उत्तराधिकारी हैं जो एक दौर में रामजन्म भूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे। खुद राज राजेश्वराश्रम पूर्व में आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। आरएसएस के मोहन भागवत हों या भइयाजी जोशी, उनके आश्रम में अक्सर दिखते हैं। पर ये शंकराचार्य फरमाते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। वे तो बस देश, समाज और मानवता की चिंता करते हैं। रही नेताओं के आगमन की बात तो उनके आश्रम में तो कांग्रेस, सपा और बसपा के नेता भी आते रहते हैं।

नए समीकरण

सोनिया गांधी भले अंतरिम ही सही पर कांग्रेस में अध्यक्ष का तीन महीने से फंसा पेच फिलहाल सुलझा है। इससे राजस्थान में पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर असर पड़ना तय है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद को मजबूत महसूस करेंगे। अभी तक पूरी तरह दो गुटों में बंटी दिख रही थी सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राहुल गांधी का चहेता माना जाता है। उसी बूते वे मुख्यमंत्री पद का ख्वाब देख रहे थे। पर बहुमत नहीं मिला तो पलड़ा सियासी जादूगर गहलोत के पक्ष में झुक गया। तब भी सोनिया गांधी का हस्तक्षेप ही काम आया था उनके। अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद ही नहीं आनंद शर्मा ने भी गहलोत के लिए लाबिंग की थी। ऊहापोह इस कदर थी कि मुख्यमंत्री का चयन करने में आलाकमान को तीन दिन लगे थे। राहुल तो तब भी सचिन पायलट के पक्ष में खड़े थे। अब सोनिया ने खुद कमान संभाली है तो गहलोत चैन से सरकार चला सकेंगे। मुमकिन है कि वे सचिन पायलट खेमे के नेताओं को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश करें। मसलन अब मलाईदार पद बांटने की बारी आएगी तो गहलोत अपने चंपुओं को रेवड़ियां ज्यादा बांटना चाहेंगे। गहलोत खेमा तो सचिन पायलट को पार्टी की सूबेदारी से भी अलग करने की जुगत भिड़ा रहा है। एक व्यक्ति-एक पद की नीति लागू हुई तो पायलट धर्मसंकट में होंगे। फिर तय करना पड़ेगा कि सूबेदारी रखें या फिर सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की मलाई खाएं। आबो हवा से अनजान तो सचिन ही नहीं हैं। वे भी अपने सुरक्षित भविष्य के लिए दांव-पेच आजमाएंगे ही।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उपायों पर बातचीत जारी : सीतारमण

अमदाबाद, 16 अगस्त (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। जैसे ही यह बातचीत पूरी होती है सरकार इस बाबत निर्णय करेगी कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और फिर उनकी घोषणा कर दी जाएगी।

हालांकि, उन्होंने गहराती आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह के प्रोत्साहन पैकेज की योजना के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को फिर से गति देने की कार्य योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सोमवार से अब तक मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों, छोटे व मझोले उद्योगों, उद्योग और वाहन क्षेत्र सहित पांच अलग-अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिल चुकी हूं और उनकी समस्याओं को सुना है। हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत ने थार एक्सप्रेस रद्द की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

जोधपुर से पाकिस्तान के कराची शहर के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन को भारत ने रद्द कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह ट्रेन शुक्रवार को नहीं चली।

इस ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, रेलवे की तरफ से अग्रिम आदेशों तक भगत की कोठी-मुनाबाव-भगत की कोठी व मुनाबाव-जीरो प्वाइंट-मुनाबाव थार एक्सप्रेस रेल सेवाओं को रद्द किया जा रहा है। रेलवे के प्रवक्ता ने ट्रेन रद्द किए जाने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि इसकी वजह इलाके में भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी जमा होना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में पाकिस्तान जाने के लिए 45 लोगों ने टिकट करवाए थे। सभी की बुकिंग रद्द कर पैसे लौटाए जाएंगे।

थार एक्सप्रेस ट्रेन भारत के जोधपुर को पाकिस्तान के कराची से जोड़ती है। भारत की थार लिंक एक्सप्रेस इन दिनों भगत की कोठी जोधपुर से रात दस बजे रवाना होती है। यह शनिवार को पाकिस्तान में जीरो प्वाइंट स्टेशन पहुंचती है जहां यात्री ट्रेन बदलते हैं। पाकिस्तान जाने वाले यात्री वहां से पाकिस्तान की थार एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जबकि थार एक्सप्रेस से वहां पहुंच कर भारत आने वाले यात्री लौटती थार लिंक एक्सप्रेस में सवार होते हैं। थार लिंक एक्सप्रेस में आने वाले यात्रियों व उनके दस्तावेजों की जांच मुनाबाव स्टेशन पर होती है, जिसके बाद ट्रेन को आगे जोधपुर के लिए रवाना किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ताजा खटास के बीच दोनों देशों के बीच इस सेवा के परिचालन को लेकर भी संशय के बादल मंडरा रहे थे।

विवादित स्थल पर ईसा पूर्व दूसरी सदी में था भव्य मंदिर

पेज 1 का बाकी

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा, 'हिंदुओं की आस्था तथा संभाव्यताओं की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए इस बात का संकेत मिलता है कि यह भगवान राम का मंदिर था।' उन्होंने कहा, 'खुदाई में भव्य प्राचीन ढांचे के साथ मिली अन्य सामग्री से सुझाव मिलता है कि यह एक मंदिर था।'

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति एसयू खान ने अपने निर्णय में एएसआइ रिपोर्ट पर गौर नहीं किया और त्रुटिपूर्ण तरीके से यह निष्कर्ष दिया कि मस्जिद खाली स्थान और मंदिर के भग्नावशेषों पर बनी। जबकि अन्य दो न्यायाधीशों ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि जहां मस्जिद बनी वहां एक मंदिर था। पीठ ने कहा, 'हमारे समक्ष ढांचे का प्रश्न नहीं है बल्कि यह (सवाल) है कि मस्जिद से पहले क्या यह धार्मिक प्रकृति का था?' उसने यह भी कहा कि सभ्यता के क्रम में भवनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण हुआ तथा इस बात को स्थापित करने के लिए साक्ष्य चाहिए कि जहां मस्जिद बनी, वहां मंदिर था।

वैद्यनाथ ने कहा, 'यह एक मंदिर था जहां जनता की पहुंच थी। मूलभूत नींव समान रही जबकि ढांचे का पुनर्निर्माण किया गया। नीचे की नींव में कभी बदलाव नहीं हुआ। स्तंभों की कुल 17 पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में पांच स्तंभ थे।' एएसआइ 2003 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे विशेषज्ञों ने तैयार किया था और इसके निष्कर्षों को खारिज नहीं किया जा सकता।

370 हटाना मील का पत्थर : शाह

पेज 1 का बाकी

है। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट बैंक से कहीं बड़ा राष्ट्र है।अनुच्छेद 370 समाप्त करने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में मदद के साथ ही क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 370 वोट से पीएम मोदी ने भारत का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के दाग को सदा-सदा के लिए मिटाने का काम किया है। मां भारती का यह मुकुट अनुच्छेद 370 और 35-ए के कारण कुछ अधूरा सा था और मोदी ने इसे पूरा कर दिया है। हकीकत में अब अखंड भारत का वह सपना पूरा हुआ है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने देखा था।

शाह ने कहा कि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा देश की रक्षा को कई गुना मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध के बाद इसकी जरूरत महसूस की गई थी लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने इसकी परवाह नहीं की। मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जल्द नियुक्ति की घोषणा की है। इससे भारत की सेना की देश की सीमाओं की रक्षा की क्षमता कई गुणा बढ़ेगी। उसके बाद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल होगा और दुश्मन के लिए यह बहुत बड़ा वज्र प्रहार होगा।

शाह ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते जब भी वे हरियाणा में झोली लेकर आए हैं तो हरियाणा वालों ने उनकी झोली कमल के फूलों से भरकर भेजी है। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले विधानसभा चुनाव में आया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। लोकसभा चुनाव में आया तो मोदीजी के नेतृत्व में 300 सीटों का लक्ष्य पार करवा दिया। इस बार भी जब चुनाव होगा, तो वीर भूमि फिर एक बार फिर मनोहर लाल को आशीर्वाद देगी।

कर्ज से तंग पूर्व क्रिकेटर ने की खुदकुशी : पुलिस

पेज 1 का बाकी

तनाव में थे। चंद्रशेखर की तमिलनाडु प्रीमियर लीग में एक टीम 'वीबी कांची वीरंस' थी, जिसका चौथा चरण गुरुवार को समाप्त हुआ।

सूत्र ने कहा कि वह काफी तनाव में तो थे लेकिन साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा था और वह काफी कमजोर हो गए थे। सूत्र ने कहा कि तमिलनाडु क्रिकेट जगत काफी हैरत में है क्योंकि उनका बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के साथ करीबी रिश्ता था। उन्होंने एमएस धोनी को श्रीनिवासन की आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु के इस पूर्व बल्लेबाज का छह दिन बाद 58वां जन्मदिन था। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। चंद्रशेखर ने 1988 से 1990 के बीच सात वनडे खेले थे जिनमें उन्होंने 88 रन बनाए थे लेकिन घरेलू स्तर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया।

वार्ता शुरू करने के लिए आतंकवाद रोके पाक

पेज 1 का बाकी

लोग कश्मीर में स्थिति को 'भयावह नजरिए' से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि वार्ता शुरू करने के लिए आतंकवाद रोकिए। उन्होंने कहा कि एक विशेष चिंता यह है कि एक देश और उसके नेतागण भारत में हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिहाद की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। हिंसा हमारे समक्ष मौजूदा समस्याओं का हल नहीं है।

बैठक के बाद चीनी और पाकिस्तानी दूतों के मीडिया को संबोधित करने के बारे में अकबरुद्दीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद बैठक समाप्त होने के बाद हमने पहली बार देखा कि दोनों देश (चीन और पाकिस्तान) अपने देश की राय को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में धीरे-धीरे सभी प्रतिबंध हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में 'कश्मीर के लोगों की आवाज सुनी' गई। लोधी ने कहा कि यह बैठक होना इस बात का 'सबूत है कि इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया' है।

बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने भारत और पाकिस्तान से अपने मतभेद शांतिपूर्वक सुलझाने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा कर फायदा उठाने की सोच त्यागने की अपील की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मामले पर चीन का रुख बताते हुए कहा कि भारत के एकतरफा कदम ने उस कश्मीर में यथास्थिति बदल दी है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विवाद समझा जाता है। कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने और लद्दाख को एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने के भारत के कदम का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम ने चीन के संप्रभु हितों को भी चुनौती दी है और सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता बनाने को लेकर द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। चीन काफी चिंतित है। रूस के उप-स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलिंस्की ने बैठक कक्ष में जाने से पहले संवाददाताओं से कहा कि मॉस्को का मानना है कि यह भारत एवं पाकिस्तान का 'द्विपक्षीय मामला' है। कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। पााकिस्तान की मीडिया ने यह खबर दी है। रेडियो पाकिस्तान ने वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा कि खान ने सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसे में लिया है और कश्मीर के ताजा घटनाक्रम और क्षेत्रीय शांति पर इसके खतरे के संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराया है।

शास्त्री फिर बने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच

पेज 1 का बाकी

उम्मीद लगाई थी रवि शास्त्री नंबर एक रहे। लेकिन यह काफी करीबी मुकाबला था। कोहली ने वेस्ट इंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कोच पद के लिए शास्त्री के नाम का समर्थन किया था जिसके बाद यह तय माना रहा था कि यह पूर्व भारतीय कप्तान इस पद पर बना रहेगा। सभी उम्मीद्वारों में शास्त्री का रेकार्ड शानदार था। उनके कोच रहते हुए भारतीय टीम टैस्ट रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर पहुंची और उसने 71 साल में पहली बार आस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर हराया। उनकी अगुआई में हालांकि भारत आइसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। उसे 2015 और 2019 के विश्व कप में निराशा हाथ लगी।

कपिल देव की अगुआई वाली समिति को हालांकि यह बड़ा कारण नहीं लगा। समिति में शांता रंगास्वामी और अंशुमन गायकवाड़ भी शामिल थे। अनिल कुंबले की जगह जुलाई 2017 में कोच पद संभालने के बाद रवि शास्त्री का रेकार्ड शानदार रहा। इस बीच भारत ने 21 टैस्ट मैचों में से 13 में जीत दर्ज की। उसने 60 वनडे में 43 अपने नाम किए और 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में से 25 में जीत हासिल की।

अनुच्छेद 370 : दोषपूर्ण अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

पेज 1 का बाकी

तो खारिज किया जा सकता था लेकिन रजिस्ट्री में ऐसी ही पांच अन्य याचिकाएं भी हैं जिनमें खामियां हैं। आगे पीठ ने कहा- आपने राष्ट्रपति का आदेश निरस्त करने का अनुरोध नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या अनुरोध किया गया है। इस तरह के मामले में अगर यह याचिका है तो इसका कोई मतलब नहीं है। शीर्ष अदालत मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसे केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के एक दिन बाद छह अगस्त को दायर किया गया था।

शीर्ष अदालत ने संबंधित वकीलों से कहा कि वे अनुच्छेद 370 को लेकर दायर अपनी छह याचिकाओं की खामियों को दूर करें और इसके साथ ही उसने सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि वह अयोध्या जैसे संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रहे जजों की पीठ को तोड़ कर अनुच्छेद 370 को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील शकील शब्बीर ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ याचिका दायर की है। शकील ने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका की खामियां दूर कर दी हैं लेकिन वह अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है। इस पर पीठ ने अपनी रजिस्ट्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी तो पता चला कि ये खामियां बुधवार की शाम को दूर की गई हैं।

पीठ ने कहा कि याचिका की खामियां बुधवार की शाम को दूर की गई और गुरुवार को अवकाश था। ऐसी स्थिति में आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि आपकी याचिका शुक्रवार को ही सूचीबद्ध हो जाएगी? पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए वकील से सवाल किया- इतने महत्त्वपूर्ण मामले में आपने खामियों के साथ याचिका दायर क्यों की। आप दोषपूर्ण याचिका दायर करते हैं और हमारे अधिकारियों को तंग करते हैं। पीठ ने इस वकील से जानना चाहा कि क्या उसे जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर शीर्ष अदालत में कितनी याचिकाएं हैं और कितनी दोषपूर्ण हैं। पीठ ने कहा कि इस मसले पर छह याचिकाएं दायर की गई हैं।

जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कांफ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर के सांविधानिक दर्जे में किए गए बदलाव पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका में दावा किया गया है कि इससे नागरिकों की राय जाने बगैर ही उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह याचिका लोकसभा में नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने दायर की है। लोन जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। उधर, मसूदी राज्य के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2015 में यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्देद 370 संविधान का स्थायी हिस्सा है।

यौन उत्पीड़न मामले में दोषी मेजर जनरल बर्खास्त

पेज 1 का बाकी

गया, उन्होंने सेना के कई बड़े अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी।'

मेजर जनरल को आइपीसी की धारा 354 ए और सेना अधिनियम 45, जो सेना में अधिकारियों के अशोभनीय आचरण से संबंधित है, के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। सेना के नियमों के अनुसार, जीसीएम की सिफारिश पुष्टि के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाती है। उच्च अधिकारी के पास सजा को बदलने के अधिकार होते हैं।

कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद मेजर जनरल को अंबाला के चंडीमंदिर स्थित कोर कमान में भेज दिया गया था। मेजर जनरल आरएस जसवाल के खिलाफ कैप्टन रैंक की एक महिला अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कथित यौन उत्पीड़न की घटना 2016 के अंत में हुई थी। इसके बाद सेना ने आरोपी मेजर जनरल के खिलाफ एक जांच समिति बनाई। फिर कोर्ट मार्शल का फैसला आया। हालांकि मेजर जनरल ने महिला अधिकारी के आरोपों से इनकार किया था।

सेना के जनरल कोर्ट मार्शल (जीएसीएम) ने पिछले साल 23 दिसंबर को मेजर जनरल को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष दायर एक याचिका में अधिकारी ने दावा किया था कि वह सेना के भीतर गुटबाजी का शिकार था, जो उस वर्ष सेना प्रमुख की नियुक्ति के कारण कथित रूप से उत्पन्न हुई थी।

सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, 'सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अधिकारी को दी गई सजा की पुष्टि की है। सेना के अधिकारियों के निर्णय को शुक्रवार को अंबाला में 2 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमजेएस कहलों द्वारा मेजर जनरल को सूचित कर दिया गया।' मेजर जनरल के वकील आनंद कुमार ने कहा कि सजा की पुष्टि और इसका प्रचार अवैध है क्योंकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के बावजूद मेजर जनरल को आज तक कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की कॉपी नहीं दी गई है ताकि वे एक पूर्व-पुष्टि याचिका दाखिल कर सकें।

कश्मीर में 11 दिन बिताकर दिल्ली लौटे डोभाल

पेज 1 का बाकी

ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि डोभाल यहां छह अगस्त को आए थे और उन्होंने सुरक्षा और विकास परक गतिविधियों का जिम्मा संभाला। उनका विशेष जोर यह सुनिश्चित करने पर था कि कोई जनहानि नहीं हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घाटी में अपने प्रवास के दौरान शोपियां गए और वहां स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की।

शोपियां आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। मीडिया में एक अज्ञात स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ डोभाल के भोजन करने का वीडियो आया था। उक्त वीडियो में उस क्षेत्र में बंद दुकानें भी दिखी थीं। वीडियो में डोभाल यह कहते सुने गए थे कि नया प्रशासन गठित होने के बाद चीजें बदलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह सुनिश्चित करना था कि कोई जनहानि नहीं हो और सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हो। साथ ही उन्हें यह भी देखना था कि वहां मौजूद सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे और वह इसमें सफल रहे।

मीडिया पर पाबंदियां हटाने के निर्देश से पहले इंतजार करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अगस्त।

अनुच्छेद 370 से जुड़े एक अन्य प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद मीडिया पर लगाई गई पाबंदियां हटाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश देने से पहले वह कुछ समय इंतजार करेगा। इससे पहले केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि यह पाबंदियां धीरे-धीरे हटाई जा रही हैं। मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और बंदिशें धीरे-धीरे हटाई जा रही हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने इस संबंध में केंद्र के कथन का संज्ञान लेते हुए कहा- हम कुछ समय देना चाहते हैं। हमने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि धीरे धीरे लैंडलाइन और ब्राडबैंड कनेक्शन बहाल किए जा रहे हैं। इसलिए हम अन्य संबद्ध मामलों के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। लैंडलाइन काम कर रही हैं। हमें भी (शुक्रवार को) जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन मिला था।

पीठ ने कहा- हम देखते हैं कि इस मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जा सकता है। हम प्रशासनिक पक्ष में इसकी तारीख निर्धारित करेंगे। कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि राज्य में पत्रकारों के लिए संचार माध्यम शीघ्र बहाल करने की जरूरत है ताकि वे सुचारु रूप से अपना काम कर सकें।

एटमी हथियारों पर नीति बदल सकता है भारत

पेज 1 का बाकी

के दृढ़ संकल्प को देखा और अभी तक 'नो फर्स्ट यूज' (पहले इस्तेमाल नहीं करने) के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे लिखा है,...'भारत ने इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया है। भविष्य में क्या होता है यह हालात पर निर्भर करता है।' सिंह के अनुसार उन्होंने पोकरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है, 'भारत का एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। देश अटल जी की महानता का ऋणी रहेगा।' इससे पहले सिंह ने जैसलमेर में पाचवीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया।

जैसलमेर में पांचवीं अंतरराष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में सिंह ने उम्मीद जताई कि भारत, रूस, चीन और मध्य एशिया के अन्य देशों के बीच सहयोग आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और वे आपसी सहयोग से वैश्विक खतरों का सामना करने में सक्षम होंगे। प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ रूस, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, सूडान और उज्बेकिस्तान की टीमों ने भाग लिया।

राजनाथ सिंह ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आनेवाले समय में हमारा और आपका साथ और अधिक बढ़ेगा। हम आपसी सहयोग बढ़ाकर एक साथ विश्व की कठिन चुनौतियों व खतरों का सामना करने में सक्षम बनेंगे और साथ ही भविष्य में हमें आपसी संबंध बढ़ाने के और भी मौके मिलेंगे।' उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रकार के आयोजनों से प्रतिभागी देशों के परस्पर रिश्ते और गहरे होंगे। वैसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देशों के साथ हमारे पहले से ही मित्रतापूर्ण रिश्ते रहे हैं। रक्षा मंत्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों के साथ रिश्तों का भी जिक्र किया।

सिंह ने कहा, 'रूस के साथ तो भारत के लंबे समय से बहुत ही गहरे रणनीतिक रिश्ते भी रहे हैं। वहीं चीन के साथ हम द्विपक्षीय अभ्यास हैंड इन हैंड में भाग लेते हैं जिससे हमें एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ बनाने में बहुत सहयोग मिलता है। इसी तरह मध्य एशिया के सभी देशों बेलारूस, अर्मेनिया, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं जिनमें व्यापारिक व सांस्कृतिक रिश्ते शामिल हैं।' उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता टीमों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि भारत की टीम ने प्रतियोगिता के पांच चरणों में से प्रथम चार चरणों में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि पांचवे चरण में भारत की टीम दूसरे स्थान पर और उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पर रहा। आठ देशों की अंतिम ओव्हर ऑल पोजिशन में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि उज्बेकिस्तान दूसरे, रूस तीसरे, चीन चौथे, कजाकिस्तान पांचवें, बेलारूस छठे, आर्मेनिया सातवें, और सूडान आठवें स्थान पर रहा।

कश्मीर में हालचाल जानने का जरिया बने टीवी चैनल

पेज 1 का बाकी

दुबई और कुवैत से भी संदेश मिल रहे हैं। बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे कई छात्रों ने अपनी सुरक्षा के बारे में पोस्ट किया। चैनल के अधिकारियों ने बताया कि यह निशुल्क है।

न्यूज 18 उर्दू के एक अधिकारी के मुताबिक, देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों संदेश मिले हैं। उन्होंने कहा, 'हमारा हैदराबाद में एक विशेष नंबर है। लोग वाट्सऐप के जरिए संदेश भेज सकते हैं और हम उनका इस्तेमाल टिकर पर करेंगे।' केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के बाद पांच अगस्त से घाटी में संचार सेवाएं बंद हैं।

घाटी में बंदिशें हटाने का सिलसिला शुरू

पेज 1 का बाकी

और संचार व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। सड़कों पर यात्री वाहनों की पाबंदियां हटा दी जाएंगी। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीआर सुब्रह्मण्यम के मुताबिक, प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। पांच अगस्त को जब पाबंदियां लगाई गईं, तब से न किसी की जान गई और न कोई घायल हुआ। उन्होंने कहा, 'अगले कुछ दिनों में पाबंदियों में व्यवस्थित तरीके से ढील दी जाएगी।' शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। इसके मद्देनजर पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के 22 में से 12 जिलों में कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा है और महज पांच जिलों में रात की पाबंदियां भर हैं। मुख्य सचिव सुब्रह्मण्यम के मुताबिक, आनेवाले दिनों में और छूट बढ़ाई जाएगी। सप्ताहांत के बाद क्षेत्रवार स्कूल खुलते जाएंगे। सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी काम पर पहुंचने लगे हैं। आज से कुछ हिस्सों में फोन सेवा बहाल की गई है और ज्यादातर फोन लाइनें सप्ताहांत तक बहाल कर दी जाएंगी। आने वाले दिनों में क्षेत्रवार लोगों के आवागमन में भी छूट दी जाएगी।

परमाणु हथियारों पर स्थिति स्पष्ट करें रक्षा मंत्री : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने के भारत के सिद्धांत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि सिंह को मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए और इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जहां तक रक्षा-सुरक्षा, संप्रभुता और परमाणु नीति का सवाल है तो कांग्रेस सहित पूरा देश सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री या तो कोई रहस्यमय बात कर रहे हैं या फिर नीति में बदलाव की कोई घोषणा कर रहे हैं।

आतंकी हमले की आशंका, सेना और वायुसेना सतर्क

पेज 1 का बाकी

सतर्क किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं और इस कारण पाकिस्तानी समर्थित आतंकी समूह बड़ी साजिश रचने में जुटे हैं। यहां अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करना चाहता है। इस कारण राज्य में मौजूद सेना, एअर फोर्स समेत सभी सुरक्षाबलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

खुफिया इनपुट हैं कि नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से में लगभग 170 आतंकवादी छह लांच पैड्स पर जुटे हैं। सीमापार आतंकी शिविरों में पाकिस्तानी बैट कमांडो इन आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में हैं। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से कई बार घुसपैठ की कोशिश की गई है। भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और घुसपैठ की ऐसी कई कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने कई बार संघर्षविराम उल्लंघन किया।

पाक में भारतीय फिल्मों की सीडी की बिक्री के खिलाफ मुहिम

इस्लामाबाद, 16 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के कदम के बाद पाकिस्तान सरकार ने देश में भारतीय फिल्मों की सीडी की बिक्री के खिलाफ मुहिम शुरू की है। शुक्रवार को मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई।

कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान की ओर से उठाया गया यह नया कदम है। इससे पहले 'पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी' (पेमरा) ने भारतीय कलाकारों वाले और भारत निर्मित उत्पादों के विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया था। 'डॉन' अखबार ने सूचना मामले पर प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक अवान के हवाले से कहा, 'हमने भारतीय विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और भारतीय फिल्में जब्त करने के लिए सीडी की दुकानों के खिलाफ मुहिम शुरू की है।'

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय संघीय राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय फिल्मों के खिलाफ पहले ही मुहिम शुरू कर चुका है और प्रांतीय सरकारों के साथ मिल कर इसे जल्द देश के अन्य हिस्सों में भी चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'आज गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस्लामाबाद में सीडी की कुछ दुकानों पर छापा मारा और भारतीय फिल्में जब्त कीं।' पेमरा ने बुधवार 14 अगस्त को इस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए एक पत्र जारी किया था। पेमरा ने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय चैनलों और कंटेंट के प्रसारण की इजाजत वह पहले ही रद्द कर चुका है।

चीन की चेतावनी : हांगकांग पर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे

हांगकांग, 16 अगस्त (एएफपी)।

हांगकांग में चल रही अशांति को लेकर चीन ने चेताया है कि वह 'हाथ पर हाथ धर कर' नहीं बैठेगा। उसने यह चेतावनी तब दी है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की हिंसक प्रतिक्रिया के खतरे को लेकर चिंता जताई।

ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने का अनुरोध किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बेजिंग में प्रदर्शनकारियों पर 1989 में की गई हिंसक कार्रवाई का जिक्र करते हुए चीन को हांगकांग में 'नया' थ्यानमन चौक बनाने के खिलाफ चेताया।

हांगकांग में चीन को प्रत्यर्पण की अनुमति देने वाले एक विधेयक के विरोध में कई सप्ताह पहले प्रदर्शन शुरू हुए जिन्होंने बाद में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की शक्ल ले ली और हिंसक भी हो गए।

साल 1997 में एक समझौते के तहत ब्रिटेन द्वारा हांगकांग सौंपे जाने के बाद से लेकर अब तक बेजिंग के लिए इस शहर में यह अशांति सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। गुरुवार को एएफपी द्वारा ली गई तस्वीरों के अनुसार, चीन के हजारों सैन्यकर्मियों ने हांगकांग की सीमा के पास एक शहर के खेल स्टेडियम में लाल झंडा फहराते हुए परेड निकाली। शेनजेन के इस स्टेडियम के भीतर बख्तरबंद वाहन भी नजर आए।

सरकारी मीडिया ने इस हफ्ते खबर दी थी कि पीपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) से जुड़े लोग शेनजेन में जमा हो रहे हैं। पीएपी केंद्रीय सैन्य आयोग के कमान के तहत आता है।

ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शिआओमिंग ने कहा कि यदि हांगकांग में स्थिति 'नियंत्रण से बाहर' होती है, तो चीन 'हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा' और वह 'अशांति से निपटने' के लिए तैयार है।

वहीं ट्रंप ने गुरुवार को शांतिपूर्ण समाधान का अनुरोध करते हुए पत्रकारों से कहा कि वह संभावित कार्रवाई को लेकर 'काफी चिंतित' हैं। उन्होंने कहा कि अगर शी जिनपिंग प्रदर्शनकारियों से बात करें तो मैं शर्त लगाता हूं कि वह 15 मिनट में इसका हल ढूंढ लेंगे।' साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह 'जल्द ही' शी से बात करेंगे।

उधर, वीओए न्यूज में प्रकाशित एक साक्षात्कार में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका के लोगों को 'थ्यानमन चौक' याद है। उन्होंने चीन को आगाह किया कि इस तरह की कोई भी घटना हांगकांग में होना बहुत बड़ी भूल होगी।

इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
पंजी. कार्यालय : 42, आनंद लोक, नई दिल्ली – 110049

ई–नीलामी सूचना

ऋणशोध अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2016 के अधीन आस्तियों की बिक्री
नीलामी की तिथि एवं समय : 09 सितम्बर, 2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 02.00 बजे तक
(5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) द्वारा स्वाधिकृत आस्तियों और सम्पत्तियों की बिक्री, जो माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, पीठ–IV द्वारा आदेश दिनांकित 01 फरवरी, 2019 के माध्यम से नियुक्त, परिसमापक के कब्जा अधीन इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड की परिसमापन सम्पदा का भाग है। सम्पत्तियों की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

लॉट सं.	आस्ति		आस्ति का वर्णन		सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा
1	भूमि एवं भवन	भूमि	औद्योगिक प्लॉट नंबर 92, ब्लॉक नंबर सी, होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज–2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश – 201301	1000 वर्ग मीटर	18,50,00,000/-	1,85,00,000/-
			~~औद्योगिक प्लॉट नंबर 93–94, ब्लॉक नंबर सी~~ होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज–2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301	~~2000 वर्ग मीटर~~		
			~~औद्योगिक प्लॉट नंबर 95–97, ब्लॉक नंबर सी~~ होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज–2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301	~~3000 वर्ग मीटर~~		
		भवन (यूनिट–II)	भू तल आरसीसी टिन शेड प्रथम तल आरसीसी टिन शेड द्वितीय तल टिन	— 228 वर्ग फीट 18,779 वर्ग फीट 1,760 वर्ग फीट 17,335 वर्ग फीट 5,609 वर्ग फीट		
		भवन (यूनिट–III)	भू तल आरसीसी टिन शेड आरसीसी स्लैब प्रथम तल आरसीसी टिन शेड द्वितीय तल टिन	— 3,613 वर्ग फीट 6,344 वर्ग फीट 2,140 वर्ग फीट 956 वर्ग फीट 11,856 वर्ग फीट 3,495 वर्ग फीट		
2.	कार		मारूति सुजुकी ऑल्टो		55,000/-	5,500/-
3.	प्लाण्ट एवं मशीनरी	प्लाण्ट एवं मशीनरी	*के विनिर्माण में प्रयुक्त पेट बॉटलस *के विनिर्माण में प्रयुक्तक्राउन कैप्स		3,20,00,000/-	32,00,000/-
		प्रयोगशाला यंत्रोपकरण	--------	--------		
		जनरेटर	--------	--------		
		अग्नि शमन उपस्कर	--------	--------		
		वैद्युत उपस्कर	--------	--------		
4.	मालसूची	मालसूची	कच्चा माल, तैयार माल, डब्ल्यूआईपी इत्यादि	--------	15,00,000/-	1,50,000/-
5.	ऑफिस इक्विपमेंट	ऑफिस इक्विपमेंट	--------	--------	7,00,000/-	70,000/-
		फर्नीचर	--------	--------		
		कम्प्यूटर	--------	--------		

धरोहर राशि जमा का विस्तृत विवरण	
धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत
ईएमडी जमा खाता विवरण (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा)	ईएमडी खाता नंबर : 03881100043137 आईएफएससी कोड : PSIB0000388 लाभार्थी : "इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड परिसमापनाधीन"
परिसमापक का नाम एवं सम्पर्क हेतु नम्बर	नाम पंकज खेतान सम्पर्क हेतु नम्बर : 9999883792 एवं 9310201908
स्थल दौरा एवं विचार–विमर्श बैठक	21 अगस्त, 2019 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक
ईएमडी जमा की अंतिम तिथि एवं समय	28 अगस्त, 2019 अप. 05.00 बजे तक

ईएमडी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :
1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है", जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, सम्पत्ति के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच और निरीक्षण अपने स्वयं के खर्चे पर कर लेना चाहिए तथा अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए।
3. ई–नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज जिसमें आस्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net** पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क करें : श्री तिलक मराठा एवं श्री पुष्पित मारू से **+91- 6351896834 / 079 61200 581/554/594/584/586** ई–मेल : **Tilak@auctiontiger.net/Pushpit@auctiontiger.net/Suppor@auctiontiger.net**

तिथि : 16.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

पंकज खेतान (परिसमापक)
मैसर्स इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण क्रमांक : **IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014**
ई–मेल : **liquidatorintegratedcaps01@gmail.com**
सम्पर्क नंबर : **9999883792** एवं **9310201908**

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में महीने भर में चौथा धमाका, पांच की मौत

कराची, 16 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए बम धमाके में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। धमाका जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुआ। यह एक महीने से भी कम समय में बलूचिस्तान में हुआ चौथा धमाका है।

एक खबर के अनुसार धमाका क्वेटा के कुचलाक इलाके में हुआ। अधिकारियों का मानना है कि धमाका मस्जिद में लगे आईईडी से किया गया। इसमें करीब 8 से 10 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था।

अबतक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि ऐसे हमलों को अक्सर तालिबान के आतंकवादी और बलूच राष्ट्रवादी अंजाम देते हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
समूह कार्यालय – आर.आर.एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सैन्टर, सैक्टर–गामा– I, ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेल: rrl_7656@obc.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक 15.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता सूचित किया जाता है कि खाता **श्री डैनी गुप्ता** (क्र.सं. 11) की सम्पत्ति की ई–नीलामी दिनांक 31.08.2019 को होनी थी, हम आम जनता को सूचित करते है कि इस खाते की सम्पत्ति की ई–नीलामी को रद्द/निरस्त करते है।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

चीन में भूस्खलन की घटना में 17 लापता

बीजिंग, 16 अगस्त (एएफपी)।

दक्षिण–पश्चिम चीन में भूस्खलन की एक घटना के बाद एक दर्जन से अधिक श्रमिकों का दो दिन बाद शुक्रवार को भी पता नहीं चला पाया। अबतक 17 लोगों के लापता होने की खबर है। देश की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

'चाइना डेली' ने बताया कि लापता 17 लोग बुधवार को ट्रैक पर रख–रखाव का काम कर रहे थे। तभी उनके ऊपर की पहाड़ी ढह गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सिचुआन प्रांत के गनलुओ काउंटी में भूस्खलन की यह घटना अचानक हो गई। समाचार पत्र ने कहा कि बचाव अभियान जारी है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
पश्चिम विहार शाखा

175, अवतार एन्क्लेव, चौ० बलबीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली –110 063
फोन नं० 011- 25252005, 011- 25288264 ई–मेल: iob1495@iob.in

शुद्धि पत्र

यह उधारकर्ता खाते **मैसर्स बी .के गियर्स प्रा.लि.** की **15.08.2019** को **फाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता** में प्रकाशित ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में है । सम्पति नंबर 2 के तहत जिसमें एक सुधार निम्नानुसार है–
(1) संपत्ति नंबर 2 के लिए आरक्षित मूल्य **"रु.80.22 लाख"** और ईएमडी **"रु.8.02 लाख"** के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
अन्य सभी विवरण समान रहेंगे।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17.08.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज बैंक

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
Notice Under Section 17 of Securitization Act R/W Provisions of the Debts Recovery Tribunal Act & the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 as amended from time to time
In the matter of S.A. (Dy) No. 227/2019
Smt. Madhu Bala ....Applicant
Versus
Oriental Bank of Commerce ....Respondent
To,
R-2. Shri Gurdeep Singh,
S/o Shri Kartar Singh, Proprietor of G.D. Impex, R/o 10/206, 3rd Floor, Geeta Colony, **New Delhi-110031**

Whereas the above-named applicant has instituted a case against you & whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before this Tribunal on **18-09-2019 at 10.30 A.M.**
Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard & decided in your absence. Given under my hand & seal of this Tribunal on this the 05-08-2019.

Seal

BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Assistant Registrar
DRT-III, New Delhi

उत्तर कोरिया ने दागे दो अज्ञात मिसाइल : सोल

सोल, 16 अगस्त (एएफपी)।

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को समुद्र में दो अज्ञात मिसाइल दागे। साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइ–इन के वार्ता संबंधी बयानों को मूर्खतापूर्ण बताया। हाल के सप्ताहों में यह छठा प्रक्षेपण है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मिसाइल प्रक्षेपण को अमेरिका–दक्षिण कोरिया के इस महीने शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ गंभीर चेतावनी बताया था।

उत्तर कोरिया सैन्य अभ्यासों को हमले का पूर्वाभ्यास बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि मिसाइल कांगवॉन प्रांत के तोंगचोन शहर से दागे गए। उन्होंने जापान सागर में गिरने से पहले करीब 230 किलोमीटर की दूरी तय की।

प्रक्षेपण ऐसे समय में किए गए जब उत्तर कोरिया की शांतिपूर्ण पुनः एकीकरण की समिति ने एक बयान जारी कर कहा कि वह मून जेइ–इन के दिए बयान को खारिज करती है जिसमें उन्होंने एकीकरण की इच्छा जताई थी। समिति ने कहा कि उसके पास दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। समिति ने मून को अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास जारी रखते हुए अंतर कोरियाई वार्ता बहाल करने की उम्मीद करने वाला निर्लज्ज व्यक्ति बताया है।

उत्तर कोरिया ने कहा, 'हमारे पास दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ बात करने के लिए और कुछ नहीं है और न ही फिर से उनके साथ बैठने का कोई इरादा है।'

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	16.01.1957
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी–कानपुर
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L29299UP1957PLC021118
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालयः 6 एवं 6/1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उ.प्र.–203205 कॉर्पो. कार्यालयः सी–4, फेज–, गौतम बुध नगर, नोएडा–201305, उ.प्र.
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	14.8.2019 (एनसीएलटी की वेबसाईट पर आदेश 16.8.2019 को अपलोड की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	10.2.2020 (आदेश की तिथि अर्थात् 14.8.2019 से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिश्नल के रूप में कार्यरत है	अशोक कुमार गुल्ला पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिश्नल का पता एवं ईमेलः	आरबीएसए रीस्ट्रक्चरिंग एडवायजर्स लिमिटेड 2रा तल, आईएपीएल हाउस, 23, दक्षिण पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 ईमेलः ashok.gulla@rbsa.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	अशोक कुमार गुल्ला 2रा तल, आईएपीएल हाउस, 23, दक्षिण पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 ईमेलः ip.fedders@rbsa.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	30.8.2019 (एनसीएलटी की वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने की तिथि से 14 दिन)
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रोफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने अपने आदेश तिथि 14.8.2019 के माध्यम से फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्साल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के क्रेडिटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के पास 30.8.2019 को या उससे पूर्व सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
दावे का प्रमाण अधोलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किया जायेगा जो प्रविष्टि सं. 14 में वर्णित यू आरएल से डाउनलोड की जा सकती है।
प्रपत्र बीः कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडिटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र डीः कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र ईः कर्मियों अथवा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये दावे के लिये
प्रपत्र एफः किसी अन्य क्रेडिटर द्वारा दावे के लिये
फाइनांसियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि : 17.8.2019
स्थानः नई दिल्ली

अशोक कुमार गुल्ला
अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल

जकार्ता के जलमग्न होने का खतरा, बदली गई राजधानी

जकार्ता, 16 अगस्त (एएफपी)।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तेजी से डूब रही है। अगर यही रफ्तार जारी रहा तो जकार्ता का एक तिहाई हिस्सा 2050 तक डूब सकता है। इसके मद्देनजर देश की राजधानी को जकार्ता से बदलकर बोर्नियो द्वीप पर ले जाने का फैसला किया गया है।

अब सड़कों का नाम 'कश्मीर' पर रखेगा पाकिस्तान

लाहौर, 16 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने 36 सड़कों और पांच प्रमुख पार्कों के नाम कश्मीर रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने शुक्रवार को यह एलान किया।

बुजदार ने कहा, 'पंजाब सरकार ने कश्मीरी लोगों के साथ सद्भावना व्यक्त करने के लिए 36 सड़कों (प्रांत के प्रत्येक जिले में एक) का नाम कश्मीर रोड और पांच मुख्य पार्कों का नाम कश्मीर पार्क रखने का फैसला किया है।'

भारत ने पांच अगस्त को जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोनः 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23357170/74, ईमेलः customercare@pnbhousing.com, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002, यथा–संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद ''पीएनबीएचएफएल'') ने 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 में स्थित हमारी दिल्ली शाखा द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया था। उक्त मांग सूचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय–वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नाम/ पता	गारन्टर का नाम/ पता	गिरवी सम्पत्ति	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	HOU/DEL/0915/242413 बी.ओ. दिल्ली	मै. सनमति ऑयल एंड स्पेयर पार्ट्स, श्री राहुल जैन, श्रीमती सरिता जैन एवं श्री सत्य वीर जैन, पताः प्लॉट नं. 105, ब्लॉक सी–7, यमुना विहार, दिल्ली–110053 दूसरा पताः ए–449, मैन वजीराबाद रोड, मीत नगर, दिल्ली–110093	एन.ए.	प्लॉट नं.–105, ब्लॉक नं.–सी–7, यमुना विहार, दिल्ली–110053 (क्षेत्रफल 70 वर्ग मी.)	27.7.2019 (सूचना की तिथि गलती से तथा अनजाने में 25.7.2019 की जगह 27.7.2019 अंकित हो गई थी)	25.7.2019 को रु. 1,37,33,522.79/– (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ बाईस एवं पैसे उन्यासी मात्र)

स्थानः दिल्ली, तिथिः 16.8.2019

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 05.09.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL 1987PTC029976) कर्जदार/ गारंटरः 1. श्री मो. कामिल 2. श्रीमती नासिरा बेगम 3. श्री मोहम्मद मोशिन 4. श्री मोहम्मद ज़ाकी 5. श्री मोहम्मद साबिर 6. श्री शकील अहमद	व्यसायिक सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 5, ब्लॉक–205ए, फॉयर ब्रिज लेन, जिसे 20, फॉयर ब्रिज लेन कहते है, नई दिल्ली–110001 में स्थित, क्षेत्रफल 929 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मो. कामिल (गारंटर) के नाम पर है।	₹ 101.05 करोड ₹ 10.11 करोड ₹ 5.00 लाख	05-09-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक	08.10.2018 रु. 239.40 करोड़ दिनांक 30-09-2018 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	31-08-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे तक
	व्यसायिक सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 8, ब्लॉक–205ए, फॉयर ब्रिज लेन, जिसे 14, फॉयर ब्रिज लेन कहते है, नई दिल्ली–110001 में स्थित, क्षेत्रफल 1012 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मैसर्स एम के ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है।	₹ 120.46 करोड ₹ 12.05 करोड ₹ 5.00 लाख			
		धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 03-09-2019			

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार **नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
1. नीलामी–सह–बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
4. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा– खाता का नाम– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एआरएम शाखा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोडः BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)
6. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण **की स्वः प्रमाणित प्रति**। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
7. **इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे** मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि. बी –704–5 वॉल स्ट्रीट–II, ओरिएंट क्लब के विपरीत गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, **06351896834** ईमेल **delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net** श्री निशिश झा– **7982880393**, हैल्पलाईन नं. **079-61200595/520/548.** हैल्पलाईन ई-मेल **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23441330, मो. नं. 9584317482, ईमेलः armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।**
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध युजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
19 ई-नीलामी से सम्बंधित जानकारी ई-नीलामी टैब **(http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm)** के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।
20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।

बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वंय के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरपैरेबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्राप्ण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकिट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 17.08.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

भारत ने मलेशिया से पाम तेल आयात में वृद्धि की जांच शुरू की

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने मलेशिया से पाम तेल की एक विशेष किस्म के आयात में कथित तौर पर आए उछाल की जांच शुरू की है। यह जांच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद शुरू की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा है कि याचिकाकर्ता के आवेदन का परीक्षण करने के बाद प्रथमदृष्टया आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होने और इससे घरेलू उत्पादकों पर गंभीर असर पड़ने का सबूत मिलता है।

डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा है- यह तय किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का मलेशिया से आयात बढ़ा है या नहीं और यदि बढ़ा है तो इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हुआ है या नहीं, यह तय करने के लिये जांच शुरू की जाए। अगर यह पाया गया कि आयात बढ़ने से घरेलू उत्पादकों पर असर पड़ा है तो डीजीटीआर पाम तेल पर शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। शुल्क लगाने के बारे में वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा।

यह जांच भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियम, 2017 के नियमों के तहत की जाएगी।

प्लास्टिक, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की अपील का कैट ने किया समर्थन

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्लास्टिक इस्तेमाल को हतोत्साहित करने, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता और कारोबारियों से की गई विभिन्न अपीलों का स्वागत किया। संगठन ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं को अमल में लाने की दिशा में भरपूर योगदान देगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की जनता से कई आह्वान किए। उन्होंने लोगों से एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादों को हतोत्साहित करने को कहा। उन्होंने खुदरा कारोबारियों से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने व नकद लेन-देन में कमी लाने की भी अपील की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कपड़े अथवा जूट से बने थैले उपहार में देने चाहिए।

कैट ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि वह इन मुद्दों पर काम आगे बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगी। इस सिलसिले में सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 अगस्त को दिल्ली में बुलाया गया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि दो अक्तूबर से शुरू होने वाले प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान का व्यापारी पूर्ण समर्थन करेंगे और इसके लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया जाएगा। हालांकि, प्रतिबंध लगाने से पहले इस उद्योग से जुड़े लोगों को वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैट सभी खुदरा दुकानदारों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 'डिजिटल को हां, नकद को ना' का बोर्ड लगाने की सलाह देगी।

> कैट ने बयान में कहा, वह इन मुद्दों पर काम आगे बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगी। इस सिलसिले में सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 अगस्त को दिल्ली में बुलाया गया है।

आर्थिक प्रोत्साहनों की उम्मीद से घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट थमी

मुंबई, 16 अगस्त (भाषा)।

सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सरकार के कदम उठाने पर विचार करने व वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों के दम पर शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरने में कामयाब रहे और बढ़त लेकर बंद हुए। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक शुक्रवार को कारोबार के दौरान करीब 470 अंक के उतार-चढ़ाव के बाद समाप्ति पर 38.80 अंक यानी 0.10 फीसद बढ़कर 37,350.33 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 37,444.45 अंक के उच्चतम स्तर व 36,974.41 अंक के निचले स्तर के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसी तरह एनएसई का निफ्टी कारोबार के दौरान 11,068.65 अंक के उच्च स्तर व 10,924.30 अंक के निचले स्तर के दायरे में रहा। कारोबार की समाप्ति पर यह 18.40 अंक यानी 0.17 फीसद बढ़कर 11,047.80 अंक पर बंद हुआ।

साप्ताहिक आधार पर अवकाश वाले इस सप्ताह के दौरान सूचकांक में 231.58 अंक यानी 0.60 फीसद व निफ्टी में 61.85 अंक यानी 0.55 फीसद की गिरावट रही। सप्ताह के दौरान बकरीद के चलते सोमवार को और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बंद रहे। विशेषज्ञों के अनुसार, आर्थिक नरमी की चिंताओं, कमजोर तिमाही परिणाम व वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल का निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा।

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आर्थिक नरमी को लेकर बृहस्पतिवार को अर्थव्यवस्था के हालात की समीक्षा की। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने की उम्मीद से बैंकिंग और वाहन कंपनियों में तेजी देखने को मिली। वाहन कंपनियों में मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स में तेजी देखने को मिली। सूचकांक में शामिल कंपनियों में एस बैंक में सर्वाधिक 3.79 फीसद की तेजी रही। इसके अलावा पावरग्रिड, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर 2.85 फीसद तक चढ़ गए। अन्य बैंकों में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी बढ़त में रहे।

हालांकि, टीसीएस, वेदांता, एचसीएल टेक, एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1.87 फीसद तक की गिरावट में रहे। बीएसई के समूहों में वाहन, बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार, वित्त और रीयल्टी के शेयरों में 1.50 फीसद तक की तेजी रही। आईटी, ईंधन, टेक, धातु और हेल्थकेयर में 0.78 फीसद तक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई का मिडकैप और स्मॉलकैप भी बढ़त में रहा। यूरोपीय बाजार कारोबार के दौरान बढ़त में चल रहे थे। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की बढ़त में बंद हुआ। हालांकि, दक्षिण कोरिया का कोस्पी गिरावट में रहा। साप्ताहिक आधार पर एशियाई बाजार गिरावट में रहे।

कोटक सिक्युरिटीज के उपाध्यक्ष (पीसीजी रिसर्च) संजीव जरबाडे ने कहा कि व्यापार युद्ध की चिंता के कारण वैश्विक बाजार इस सप्ताह गिरावट में रहे। इसका वैश्विक निवेशकों की धारणा पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी बांडों से होने वाली आय में गिरावट से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नरमी का पता चल रहा है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली व खराब तिमाही परिणाम के कारण इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार भी गिरावट में रहे।

CIN No.: U60210RJ2008SGCO25819

JAIPUR CITY TRANSPORT SERVICES LIMITED

Regd. Off. 2nd Floor Old Working Women Hostel, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015
Office Ph. 0141-2744562, Fax No. 0141-2744562; E-mail:jctsl.bus@gmail.com, Website - https://transport.rajasthan.gov.in/jctsl

No. MD/JCTSL/2019-20/D-4952 Date:- 13/08/2019

REQUEST FOR BID NO.: 04/2019-20

Jaipur City Transport Services Limited Invites e-tenders from the Experienced, Qualified, Interested Companies, Registered Partnership Firms, Proprietary Firms and Limited Liability Partnerships through two part bid for supply, Installation, Commissioning and Comprehensive Maintenance of Bus Depot Equipments.

The detailed Notification/ Tender Documents shall be uploaded on website https://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in (JCT1920GLOB00005) from 13-08-2019 at 17:00 hrs onwards. Last date of online submission 30-08-2019 upto 02:00 pm. Tenders are to be submitted online in electronic format. Bidder shall obtain the user ID and Password for participating in e-tendering system through website https://eproc.rajasthan.gov.in or from e-procurement cell RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur and Contact No. 0141-4022688 (Help Desk 10:00 am to 06:00 pm on all working days).

CFO cum Procurement Officer, GEF-5 Project JCTSL, Jaipur

Raj. Samwad/C/2027/2019-2020

कार्यालय महाप्रबंधक (अभियंत्रण)

UPSIDA **उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

ई-निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि जनपद-प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना के अन्तर्गत सीमेन्ट कंक्रीट मैन कॉरीडोर रोड (ए-टाइप) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का निर्माण, जनपद-बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में सड़कों (पार्ट) पर अनुरक्षण एवं उच्चीकरण के कार्यों, जनपद बरेली में मैगा फूड पार्क परियोजना की प्लिन्थ लेविल तक बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु क्रमशः रू0 4411.37 लाख, रू0 118.53 लाख एवं रू0 122.09 लाख धनराशि के कार्यो हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में अर्ह 'ए' श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 17.08.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 31.08.2019 को 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। जिन्हें दिनांक 02.09.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा केवल शपथ पत्रों की मूल प्रतियां दिनांक 05.09.2019 को शाम 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी।

नोटः- निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जी0एस0टी0 सहित दरें अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की website:www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (मु)

उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, कानपुर

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(CIN: L92100DL1994PLC059093)

पंजीकृत कार्यालयः 37, 2रा तल, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज दिल्ली नई दिल्ली डीएल-110055

ई-मेल आईडीः cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाईटः www.sadhnabroadcost.com,

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

भाग-1 (रु. लाखों में)

	विवरण (नीचे टिप्पणी देखें)	समाप्त तिमाही (30.6.2019) (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2019) (अंकेक्षित)	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (30.6.2018) (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	643.21	5540.74	1683.78
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	16.81	192.20	98.86
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	16.81	192.20	98.86
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*)	12.44	139.89	69.89
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	12.44	139.89	69.89
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1002.65	1002.65	1002.65
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
1.	मूल	0.12	1.40	0.32
2.	तरल	0.12	1.40	0.32

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com) तथा सूचीबद्ध सत्ता की (www.sadhnabroadcast.com) वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
नामः तेजिन्दर कौर
पदनामः निदेशक

तिथिः 14.8.2019 DIN: 06799570

लीडिंग लीजिंग फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910DL1983PLC016712

पंजी. कार्यालयः 1009, 10वाँ तल, प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

ई-मेलः leadingleashing@gmail.com, वेबसाइटः www.llflltd.com

30.06.2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम का विवरण

भाग-1 (रु. लाखों में)

	विवरण (नीचे विवरण देखें)	समाप्त तिमाही (30.6.2019) (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष (31.3.2019) (अंकेक्षित)	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (30.06.2018) (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	65.68	195.81	37.47
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	49.91	149.20	29.30
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	49.91	149.20	29.30
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	36.93	108.05	21.76
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	36.93	108.05	21.76
6.	इक्विटी शेयर पूंजी			
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)	533.50	533.50	533.50
1.	मूल	0.69	2.02	0.41
2.	तरल	0.69	2.02	0.41

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
2. लेखा नीतियों में परिवर्तनों के कारण शुद्ध लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट के द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।
3. # जहां कहीं भी लागू हो, इंड एएस नियमावली/ एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मद लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित है।

लीडिंग लीजिंग फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(एमि जिनेन शाह)

तिथिः 14.8.2019 पदनामः निदेशक
DIN: 06792048

लौह अयस्क के दाम में बदलाव न करने की घोषणा

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी ने अगस्त महीने के लिए लौह अयस्क की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने की शुक्रवार को घोषणा की। कंपनी ने बताया कि जुलाई 2019 में उसका उत्पादन 37 फीसद बढ़कर 19.5 लाख टन हो गया है। एक साल पहले की इसी अवधि में उसने 14.2 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था।

एनएमडीसी ने शेयर बाजारों को बताया कि उसने उच्च ग्रेड के लौह अयस्क (लंप्स) को 3,100 रुपए प्रति टन और निचले ग्रेड के लौह अयस्क (फाइंस) को 2,860 रुपए प्रति टन पर अपरिवर्तित रखा है। ये दरें तीन अगस्त से प्रभावी हैं। कंपनी ने कहा कि इस मूल्य में रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी), उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं हैं। एनएमडीसी ने एक अलग जानकारी में शेयर बाजारों को बताया कि उसका लौह अयस्क उत्पादन जुलाई 2019 में 37 फीसद बढ़कर 19.5 लाख टन हो गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 14.2 लाख टन था।

Before the Central Government
Ministry of Corporate Affairs
Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
In the matter of M/S. SCAN DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED having its Registered office at 922-23, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005, India. **(Petitioner)**

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday, 1st day of july, 2019 to enable the company to change its Registered office from National Territory of Delhi to State of Uttar Pradesh.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the **Bench Officer, Regional Director, Northern Regional Bench, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003,** within **Fourteen days** from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below-

922-23, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005, India.

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Umesh Kumar Agrawal
Director
DIN: 00866000
ADDRESS: D1, SHAHJADA KOTHI, RAEBARELI, UTTAR PRADESH- 229001, INDIA

Date: 02/08/2019
Place: NEW DELHI

WISEC GLOBAL LTD.

Regd. Office: NH-II, 2nd Floor, C-Block,Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi -110028
CIN: L74140DL1991PLC046609

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE,2019 (Rupees in Lacs)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended Un-audited 30.06.2019	Audited* 31.03.2019	Un-audited 30.06.2018	Year Ended Audited 31.03.2019
1	Income from operations				
2	Net Sales/income from Operations (Net of excise duty)	-	-	-	-
3	Net Profit before tax	(4.50)	(3.14)	(1.96)	(7.90)
4	Net Profit after tax	(4.50)	(3.14)	(1.96)	(7.90)
5	Total Comprehensive Income	-	-	-	-
6	Paid up equity share capital (Face value Rs. 10/- Each	1,165.01	1,165.01	1,165.01	1,165.01
7	Reserve (excluding revaluation Reserve if any)	-	-	-	(2,595.24)
8	EPS from continuing opeeration-				-
	Basic (Rs.)	-	-	-	-
	Diluted (Rs.)	-	-	-	-

Note:
1. The above result were taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th August 2019.
2. Corresponding figures for prior period have been adjusted/regrouped/reclassified where ever necessary.
3. Previous period expenses are regrouped wherever necessary.

By order of the Board
For Wisec Global Limited
RAKESH RAMPAL
(Whole Time Director)

Place : New Delhi
Date : 14.08.2019

अनुसूची-I
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

मेडीसिन्स कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मेडीसिन्स कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28.12.2010(अट्ठाईस दिसम्बर दो हजार दस)
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय)
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51909HR2010PTC052394
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	705-706, 7वां तल, वाटिका प्रॉफेशनल प्वाइन्ट गोल्फ कोर्स एक्स्टें. रोड, सेक्टर 66, गुड़गांव, गुड़गांव एचआर 122001 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	14.8.2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	प्रणव कुमार, 3 एफ, सीएस-70, तीसरा तल, अंसलप्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद-201010, उ.प्र., भारत, ई-मेलः pranavcs@outlook.com, मो.नं. 9810793994, पंजी.सं. (IBBI/IPA-002/IP-N00263/2017-18/10776)
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	12.9.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि [मेडीसिन्स कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड] ने [14.8.2019] को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।

एतद्द्वारा [मेडीसिन्स कम्पनी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड] के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास [12.2.2019] को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारकों प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 14.8.2019 प्रणव कुमार
स्थानः गाजियाबाद परिसमापक

कई तरह की समस्याओं से घिरी जेट एअरवेज के तिमाही परिणाम में देरी

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

कई तरह की समस्याओं से घिरी निजी क्षेत्र की एअरलाइन कंपनी जेट एअरवेज के जून तिमाही के वित्तीय परिणामों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है और प्रक्रिया में समय लग रहा है। एक बयान में यह कहा गया है। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेट एअरवेज से जुड़े मुद्दों को अब समाधान आशीष छावछारिया देख रहे हैं। एअरलाइन की सेवाएं 17 अप्रैल से निलंबित हैं।

छावछारिया ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व कंपनी के निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी और शीर्ष प्रबंधन से जुड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि जुलाई के मध्य तक डाटा तक पहुंच नहीं थी। लंबित चीजों के चलते 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम तैयार नहीं हो सके हैं; उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि सेबी एलओडीआर (सूचीबद्धता जवाबदेही और खुलासा अनिवार्यता) की नियम संख्या 33 के तहत जरूरी अनिवार्यताओं को तय समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। इन अनिवार्यताओं के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों को एक निश्चित समय के भीतर तिमाही परिणामों की जानकारी देनी होती है। कंपनी ने 14 अगस्त के एक पत्र के जरिए शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है।छावछारिया ने आश्वस्त किया कि मुद्दों को सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जेट एअरवेज के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त को समाप्त हो गई।

कल तक बंद रहेंगे हीरो मोटोकॉर्प के विनिर्माण संयंत्र

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने चार दिनों के लिए विनिर्माण संयंत्रों को बंद किया है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बीएसई को बताया कि उसके विनिर्माण संयंत्र 15 अगस्त से बंद हैं और ये 18 अगस्त तक बंद रहेंगे। उसने कहा कि सालाना अभ्यास तथा मौजूदा मांग के हिसाब से विनिर्माण का समायोजन करने के लिए ऐसा किया गया है।

कंपनी ने कहा- यह स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और सप्ताहांत के कारण सालाना अवकाश का भी हिस्सा है लेकिन आंशिक तौर पर यह नरम पड़ती बाजार मांग का भी संकेत देता है। उल्लेखनीय है कि वाहनों की मांग में नरमी के कारण विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियां उत्पादन कम कर रही हैं।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

सीट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सीट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29/11/2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	CIN :U24100DL2012PTC245429
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 147, नई मंगलापुरी, एम जी रोड, नई दिल्ली - 110030 **गोडाउन :** गोडाउन नंबर 6, राओलाल सिंह मार्केट, मुंजाल शोवा के सामने, सरहोल, सेक्टर-18, गुड़गांव-122001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	08 अगस्त 2019 (ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख 14 अगस्त 2019)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	3 फरवरी 2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**अतुल कंसल** **पंजीकृत सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00035/2016-17/10088
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एससीओ -61, तीसरी मंजिल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के ऊपर, ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -15, सिविल लाइंस, गुड़गांव - 122001 **ईमेलः** cakansal@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	एससीओ -61, तीसरी मंजिल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के ऊपर, ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -15, सिविल लाइंस, गुड़गांव - 122001 **ईमेलः** cirp.seitz@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	28 अगस्त 2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) कॉलम नंबर 10 पर उल्लेखित पते पर

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण,पीठ -IV नई दिल्ली ने दिनांक 08 अगस्त, 2019 को **सीट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

सीट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **28 अगस्त, 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी (लागू नहीं) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स (लागू नहीं) में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

अतुल कुमार कंसल
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
कृते सीट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 16 अगस्त 2019
स्थान : गुड़गांव

फिच रेटिंग्स ने रिलायंस की रेटिंग को बेहतर करते हुए सकारात्मक किया

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

फिच रेटिंग्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए परिदृश्य को स्थिर से बढ़ा कर सकारात्मक कर दिया। कंपनी की ओर से मार्च 2021 तक शुद्ध कर्जे को खत्म करने की घोषणा के बाद आरआइएल की रेटिंग में यह बदलाव किया गया है।

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और

जी डी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51505DL2003PTC120403)

जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. **461/6ए, गली नं. 7, दलाई मोहल्ला, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **10 अगस्त, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/ विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **461/6ए, गली नं. 7, दलाई मोहल्ला, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **जी डी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड**

दिनांकः 16 अगस्त 2019 सुजाता गर्ग (निदेशक)
स्थानः दिल्ली डीआईएनः **06474865**

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता पश्चिम-III

नांगलोई फेज-III: बारात घर के निकट, नई दिल्ली-41

एनआईटी सं. 29 पश्चिम-III/(2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (पश्चिम)-III के अंतर्गत मुंडका एसी-08 में रोहतक रोड पर नांगलोई एसपीएस कैम्प नं. 03 से अरविन्द एन्क्लेव क्रॉसिंग तक 1100 एमएम/900 एमएम डाया ट्रंक सीवर का डिसिल्टिंग।	रु. 3862628/-	रु. 500/-	रु. 77500/-	14.8.2019 आई.डी. नं. 2019_DJB_178242_1	30.8.2019 के 3.00 बजे अप. में।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/269

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (पश्चिम)-III

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (उत्तर)-I

ओवरहेड टैंक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

एनआईटी सं. 12 मद सं. 1 (उत्तर)-I (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन में निविदा जारी की तिथि	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई(एन)-I के अंतर्गत मल्कागंज वार्ड नं. 13 की सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिये एसजी बेलदारों की भर्ती। निविदा आई.डी. नं. 2019_DJB_178271_1	मद दर	14.8.2019 6.00 बजे सांय से	56000/-	500/-	तकनीकी बोली 29.8.2019 के 3.00 बजे अप. तक प्राप्त की जायेगी तथा वित्तीय बोली को तकनीकी बोली की पूर्णता तथा बैंक से ईएमडी की पुष्टि के बाद खोला जायेगा।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/272

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (उत्तर)-I

आभूषण विक्रेताओं की लिवाली से सोना 475, चांदी 378 रुपए तेज

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

आभूषण कारोबारियों की ताजा लिवाली से स्थानीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 475 रुपए की तेजी के साथ 38,420 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार सोने की तेजी के अनुरूप, औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का उठाव बढ़ने से चांदी की कीमत भी 378 रुपए की तेजी के साथ 44,688 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि घरेलू हाजिर बाजार में आभूषण विक्रेताओं की मांग बढ़ने से सोने की कीमत में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि हालांकि, कमजोर वैश्विक रुख ने लाभ को कुछ सीमित कर दिया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने का भाव गिरावट दर्शाता 1,513 डॉलर प्रति औंस रह गया और चांदी का भाव भी 17.26 डॉलर प्रति औंस रह गया।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस बाजार) तपन पटेल ने कहा कि हालांकि, अमेरिका के खुदरा बिक्री आंकड़ों में मजबूती दिखने से वैश्विक बाजारों में सोने में बिकवाली का जोर रहा। अमेरिकी आंकड़ों से खुदरा खपत में वृद्धि का संकेत मिलता है। वैश्विक इक्विटी कारोबार में निवेशकों की धारणा में सुधार से भी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में मांग कमजोर पड़ी है। लेकिन हांगकांग में जारी अशांति और व्यापार युद्ध को लेकर बढ़ी चिंताओं ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का सीमित कर दिया।

चैनलों पर नई शुल्क व्यवस्था का हुआ दुरुपयोग : ट्राई

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

- नियामक ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी पक्षों से विचार मांगा है।
- ट्राई ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नई नियामकीय रूपरेखा को अधिसूचित किया था।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि वितरकों ने नई शुल्क व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए टीवी चैनलों के उचित बाजार मूल्य की खोज नहीं होने दी। नियामक ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी पक्षों से विचार मांगा है। टीवी चैनलों के चयन और उनकी कीमत से जुड़ीं शिकायतें आने के बाद ट्राई ने यह बात कही।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नई नियामकीय रूपरेखा को अधिसूचित किया था। नए नियम 29 दिसंबर 2018 से लागू हुए। टेलीविजन व प्रसारण क्षेत्र के लिए ट्राई के नए नियम या आदेश ने ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने की आजादी दी। ट्राई ने बयान में कहा कि विश्लेषण से पता चला है कि नए नियामकीय ढांचे ने टीवी चैनलों की कीमतें तय करने में पारदर्शिता, क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों में सामंजस्य और हितधारकों के बीच विवाद को कम किया। हालांकि, ग्राहकों को चैनल चुनने के पर्याप्त विकल्प नहीं दिए गए।

दूरसंचार नियामक ने प्रसारण व केबल सेवाओं के लिए शुल्क से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। ट्राई ने कहा कि प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म परिचालकों (डीपीओ) से उम्मीद की जा रही थी कि वे नए नियमों में मिली लचीलेपन का उपयोग ग्राहकों की चिंताओं और आकांक्षाओं को दूर करने में करेंगे। हालांकि, उन्होंने चैनलों के पैकेज पर भारी छूट देकर एक प्रकार से नई शुल्क व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए टीवी चैनलों के वास्तविक बाजार मूल्य की खोज नहीं होने दी।

बयान में कहा गया है कि प्रसारकों ने पैकेज में शामिल चैनलों में उनकी दर के मुताबिक भुगतान वाले चैनलों की तुलना में 70 फीसद तक छूट की पेशकश की है।

ट्राई ने कहा कि चैनलों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होना दूसरी समस्या बनी। जहां प्रसारकों और वितरकों ने पैकेज में एक ही तरह के कई चैनल डाल दिए। कई चैनल पैकेजों से न सिर्फ उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा हुआ बल्कि उन्हें अपने पसंद के चैनल चुनने में बाधा हुई। ट्राई ने कहा कि इससे उपभोक्ता भ्रमित हो गए और उन्हें सुझाए गए टीवी चैनलों के पैकेज लेने के लिए ही मजबूर होना पड़ा। इसने टीवी चैनल चुनने की उनकी आजादी का हनन हुआ है।

काला जादू करने वाले तीन भाइयों को सात साल की कड़ी कैद

ठाणे, 16 अगस्त (भाषा)।

ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के तीन भाइयों को उनके द्वारा चलाए जाने वाले नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और उन पर काला जादू करने के लिए सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। ठाणे जिला अदालत के न्यायाधीश शैलेंद्र तांबे ने बुधवार को पारित अपने आदेश में दोषियों– कांतिलाल पुरुषोत्तम देशमुख, नंद कुमार और उमेश पर 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि ये तीनों वाडा में ओम शिव आरोग्यधाम दारू मुक्ति केंद्र चलाते थे। हालांकि वे मरीजों को बेल्ट और अन्य चीजों से मारा करते थे। वे पीड़ितों को धमकाते थे कि अगर उन्होंने निर्देश नहीं माने तो उन्हें दर्द सहना होगा और परिणाम भुगतने होंगे। हिवराले ने बताया कि ये सब 2010 से 2015 के बीच होता रहा।

अदालत ने मामले की जांच करने वाले संजय हजारे समेत कई अन्य पीड़ितों के बयानों पर भरोसा करते हुए तीनों को भादंसं की धारा 420 (धोखाधड़ी), 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (सबूत मिटाना) और महाराष्ट्र मानव बलि व अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम व उन्मूलन और काला जादू कानून, 2013 की धाराओं के तहत दोषी पाया।

मारपीट में जान गंवाने वाले दलित युवक के पिता ने आत्महत्या की

जयपुर, 19 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान के अलवर जिले में मारपीट की घटना में जान गंवाने वाले दलित युवक के पिता ने गुरुवार को कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि बेटे की मौत के मामले में पुलिस की निष्क्रियता से वह परेशान था। विपक्षी भाजपा ने इस मामले में राज्य सरकार व पुलिस पर निशाना साधा है और मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की मांग की है।

चौपानकी पुलिस थाने के प्रभारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि रतिराम जाटव ने गुरुवार को कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि कोई पत्र नहीं मिला है और उनके शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। चंदेल ने कहा कि गांव वालों के अनुसार रतिराम दृष्टिहीन था। रतिराम के परिवार वालों ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने व समाज के अन्य लोगों ने प्रभावित परिवार को मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर टपूकड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया।

अलवर के जिला पुलिस अधीक्षक अनिल परिस देशमुख ने बताया कि आंदोलनकारी एक करोड़ रुपए मुआवजा व पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से बात की। वहीं युवक की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि युवक की मौत के बाद इस मामले में हत्या से संबद्ध धारा 302 जोड़ी गई थी और मामले में जांच चल रही है। विपक्षी भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर पुलिस व राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है।

भाजपा के राज्य प्रवक्ता व विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात तो करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दलित व बहुसंख्यक समाज का संरक्षण इस सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक की मौत के एक महीने बाद भी पुलिस किसी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और प्रताड़ना से परेशान उसके पिता रतिराम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूनिया ने इस मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की मांग की है। साथ ही भाजपा ने एक समिति गठित की है जो घटनास्थल पर जाकर तथ्यों का पता लगाएगी।

उल्लेखनीय है कि अलवर जिले के फलसा गांव के युवक हरीश जाटव की 19 जुलाई को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हरीश के पिता रतिराम ने 17 जुलाई को एक मामला दर्ज करवाया था कि 16 जुलाई को फलसा गांव में हरीश की बाइक किसी अन्य के साथ भिड़ गई, जिसको लेकर वहां खडे ठेकेदार उमरशेर व अन्य ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट में हरीश को गंभीर चोटे आई। वहीं 17 जुलाई को ही जमालुद्दीन ने भी एक मामला दर्ज करवाया, जिसमें हरीश पर तेजी व लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसकी पत्नी हकीमन को टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
(भारत सरकार का उपक्रम)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482,
ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 13.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि खाता **मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि.** के मामले में सम्पत्ति का विवरण : डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब के स्थान पर डेरा बस्सी, जिला एस.ए.एस नगर, पंजाब **पढ़ा जाए।** शेष नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 16-08-2019 — बैंक ऑफ बड़ौदा

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED
Reg. Office: 913, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi – 110 019, India
Tel: +91-11-26411931/5961
Fax: +91-11-26221521
Website: www.technofabengineering.com
Email: info@technofabengineering.com

Board Meeting

Notice is hereby given that due to disruption in working at office on account of sudden and sad demise of Late Sh. Avinash C Gupta, Chairman & Whole-time Director, Financial Results for the quarter ended 30th June 2019 couldn't be finalized/ approved in the meeting of Board of Directors held on 14th August 2019. However it has been decided to conduct another meeting of Board of Directors on Friday, 23rd August 2019, inter alia, to consider and take on record unaudited financial results of the Company for quarter ended on 30th June, 2019.

For Technofab Engineering Limited
Suman Kumar Verma
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Faridabad
Date : 16.08.2019

पशुपति फिनकैप लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालयः 127–128, त्रिभुवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली– 110065

30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणाम

(रुपये लाखों में)

विवरण	समाप्त 3 महीने 30 जून–19	समाप्त 3 महीने 31 मार्च–19	समाप्त 3 महीने 30 जून–18	समाप्त 12 महीने 31 मार्च–19
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	-	-	0.27
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि)(कर एवं विशिष्ट मदों से पूर्व)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-	-	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी	470	470	470	470
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	(441.37)
आय प्रति शेयर (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) विशिष्ट मदों से पूर्व (रु.10/– प्रति का वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल ख) तरल	-	-	-	-
आय प्रति शेयर (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (विशिष्ट मदों के बाद) (रु.10/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल ख) तरल	-	-	-	-

टिप्पणीः
1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों पर 13 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी तथा 13 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया है।

पशुपति फिनकैप लि. के लिए
हस्ता./–
विदित जैन
निदेशक
स्थानः दिल्ली
तिथिः 13.08.2019

संयुक्त राष्ट्र की बैठक सरकार की कूटनीतिक विफलता : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त ।

> पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हो रहा है उससे हम बहुत हैरान हैं।

कांग्रेस ने जम्मू–कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री को प्रयास करके यह बैठक रद्द करवानी चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हो रहा है उससे हम बहुत हैरान हैं। यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है।उन्होंने कहा कि इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि पूरा जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहां कानून में कोई भी बदलाव भारत का आंतरिक मामला है। सिंघवी ने कहा कि 55– 60 साल के बाद पहली बार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय करने की कोशिश की गई है।

उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि वह हमारे मित्र देशों के यहां फोन करें और इस बैठक को निरस्त कराएं।

सिंघवी ने कहा कि सभी सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन यह बैठक सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामी है।

बता दें कि पौलेंड के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने कश्मार मुद्दे को चर्चा के लिए अधिसूचित किया है।

गुवाहाटी स्टेशन पर 7 किलो गांजा जब्त

गुवाहाटी, 16 अगस्त (भाषा) ।

जीआरपी ने शुक्रवार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से तकरीबन 50,000 रुपए मूल्य का करीब सात किलोग्राम गांजा जब्त किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सुबह करीब 6 बजे ट्रेन की नियमित जांच के दौरान एक रेलवे कर्मचारी ने त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस में सवार एक यात्री से गांजा बरामद किया। व्यक्ति की पहचान ब्रज किशोर कुमार के रूप में हुई है। उसे जीआरपी को सौंप दिया गया है। कुमार त्रिपुरा के अंबासा में ट्रेन में सवार हुआ था और बिहार के हाजीपुर में गांजा पहुंचाने जा रहा था।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 (फोन : 011–25854313) नई दिल्ली–110025 ई–मेल : bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

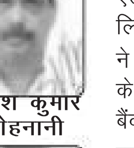
महेश कुमार मोहनानी

सुरेश कुमार मोहनानी

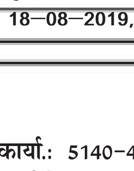
मनोज कुमार मोहनानी

खाते का नाम : मैसर्स वासरी (Vasari) इंडिया (प्रा.) लि. एवं मैसर्स सुन्द्री (Sundri) अपैरल्स (इंडिया) प्रा. लि.
कर्जदार : श्री महेश चन्द मोहनानी, श्री मनोज कुमार मोहनानी एवं श्री सुरेश कुमार मोहनानी
बकाया राशि : रू. 3422.01 लाख + 18–10–2010 की प्रभावी तिथि से ब्याज एवं अन्य प्रभार – चुकाई गई राशि, यदि कोई

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि मैसर्स वासरी (टेंतप) इंडिया (प्रा.) लि. एवं मैसर्स सुन्द्री (नदकतप) अपैरल्स (इंडिया) प्रा. लि.

ने बैंक से रू. 3300 लाख का ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण चुकाने में की गई चूक के कारण खाता 18–10–2010 को एनपीए घोषित किया जा चुका है। कर्जदार को बैंक द्वारा "साशय चूककर्ता" घोषित किया जा चुका है।

कर्जदार बैंक को रू. 3422.01 लाख की राशि उस पर 18–10–2010 की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज तथा अन्य लागतों/राशियों सहित चुकाने का भागी है, जिसके लिए बैंक ने उसके विरूद्ध वसूली कार्यवाही आरंभ कर दी है।

जनहित में, यह सूचना दी जाती है कि बैंक द्वारा साशय चूककर्ता घोषित किए जाने के कारण, कर्जदार किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तिथि : 18–08–2019, स्थान : नई दिल्ली — शाखा प्रमुख (ब्रान्च हेड)

LATENT LIGHT FINANCE LIMITED

(Formerly Known as Galaxy Commercial Limited)
Regd. Office: 120, Local Shopping Centre, Aurbindo Place, Hauz Khas New Delhi - 110016
CIN: L74130DL1984PLC019469,
E-mail Id: galaxycommerciallimited@gmail.com
Ph. No.: 011-41074949, **Fax. No.:** 011-41074949, **Website**:-www.llfl.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of M/s Latent Light Finance Limited (Formerly Known as Galaxy Commercial Limited) will be held on Saturday, 28th day of September, 2019 at 11.00 A.M. at the registered office of the Company Situated at 120, Local Shopping Centre, Aurbindo Place, Hauz Khas New Delhi - 110016 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2019, including the audited Balance Sheet as at 31st March, 2019, the Statement of Profit and Loss for the financial year ended on that date and the reports of the Board of the Directors and Auditors thereon.
2. To appoint a Director in place of **Mr. Dharmender Singhal (DIN: 03257550)**, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

By order and on behalf of the Board
Latent Light Finance Limited
(Formerly Known as Galaxy Commercial Limited)
Sd/-
(Yash Gupta)
Company Secretary
PAN: BPPPS4056H

Place: New Delhi
Date: 14th August, 2019

गर्भवती पत्नी, बेटे व माता-पिता को मार, खुद को मारी गोली

बंगलुरु, 16 अगस्त (भाषा)।

चामराज नगर जिले के गुंडलूपेट में शुक्रवार की तड़के खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। इससे पहले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी, बेटे और माता–पिता की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि व्यापार में भारी घाटे के बाद उसके ऊपर हुए कर्ज की वजह से उसने यह चरम कदम उठाया हो।

चामराजपेट के पुलिस अधीक्षक एचडी आनंद कुमार ने बताया कि परिवार के मुखिया ओम प्रकाश ने अपने मुंह में गोली मारने से पहले उन सभी के सिर में गोली मारी।

इस घटना में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें उन सभी लोगों की आपसी सहमति थी, क्योंकि किसी के भी विरोध करने का कोई संकेत नहीं मिला है। मामले की जांच चल रही है।

कुमार ने बताया कि ओम प्रकाश भट्टाचार्य, उसकी पत्नी निकिता, बेटे आर्य कृष्ण, उसके माता–पिता नागराज भट्टाचार्य और हेमा एक रिसॉर्ट के पास खेत में मृत पाए गए। वे उसी रिसॉर्ट में रह रहे थे।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड

सीआईएनः L92111DL1988PLC033099
पंजीकृत कार्यालयः 402, अर्चना, बी–ब्लॉक रोड, अर्चना, ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली–110048
फोनः (+91–11) 4157 7777 2644 6666 फैक्सः (+91–11) 4986 2990,
ई–मेलः corporate@ndtv.com; वेबसाईटः www.ndtv.com

31वीं वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम'') के लिए दिनांक 30 जुलाई, 2019 की सूचना के लिए सदस्यों को शुद्धिपत्र

प्रिय सदस्य व अन्य,
सोमवार, 02 सितंबर, 2019 को आयोजित की जाने वाली न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण बैठक की जानकारी देने वाली सूचना दिनांक 30, जुलाई, 2019 के संदर्भ में। इस संबंध में, सदस्यों से ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर व शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं के बंद होने की घोषणा की तिथि जहां कहीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 और 10 अगस्त, 2019 को प्रकाशित समाचार विज्ञापन में प्रदर्शित है को बुधवार 21 अगस्त, 2019 के बजाय शनिवार, 24 अगस्त, 2019 पढ़ा जाए।
उक्त संदर्भित दस्तावेजों में वर्णित अनुसार अन्य सभी जानकारी समान रहेगी और शुद्धिपत्र के साथ पढ़ी जाएंगी। असुविधा के लिए खेद है। शुद्धिपत्र, एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 का नवीनतम संस्करण कंपनी की वेबसाइट www.ndtv.com पर उपलब्ध है।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड
शिव राम सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2019

पशुपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालयः 127–128, त्रिभुवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110065

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(ईपीएस छोड़कर राशि लाखों में)

विवरण	समाप्त 3 महीने 30 जून, 19 समीक्षाकृत	समाप्त 3 महीने 31 मार्च, 19 टिप्पणी सं. 8	समाप्त महीने 30 जून, 18 समीक्षाकृत	समाप्त 12 महीने 31 मार्च, 19 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2561	2907	3041	11568
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि)(कर एवं असाधारण मदों से पूर्व)	2	1	7	25
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	2	1	7	25
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	1	(5)	5	10
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेत (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	3	28	7	49
इक्विटी शेयर पूंजी	934	934	934	934
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)				2248
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)				
क) मूल	0.01	(0.03)	0.05	0.11
ख) तरल	0.01	(0.03)	0.05	0.11
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)				
क) मूल	0.01	(3.03)	0.05	0.11
ख) तरल	0.01	(3.03)	0.05	0.11

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
2. उपरोक्त परिणामों पर 14 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा तथा 14 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया।
3. इन विवरणों को उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (इंड ए एस) नियमावली, 2015 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) लेखा नियमावली, 2016 के अनुसार तैयार किया गया है।
4. फैक्ट्री भूमि के भाग के अधिग्रहण पर अतिरिक्त हर्जाने का प्रावधान जब और जैसे वह प्राप्त होता है, किया जायेगा।
5. उसके आदेश तिथि 17.2.2012 के माध्यम से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसार कम्पनी ने क) 14% प्रतिभूत विमोचनीय अंशतः रूपांतरणीय डिबेन्चरों तथा ख) 15% प्रतिभूत विमोचनीय अंशतः रूपांतरणीय डिबेन्चरों के बकाये के सम्पूर्ण तथा अंतिम निपटारे के लिये सभी डिबेन्चर धारकों को चेक पहले ही प्रेषित कर दिया है। यदि किसी डिबेन्चर धारकों को यह चेक प्राप्त नहीं हुआ हो, वे श्री अभिनव त्यागी कम्पनी सचिव से ऊपर वर्णित प्रधान कार्यालय के पते पर सम्पर्क करें या abhinav.tyagi@pasupatitextiles.com पर ई मेल करें।
6. 31.3.2019 को समाप्त तिमाही के आँकड़े 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित आँकड़े तथा 31.12.2018 को समाप्त नौ महीने के समीक्षाकृत आँकड़ों के बीच संतुलक आँकड़े हैं।
7. कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस 116 'लीजेज' अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों के उपयोग तथा तत्स्थानीय पट्टा दायित्व की पहचान हुई है। कम्पनी के लाभों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. के लिए
हस्ता./–
अभिनव त्यागी
कम्पनी सचिव
स्थानः दिल्ली
तिथिः 14.8.2019

प्ररुप सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (झ)छ के खंड (क) छ के मामले में
और
ऑरीमैक्स वोयाजीस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 71, सैक्टर–3, पॉकेट–1एण्ड2, फेस–I, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में है, के मामले में
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 20.03.2019 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :
71, सैक्टर–3, पॉकेट–1एण्ड2, फेस–I, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

कृते ऑरीमैक्स वोयाजीस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तिथि : 16.08.2019 — श्रीनिवासा राव सुरिनि
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 07885471
हाउस नंबर 17–1–311, करीमाबाद, नियर सुबाश स्टैचू, वारंगल, तेलंगना–506002

फॉर्म आई एन सी–26
सार्वजनिक सूचना
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (झ)छ के खंड (क) छ के मामले में
और
क्वाजेट हेल्थ सर्च प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74120UP2012PTC052484)
जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ–59, अरोड़ा शॉपर्स कॉम्प्लेक्स, शक्ति खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201012 में स्थित है, के मामले में
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का **पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिये **दिनांक 01 अगस्त, 2019** को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **MCA-21 पोर्टल www.mca.gov.in** पर निवेशक शिकायत फार्म भर सकता है या एक शपथ–पत्र जिसमें उनके हित की प्रकृति और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ में अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी–2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगाः
क्वाजेट हेल्थ सर्च प्राइवेट लिमिटेड
एफ–59, अरोड़ा शॉपर्स कॉम्प्लेक्स, शक्ति खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201012
के लिए और उनकी ओर से
क्वाजेट हेल्थ सर्च प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
दिनांक : 14.08.2019 — दीपाली जेटली
स्थान : गाजियाबाद — निदेशक
डी आई एन : 07630090
23/2, एमिलिया 4, द्वितीय तल, वाटिका सिटी, गाजियाबाद सोहन रोड, सैक्टर 49 गुड़गांव 122001

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L27106DL1985PLC021811
पंजी. कार्या.: 5140–41/34, चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, सदर बाजार, दिल्ली–110006
ई–मेल आईडीः nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईटः www.nirajispat.in

30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

भाग 1 (रु. लाख में)

	विवरण (नीचे टिप्पणी देखें)	समाप्त तिमाही (30.06.2019) (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष (31.03.2019) (अंकेक्षित)	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (30.06.2018) (अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	158.07	644.12	179.48
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	27.82	84.71	33.81
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)	27.82	84.71	33.81
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	20.59	65.55	25.36
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	20.59	65.55	25.36
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
1)	मूल	3.43	10.93	4.23
2)	तरल	3.43	10.93	4.23

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।
3. # जो भी लागू हो, इंड–एएस नियमावली/ एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों को लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
नामः हरियंत कुमार चौधरी
पदनामः निदेशक (DIN: 00021795)
तिथिः 14.8.2019

इंडियन बैंक Indian Bank
आपका अपना बैंक Your Own Bank
अंचल कार्यालयः नोएडा Zonal Office, Noida
शाखाः– इण्ड. रिटेल प्रोसेसिंग सैन्टर, गाजियाबाद, डी–37/2, सैक्टर–50, नोएडा– 201301, फोनः 0120 – 2502364

प्रकाशन मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

13–11–2018 को पंजी. डाक द्वारा निम्नलिखित को प्रेषित :
श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री राधे श्याम, 88/ए. प्रेम गढ़ी, पुराना बस स्टैण्ड के पास, गाजियाबाद – 201001 और पंजाब नैशनल बैंक, समसपुर शाखा, गांव और पोस्ट समसपुर, जिला बुलन्दशहर – 203131 (उधारकर्ता और मोरटगैगर)।
श्रीमति अनीता रानी पत्नि श्री कैलाश चन्द्र 88/ए. प्रेम गढ़ी, पुराना बस स्टैण्ड के पास, गाजियाबाद– 201001 (गारण्टर और मोरटगैगर)।

विषय : इंडियन बैंक, सेक्टर–63, शाखा, नोएडा में ऋण खाता नंबर : 6400567528
आपने 29–10–2018 तक बकाया रू. 952376/– की ऋण राशि तथा 30–10–2018 से आगे भुगतान की तिथि तक, सहमत दर पर, ब्याज चुकाने में चूक की है।
बैंक द्वारा उक्त अधिनियम के तहत 30–10–2018 को सूचना जारी की गई, जिसमें आपसे 29–10–2018 तक बकाया रू. 952376/– की ऋण राशि चुकाने की मांग की गई थी। यह सूचना आपको पंजीकृत पावती डाक द्वारा प्रेषित की गई थी, जो बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी है।
एतद्द्वारा आपसे बकाया रू. 952376/– की ऋण राशि का भुगतान, दिनांक 30–10–2018 से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित, इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर बैंक यहां नीचे अनुसूची में दी गई प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अपने अधिकारों के प्रयोग हेतु बाध्य होगा। यह सूचना बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकार उपाय को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना जारी की गई है।
अनुसूची : जिन आस्तियों में प्रतिभूति हित सृजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिया गया है :
बंधक आस्तियां : आवासीय फ्लैट नं0. बी–1, प्रथम तल, प्लॉट नं0. ई–10, बालाजी इन्क्लेव, गोविन्दपुरम (खसरा नं0. 1494एम का हिस्सा, गांव रईसपुर) गोविन्दपुरम के पास, गाजियाबाद, आवासीय सम्पत्ति जिसकी माप 56.23 स्क्वेयर मीटर चौहद्दी निम्नानुसार : पूर्व – रोड 30 फिट चौड़ा, उत्तर – प्लॉट का खाली भाग, पश्चिम – अन्य, दक्षिण – 30 फिट चौड़ा रोड़।

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

(फार्म ए)
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)
सत्कार एयर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संगत विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	सत्कार एयर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	07.03.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक रा.रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं.	U63000DL2011PTC215344
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	पंजीकृत कार्यालय : बी–72, दूसरा फ्लोर, रोहित हाउस, विश्वकर्मा कॉलोनी, तुगलकाबाद एम.बी. रोड, नई दिल्ली साउथ दिल्ली – 110044 प्रधान कार्यालय : लागू नही
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	आदेश की तिथि : 09.08.2019 अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए सूचना की तिथि 14.08.2019 (आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करना)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	10.02.2020 अर्थात् दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री ज्ञानेश्वर सहाय आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00130/2017-18/10546
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई–मेल	ओ एस–2, 2वीं मंजिल, द नेक्स्ट डोर सैक्टर –76, फरीदाबाद, 121004 हरियाणा ई–मेल : gyaneshwar.sahai@gmail.com
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई–मेल	ओ एस–2, 2वीं मंजिल, द नेक्स्ट डोर सैक्टर –76, फरीदाबाद, 121004 हरियाणा ई–मेल : Satkarair.cirp@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	28.08.2019 (अर्थात् दिवाला प्रारंभ तिथि से 14 दिन)
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	लागू नहीं (आईआरपी के साथ तारीख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	लागू नहीं (आईआरपी के साथ तारीख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	क) वेब लिंक https://ibbi.gov.in/downloadform.html ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 09.08.2019 को **सत्कार एयर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।
सत्कार एयर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 28.08.2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा – लागू नहीं – फार्म सीए (आईआरपी के साथ तारीख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार)।
दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ता/–
ज्ञानेश्वर सहाय
(अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल)
दिनांक : 14/08/2019
स्थान : फरीदाबाद

जोकोविच क्वार्टर फाइनल में फेडरर उलटफेर के शिकार

सिनसिनाटी, 16 अगस्त (एएफपी)।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एटीपी सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं तीसरे वरीय रोजर फेडरर को अमेरिकी ओपन की तैयारियों की इस प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच ने बुधवार को 90 मिनट तक चले मुकाबले में स्पेन के 53 रैंकिंग के पाब्लो कारेनो पर 6–3, 6–4 से जीत हासिल की।

सिनसिनाटी में सात बार के चैंपियन फेडरर पहली बार रूस के आंद्रे रूबलेव से भिड़ रहे थे और उन्हें एक घंटे में 3–6, 4–6 से उलटफेर का सामना करना पड़ा। फेडरर विंबलडन के फाइनल में जोकोविच से हारने के बाद अपना दूसरा ही मैच खेल रहे थे। गत चैंपियन जोकोविच क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के लुकास पौली से भिड़ेंगे जिन्होंने रूस के कारेन खाचानोव को 6–7, 6–4, 6–2 से पराजित किया।

वहीं महिलाओं के वर्ग में शीर्ष वरीय एश्ले बार्टी ने एनेट कोंटावेट पर 4–6, 7–5, 7–5 से जीत हासिल कर डब्लूटीए टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पांच बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा को बाहर करने वाली बार्टी अब यूनान की मारिया सकारी से भिड़ेंगी जिन्होंने नौंवी वरीय आर्यना सबालेंका को 6–4, 6–4 से शिकस्त दी।

जापान की दूसरी वरीय नाओमी ओसाका ने सिए सु वेई पर 7–6, 5–7, 6–2 से जीत हासिल की। वहीं 2017 अमेरिकी ओपन के फाइनल में पहुंची मेडिसन ने विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप को 6–1, 3–6, 7–5 से मात दी। दो बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन स्वेतलीना कुज्नेत्सोवा ने 2017 अमेरिकी ओपन विजेता स्लोआने स्टीफंस को 6–1, 6–2 से हराया। मार्च के बाद वीनस विलियम्स ने पहली बार लगातार तीन मैचों में जीत हासिल करते हुए डोना वेकिच को 2–6, 6–3, 6–3 से शिकस्त दी।

किर्गियोस पर 113,000 डॉलर का जुर्माना

सिनसिनाटी, 16 अगस्त (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया के विवादास्पद टेनिस स्टार निक किर्गियोस पर सिनसिनाटी मास्टर्स के दौरान आक्रामकता दिखाने के लिए 113,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया। एटीपी ने कहा कि इस बड़े जुर्माने में दूसरे दौर में रूस के कारेन खाचानोव से हार के दौरान बिना अनुमति के कोर्ट छोड़ना, खेल भावना के विपरीत व्यवहार करना और चेयर अंपायर के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना शामिल है। इसमें वह इस अधिकारी पर थूकते दिखे। चौबीस साल के किर्गियोस को चेतावनी दी गई कि पूरी जांच होने के बाद उन पर एक और निलंबन भी लग सकता है।

बुधवार की रात को किर्गियोस को खाचानोव से 6–7, 7–6, 6–2 से पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने अंपायर फर्गुस मर्फी को अपशब्द कहे और हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने चेयर अंपायर की ओर थूका। उन्हें समय बर्बाद करने के लिए और दूसरे सेट के अंत में बिना अनुमति के कोर्ट छोड़ने के बाद गलियारे में दो रैकेट तोड़ते हुए देखा गया। उन्होंने अंपायर को सबसे खराब अंपायर कहा। किर्गियोस को खेल भावना के विपरीत व्यवहार करने के लिए 20–20 हजार डॉलर के चार जुर्माने के अलावा अपशब्द के लिए 20 हजार का जुर्माना लगाया गया।

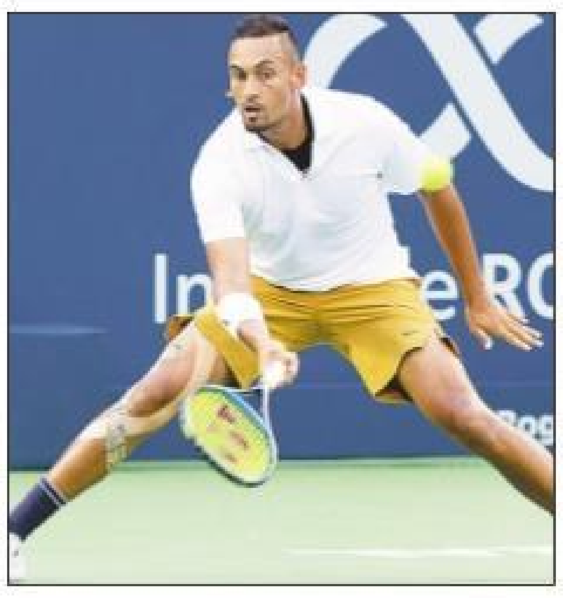

आस्ट्रेलियाई मीडिया में व्यवहार की आलोचना

सिडनी, 16 अगस्त (एएफपी)।

आस्ट्रेलियाई मीडिया ने शुक्रवार को टेनिस स्टार निक किर्गियोस के व्यवहार की काफी आलोचना की और उन्हें आस्ट्रेलियाई खेल जगत के लिए शर्मिंदगी करार दिया। चौबीस साल के किर्गियोस पर सिनसिनाटी मास्टर्स के दौरान आक्रामकता दिखाने के लिए 113,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया।

चैनल नाइन टीवी के टॉनी जोंस ने कहा कि उन्हें आगामी अमेरिकी ओपन ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने टीवी नाइन की वेबसाइट पर कहा कि एक बार फिर निक किर्गियोस ने खुद को आस्ट्रेलियाई खेल के लिए शर्मिंदगी साबित किया। संभव है कि पूरी दुनिया के खेलों को। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से टेनिस अधिकारियों को उन्हें सबक सिखाने वाली सजा देनी चाहिए। एटीपी को किर्गियोस को इस महीने होने वाले अमेरिकी ओपन से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।

आस्ट्रेलियाई खेल डोपिंग रोधी एजंसी के पूर्व अध्यक्ष रिचर्ड इंग्स एटीपी टूर के अंपायर और प्रशासक भी रह चुके हैं। उन्होंने इस व्यवहार को घिनौना करार दिया।

साक्षी, मानसी, रवि और हर्ष अगले दौर में

श्रीमती कृष्णा खेतान स्मारक जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट

पंचकूला, 16 अगस्त (जनसत्ता)।

28वें अखिल भारतीय योनेक्स सनराइज श्रीमती कृष्णा खेतान स्मारक जूनियर प्राइज मनी सलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट–2019 के चौथे दिन मुख्य ड्रॉ के एकल मुकाबले में साक्षी गहलावत, मानसी सिंह, रवि और हर्ष सहित अन्य खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश किया। रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की साक्षी ने उत्तर प्रदेश के अमोलिका सिंह को 21–19, 12–21, 22–20 से हराया। वहीं उत्तर प्रदेश की मानसी सिंह ने एआइ के त्रिशा हेडगे को 7–21, 21–16, 21–11 के अंतर से परास्त किया।

लड़कों के अंडर–19 मुकाबलों में हरियाणा के रवि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए असम के इमान सोनोवाल को 16–21, 21–17, 21–18 से हराया। इसी वर्ग के एक अन्य मुकाबले में राजस्थान के हर्ष चपलोट ने हरियाणा के सक्षम को 21–14, 17–21, 21–12 से मात दी। दिन के अन्य मुकाबलों में गुजरात के तसनीम मीर ने तमिलनाडु के परवीना एस को सीधे गेम में 21–12, 21–8 से हराया। मध्य प्रदेश के अमित राठौड़ ने हरियाणा के अभिन्न को 21–19,17–21, 22–20 से मात दी।

लड़कियों के अंडर 19 मुकाबलों में दिल्ली की दीपशिखा सिंह ने हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय को सीधे गेम में 21–19, 21–15 से हराया। उत्तराखंड की स्नेहा राजवाड़ ने तमिलनाडु की निवेथा एम पर 21–15, 21–13 के अंतर से जीत दर्ज की। दिल्ली की आशी रावत ने भार्गवी के को 21–13, 21–14 के अंतर से हराया।

साक्षी गहलावत

इस चैंपियनशिप का आयोजन अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। यह विशेष रूप से जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये मुकाबले 18 अगस्त तक चलेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन हर साल एक्सप्रेस शटल क्लब ट्रस्ट की पहल पर हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन और योनेक्स सनराइज के दशकों पुराने सहयोग से किया जाता है।

खेल रत्न पुरस्कार के लिए पूनिया हुए नामांकित

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदकधारी पहलवान बजरंग पूनिया को शुक्रवार को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान (राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार) के लिए नामांकित किया गया। उनके नाम पर फैसला 12 सदस्यीय चयन समिति ने दो दिवसीय बैठक के शुरुआती दिन लिया। पैनल में बाईचुंग भूटिया और एमसी मैरी कॉम भी शामिल हैं। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'बजरंग को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनके नाम पर फैसला सर्वसम्मति से हुआ।'

सूत्र ने यह भी कहा कि 12 सदस्यीय पैनल शनिवार को अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम पर फैसला करने के अलावा शीर्ष सम्मान के लिए एक और एथलीट का नाम चुन सकती है। बजरंग अभी जॉर्जिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जकार्ता एशियाई खेलों में 65 किग्रा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी वजन वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था।

बजरंग ने कहा, वह इसके हकदार

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदकधारी पहलवान बजरंग पूनिया ने माना कि वह खेल रत्न पुरस्कार को पाने के हकदार उम्मीदार हैं। उन्होंने कहा कि मेरा काम कड़ी ट्रेनिंग करना है। मेरा ध्यान पुरस्कारों पर नहीं बल्कि हमेशा अपने प्रदर्शन पर रहता है। लेकिन, जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो सम्मान जरूर मिलता है।

उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के लिए मेरे पास उपलब्धियां थीं। मैंने हमेशा ही कहा कि यह पुरस्कार सबसे हकदार खिलाड़ी को ही मिलना चाहिए। बजरंग ने पिछले साल जकार्ता एशियाई खेलों में 65 किग्रा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी वजन वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था। वह विश्व चैंपियनशिप में दो बार के पदकधारी हैं और अगले साल तोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रबल दावेदारों में शामिल हैं।

'सभी राज्य इकाई 14 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराएं'

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

चुनाव अधिकारी एन गोपालस्वामी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मान्यता प्राप्त राज्य इकाइयों को बीसीसीआइ चुनावों में भाग लेने की योग्यता हासिल करने के लिए 14 सितंबर तक अपने चुनाव संपन्न करवाने होंगे। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआइ चुनावों के लिए अभी 22 अक्तूबर की तिथि नियत की है। बोर्ड की शीर्ष परिषद के चुनाव के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

शीर्ष परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, खिलाड़ियों के दो प्रतिनिधि (पुरुष एवं महिला) और एक राज्य इकाई का प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा परिषद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का भी एक सदस्य होगा। चुनाव अधिकारी ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार, 'पूर्णकालिक सदस्यों जिन्होंने नौ अगस्त 2018 के फैसले का पालन करने की घोषणा नहीं की है या जो 14 सितंबर 2019 (या इस उद्देश्य के लिए सीओए द्वारा तय की गई कोई अन्य तिथि) तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं उनके प्रतिनिधि, बीसीसीआइ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।अधिसूचना में कहा गया है कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले दिल्ली (डीडीसीए), विदर्भ (वीसीए) और असम (एसीए) को उक्त तिथि तक अपने चुनाव करवा लेने चाहिए। अभी तक 38 मान्यता प्राप्त इकाइयों में से दस ने अपने संविधान में संशोधन नहीं किया है।

पुरुष हॉकी टीम मलेशिया और महिला टीम जापान से भिड़ेगी

तोक्यो, 16 अगस्त (भाषा)।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में शनिवार को मलेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी जबकि महिला टीम मेजबान जापान से भिड़ेगी। भारत की दोनों टीमों ने एफआइएच सीरीज फाइनल्स जीतकर इस साल बाद में होने वाले एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर्स में अपनी जगह सुनिश्चित की है।

विश्व में पांचवें नंबर पर काबिज और यहां पुरुष टीमों के बीच शीर्ष रैंकिंग की टीम भारत विश्व में 12वें नंबर के मलेशिया के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। भारत कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर श्रीजेश जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को विश्राम देकर युवा खिलाड़ियों को आजमा रहा है। मनप्रीत की अनुपस्थिति में ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की अगुआई करेंगे जबकि मनदीप सिंह उनके साथ उपकप्तान होंगे।

मलेशिया ने महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में समय–समय पर भारत जैसी टीमों को उलटफेर का शिकार बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है। पिछले दस वर्षों में हालांकि इन दोनों टीमों के बीच जो दस मुकाबले खेले गए उनमें से छह भारत ने और तीन मलेशिया ने जीते।

भारतीय कोच ग्राहम रीड ने कहा कि हम मलेशिया के खिलाफ होने वाले अपने पहले मैच के लिए तैयार हैं। हमने अभ्यास सत्र में अच्छा समय बिताया है। इससे पहले हमारे मलेशिया के खिलाफ कुछ कड़े मैच हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि शनिवार को कुछ भिन्न होगा। भारतीय महिला टीम इस साल हिरोशिमा में एफआइएच सीरीज फाइनल्स में जापान पर मिली 3–1 से मिली जीत से प्रेरणा लेकर मैदान पर उतरेगी। इन दोनों टीमों के बीच पिछले दस मुकाबलों में जापान ने चार जबकि भारत ने तीन मैच जीते।

लिली की बराबरी के बाद लियोन ने कहा, उपलब्धियों के लिए नहीं खेलता

लंदन, 16 अगस्त (एएफपी)।

ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने टैस्ट क्रिकेट में डेनिस लिली के 355 विकेट की बराबरी के बाद कहा कि वह निजी उपलब्धियों के बारे में नहीं बल्कि आस्ट्रेलिया के लिए श्रृंखलाएं जीतने के बारे में सोचते हैं। आस्ट्रेलिया ने एशेज श्रृंखला के दूसरे टैस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड को पहली पारी में 258 रन पर समेट दिया जिसमें लियोन ने 68 रन देकर तीन विकेट झटके। इस तरह उन्होंने लिली के 355 विकेट की बराबरी की। इससे वह आस्ट्रेलिया के सर्वकालिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों में केवल लेग स्पिनर शेन वार्न (708) और तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा (563) से पीछे तीसरे स्थान पर हैं।

स्वर्ण की कोशिश में फिटनेस सुधार रहीं सिंधू

नई दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधू ने शुक्रवार को कहा कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने की कोशिश में वह अपनी फिटनेस और डिफेंस सुधारने पर काम कर रही हैं। सिंधू विश्व चैंपियनशिप में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने दो रजत और दो कांस्य पदक तो जीते लेकिन स्वर्ण पदक नहीं हासिल कर सकीं। अब 24 साल की यह शीर्ष भारतीय खिलाड़ी 19 अगस्त से स्विट्जरलैंड के बासेल में शुरू होने वाली विश्व चैंपियनशिप में देश की अगुआई के दौरान फिर से बड़ी उम्मीद होंगी।

वह 2017 और 2018 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में क्रमशः जापान की नोजोमी ओकुहारा और स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गईं। यह पूछने पर कि क्या वह तीसरी बार भाग्यशाली रहेंगी तो सिंधू ने जवाब दिया, 'मैंने कड़ी ट्रेनिंग की है और उम्मीद कर रही हूं कि मैं अच्छा कर सकती हूं। मुझे बेहतर खेल दिखाना होगा लेकिन कोई दबाव नहीं है।' उन्होंने कहा कि मैं अपने डिफेंस, शारीरिक फिटनेस पर और कोर्ट के अंदर के कौशल पर भी काम कर रही हूं। हमारे पास सभी तरह के स्ट्रोक्स हैं लेकिन सुधार करने के लिए हमें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए।

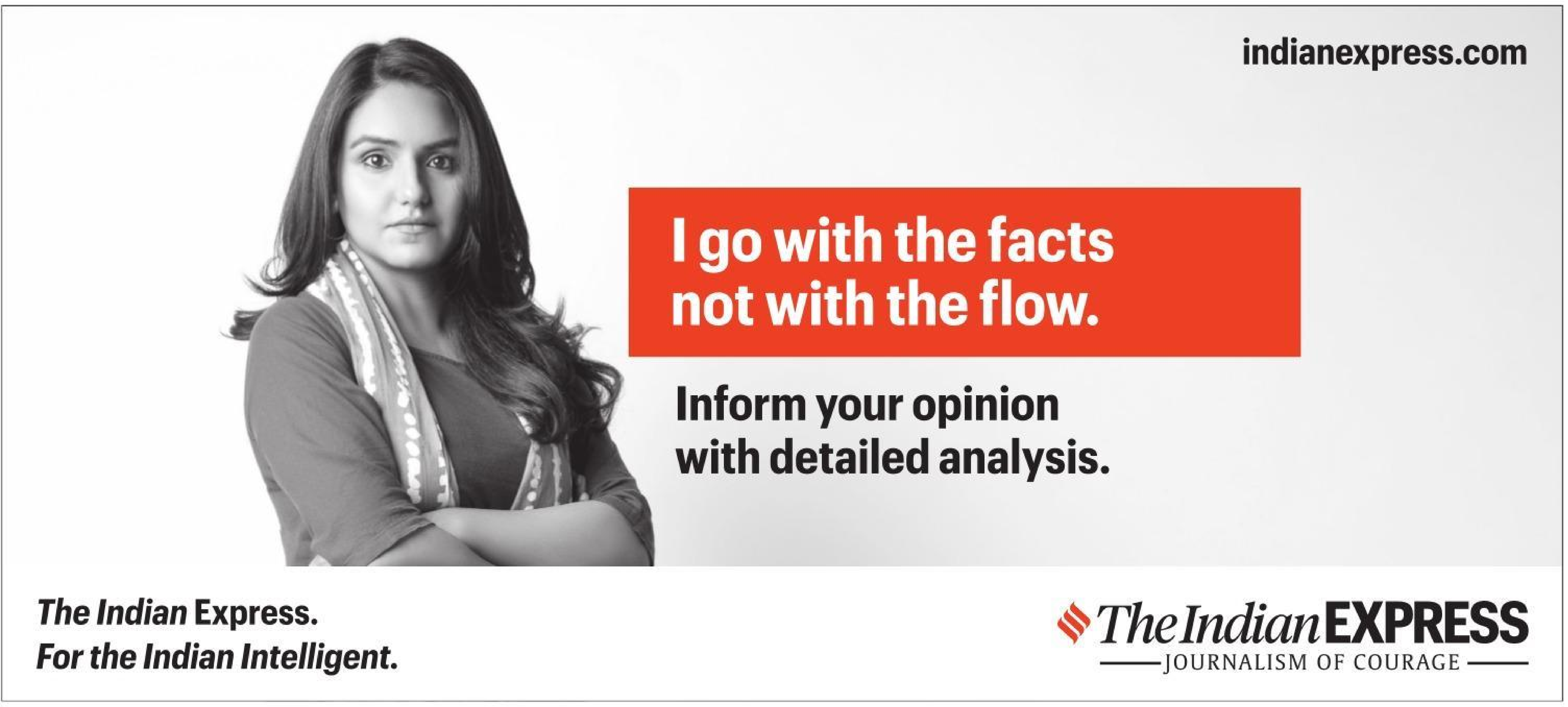

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 272, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

Join Teligram Channel ⤵

🎯 TARGETGOVTJOBS [*Https://t.me/TargetGovtJobs*]

Special :- Daily Update ☞ 🗞 Newspaper, ✍ Editorial, 📅 Today's History, 📻 Air & BBC News, 🖥 RSTV, 📖 The Hindu vocabulary, ☆ Imp. NewsClips, 🖥 StudyIQ Video, 📅 Daily, Weekly & Monthly current affairs Magazine, 🔊 Dr. Vijay Agarwal Audio Lectures, 💻 Job update [Employment News Weekly], etc...

📚E BOOKS📚 [*Https://t.me/Edu_Books*]

Special :- Get all important E-Books [NCERT Books, Subject Wise Books, Hand Written notes, Coaching Classes Notes], Weekly & Monthly Current Affairs Magazine, Exam Test Series, Job update, Employment News, Other Magazine etc.... [Medium :- Hindi & English]

📰E-PAPER & MAGAZINE 📰 [*Https://t.me/NewspapersTodaY*]

Special :- Daily Update Newspaper [Hindi & English Language], Magazine, Employment News, Job update, 📻 Air & BBC News, Etc....

🙏 THANKS 🙏